खण्ड-448, अंक-6
शुक्रवार, 24 माघ, शक संवत् 1925
(13 फरवरी, 2004 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

## विषय-सूची


| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | ... | ... | ... | क–ङ |
| सदन में कोरम के अभाव की सूचना | ... | ... | ... | 1 |
| प्रश्नोत्तर | ... | ... | ... | 1-9 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें | ... | ... | ... | 9 |
| जनपद हरदोई के विलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गर्रा नदी, नीलम नदी तथा कुण्डा नाला पर स्वीकृत पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | ... | ... | 10 |
| जनपद गाजियाबाद के दादरी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावानुसार पांच गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | | ... | 10 |
| प्रत्येक विधायक को सौ हैण्ड पम्प लगवाने संबंधी मुख्य मंत्री की घोषणा का पालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न... | | ... | ... | 10-12 |
| प्रदेश के विश्व विद्यालयों व राजकीय एवं अन्य महाविद्यालयों में बढ़ती हुई फीस वापसी की घोषणा का कार्यान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न | ... | ... | ... | 13 |
| पूर्वांचल विकास निधि जिला अंश के अन्तर्गत विकास कार्य के प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न | | | ... | 14 |
| कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं | ... | ... | ... | 14-27 |
| वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा | ... | | (जारी) | 28-45 |
| सदन में कोरम के अभाव की सूचना | ... | ... | (जारी) | 46 |
| वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा | ... | | (जारी) | 46-54 |
| सदन में कोरम के अभाव की सूचना | ... | ... | ... | 54-55 |
| वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा | ... | | (जारी) | 55-58 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं | ... | ... | ... | 58-59 |
| प्रदेश के स्थानीय निकाय के कमेले (पशुवधशाला) का ठेका उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत दिये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य | ... | | ... | 59-60 |

| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने वाली जमीन का प्रतिकर नोएडा क्षेत्र के बराबर किये जाने के संबंध में श्री नवाबसिंह नागर द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य | ... | ... | ... | 60-61 |
| जनपद झांसी की मऊ रानीपुर तहसील परिसर में अवैध निर्माणाधीन दुकानों को हटवाने के संबंध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य . | ... | ... | ... | 61-62 |
| जनपद बिजनौर तहसील अन्तर्गत गंगा नदी की दिशा परिवर्तन के कारण अनेक गांवों पर आयी दैवीय आपदा के संबंध में कुंवर भरतेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य | ... | ... | ... | 62 |
| जनपद आजमगढ़ के थाना देव गांव में श्री राजेन्द्र गुप्ता एवं उनकी पत्नी की हत्या के प्रकरण पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में श्री सुखदेव राजभर तथा श्री जयराम विमल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य | ... | ... | ... | 63 |
| जनपद लखीमपुर खीरी के रहमत नगर ग्राम में नहर के पानी से किसानों की फसले बरबाद होने के संबंध मे श्री राजेश कुमार द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य | ... | ... | ... | 63-64 |
| शाहजहांपुर की विद्युत व्यवस्था खराब होने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य | ... | ... | ... | 64-65 |
| जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से अपूर्ण पुल एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम -51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य | ... | ... | ... | 65-66 |
| जनपद गोण्डा में भारत सरकार की योजनान्तर्गत सरकारी खाद्यान्न माफियाओं द्वारा बेच दिये जाने के संबंध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन | ... | ... | ... | 66 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

**शुक्रवार दिनांक 13 फरवरी, 2004**

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

**उपस्थित सदस्य–322**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अकीलुर्रहमान खां, श्री | मुरादाबाद | अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच | अशोक कुमार कटियार, श्री | कानपुर देहात |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली | अशोक बाजपेयी, डा० | हरदोई |
| अजय कुमार,डा० | बागपत | आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री | सिद्धार्थनगर |
| अजय राय, श्री | वाराणसी | आनन्द प्रकाश लोधी, श्री | फतेहपुर |
| अजीम भाई, श्री | फिरोजाबाद | आनन्द सेन, श्री | फैजाबाद |
| अताउल रहमान, श्री | बरेली | आर०एस० कुशवाहा, श्री | खीरी |
| अनवर महमूद, श्री | बलरामपुर | आर०के० सिंह पटेल, श्री | चित्रकूट |
| अनार सिंह दिवाकर, श्री | एटा | आलम बदी, श्री | आजमगढ़ |
| अनिल कुमार पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर | आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर | आशा किशोर, श्रीमती | रायबरेली |
| अनिल कुमार वर्मा, श्री | सीतापुर | आशीष यादव, श्री | बदायूं |
| अनिल कुमार पासवान, श्री | हरदोई | आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा | इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| अनिल सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर | इन्द्रदेव सिंह, डा० | बिजनौर |
| अनुग्रह नारायण | | इलम सिंह, श्री | सहारनपुर |
| उर्फ खोखा सिंह, श्री | देवरिया | उदयराज यादव, श्री | उन्नाव |
| अनूप कुमार पाण्डेय, श्री | बस्ती | उमा किरन, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| अन्सार अहमद, श्री | इलाहाबाद | ऊषा वर्मा, श्रीमती | हरदोई |
| अब्दुल कलाम, श्री | वाराणसी | ओम प्रकाश, श्री | सीतापुर |
| अब्दुल कलाम, श्री | संत कबीर नगर | ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई | ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| अब्बास अली जैदी | | ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| उर्फ रुशदी मियां, श्री | बाराबंकी | कपिल देव यादव, श्री | मऊ |
| अम्बेश कुमारी, श्रीमती | महोबा | कमलेश कुमार, श्री | गोरखपुर |
| अरविन्द गिरि, श्री | खीरी | कमाल यूसुफ मलिक, श्री | सिद्धार्थनगर |
| *अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री | बाराबंकी | कल्याण सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| अरुण कुमारी, श्रीमती | कानपुर देहात | कल्यान सिंह दोहरे, श्री | कन्नौज |
| अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच | कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| अरुणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर | काशी राम, श्री | रामपुर |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर | किरण पाल कश्यप, श्री | मुजफ्फरनगर |

अवर सचिव रखा

| | |
|---|---|
| किशन लाल बघेल, सेठ | आगरा |
| कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री | बिजनौर |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृष्णानन्द राय, श्री | गाजीपुर |
| कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कोविद कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| कौशल किशोर, श्री | लखनऊ |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गंगा बक्श सिंह, डा० | उन्नाव |
| गीता सिंह, श्रीमती | बलरामपुर |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| घनश्याम शुक्ल, श्री | गोण्डा |
| घूरा राम, श्री | बलिया |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्रदेव राम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्र भद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चितरंजन स्वरूप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| छेदी राम, श्री | गाजीपुर |
| छोटे लाल यादव, श्री | बाराबंकी |
| छोटे लाल वर्मा, श्री | आगरा |
| जंग बहादुर, श्री | सुल्तानपुर |
| जगदीश नारायण (राय), श्री | जौनपुर |
| जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री | कुशीनगर |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जगदीश सोनकर, श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगराम सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| जटाशंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| जय प्रकाश यादव, श्री | गोरखपुर |
| जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| जयराम विमल, श्री | अम्बेडकर नगर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री | महराजगंज |
| तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दया शंकर वर्मा, श्री | जालौन |
| दिनेश सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दिलीप कुमार वर्मा, श्री | बहराइच |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| देवकी नन्दन, श्री | हाथरस |
| देवेन्द्र नागपाल, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| देवेन्द्र प्रताप, श्री | एटा |
| देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली |
| द्वारिका प्रसाद, श्री | सन्त कबीर नगर |
| धनंजय सिंह, श्री | जौनपुर |
| धर्मपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| धर्मपाल सिंह, श्री | बरेली |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकर नगर |
| धर्म सिंह सैनी, डा० | सहारनपुर |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| नत्थू सिंह, श्री | उन्नाव |
| नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० | इलाहाबाद |
| नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री | गाजियाबाद |
| नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| नवाब सिंह नागर, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| नारद राय, श्री | बलिया |
| परमेश्वर दयाल, श्री | सोनभद्र |
| पी० के० राय, डा० | कुशीनगर |
| पीटर फैन्थम, श्री | नाम-निर्देशित |
| पीतम राम, श्री | पीलीभीत |
| पूर्णमासी देहाती, श्री | कुशीनगर |
| प्रताप चौधरी, श्री | हाथरस |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| प्रभु दयाल, श्री | मेरठ |
| प्रभु नारायण, श्री | वाराणसी |
| प्रमोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद गौड़, श्री | अलीगढ़ |
| प्रागी लाल अहिरवार, श्री | झांसी |

| | |
|---|---|
| प्रेम पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| प्रेम लता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| प्रेम सिंह, श्री | मथुरा |
| फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) | देवरिया |
| फागू, श्री | मऊ |
| बंशीधर राज, श्री | खीरी |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बाबू राम, एम०काम०, श्री | जालौन |
| बाबू लाल, श्री | गोण्डा |
| बीजू पटनायक, श्री | गाजीपुर |
| बीना भारद्वाज, श्रीमती | रामपुर |
| बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराज), श्री | झांसी |
| बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट | जालौन |
| बैजनाथ पासवान, श्री | मऊ |
| बैजनाथ दुबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगेलू राम, श्री | सुल्तानपुर |
| भरत सिंह, श्री | बलिया |
| भारतेन्द्र सिंह, कुंवर | बिजनौर |
| भूपेन्द्र सिंह, श्री | बदायूं |
| मतेश चन्द्र सोनकर, श्री | कौशाम्बी |
| मदन गोपाल वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| मलिक मसूद, श्री | आजमगढ़ |
| मशहूद खां, श्री | बलरामपुर |
| मस्तराम चौ०, एडवोकेट | उन्नाव |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी | अलीगढ़ |
| महेन्द्र सिंह यादव, श्री | बुलन्दशहर |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश त्रिवेदी, श्री | कानपुर देहात |
| महेश नारायण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| मान पाल सिंह, श्री | एटा |
| माया प्रसाद, श्रीमती | खीरी |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| मुलायम सिंह यादव श्री | बदायू |
| मुंशीलाल गौतम, श्री | बुलन्दशहर |
| मुकुट बिहारी वर्मा, श्री | बहराइच |
| मोख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| मोहन देव शंखवार, श्री | फिरोजाबाद |
| मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद इरशाद खां, श्री | लखनऊ |
| मोहम्मद बशीर, चौधरी | आगरा |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| मोहम्मद रिजवान, श्री | मुरादाबाद |
| मो० शफीर, श्री | फतेहपुर |
| यशपाल चौधरी, श्री | खीरी |
| योगेन्द्र कुमार, श्री | बदायूं |
| योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री | गोण्डा |
| रणवीर राणा, श्री | मेरठ |
| रतन लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश कुमार शर्मा, श्री | झांसी |
| रमेश चन्द बिन्द, डा० | मिर्जापुर |
| रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० | मेरठ |
| राकेश कुमार वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| राकेश पाण्डेय, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राकेश सचान, श्री | कानपुर देहात |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह बालियान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजपाल सिंह सैनी, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजरानी रावत, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री | लखनऊ |
| राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री | एटा |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राधेश्याम सिंह, श्री | कुशीनगर |
| राम इकबाल सिंह, श्री | बलिया |
| राम करन आर्य, श्री | बस्ती |

| | |
|---|---|
| राम किशुन, श्री | वाराणसी |
| राम कृपाल, श्री | इलाहाबाद |
| राम कृष्ण, श्री | सीतापुर |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| राम नरेश यादव, श्री | आजमगढ़ |
| रामनाथ, श्री | प्रतापगढ़ |
| रामपाल यादव, श्री | सीतापुर |
| राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री | कन्नौज |
| राम प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम बाबू हरित, डा० | आगरा |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| राम भुआल निषाद, श्री | गोरखपुर |
| राम लाल अकेला, श्री | रायबरेली |
| रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम शंकर पाल, श्री | उन्नाव |
| राम सेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | बिजनौर |
| रामहेत, श्री | सीतापुर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रिजवान अहमद खां, श्री | ज्योतिबा फूले नगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रेवती रमण सिंह, कुं० | इलाहाबाद |
| लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० | मेरठ |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लाल बहादुर यादव, श्री | जौनपुर |
| लुईस खुर्शीद, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| वकार अहमद शाह, डा० | बहराइच |
| वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| विजय कुमार मिश्रा, | श्री सन्त रविदासनगर, भदोही |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विजेन्द्र सिंह, श्री | हाथरस |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्या सागर गुप्ता, श्री | लखनऊ |
| विनय शाक्य, श्री | औरैया |
| विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री | इटावा |
| विनोद कुमार सिंह, श्री | जौनपुर |
| विनोद तिवारी, डा० | पीलीभीत |
| विमला राकेश, श्रीमती | सहारनपुर |
| विवेक बंसल, श्री | अलीगढ़ |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विश्राम सिंह यादव, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री | शाहजहांपुर |
| वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री | बरेली |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | वाराणसी |
| वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री | ललितपुर |
| वीरेश्वर, श्री | अलीगढ़ |
| वेदराम भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| शंख लाल मांझी, श्री | सन्त कबीर नगर |
| शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, | श्री सन्त रविदास नगर, भदोही |
| शब्बीर, श्री | बहराइच |
| शमीमुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| शरदवीर सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| शहजिल इस्लाम, श्री | बरेली |
| शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदा नन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर देहात |
| शिव चरन प्रजापति, श्री | हमीरपुर |
| शिव तपस्या पासवान, श्री | चन्दौली |
| शिव प्रताप यादव, डा० | बलरामपुर |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | महराजगंज |
| शिशुपाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री | जौनपुर |
| श्याम देव राय चौधरी, श्री | वाराणसी |
| श्याम नारायन, श्री | महराजगंज |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर |

| | |
|---|---|
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सन्ध्या कठेरिया, कु० | मैनपुरी |
| समरपाल सिंह, श्री | बागपत |
| सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं० | मुरादाबाद |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिद्ध गोपाल साहू, श्री | महोबा |
| सियाराम सागर, डा० | बरेली |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| सुख देवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री | रायबरेली |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सुशील चौधरी, डा० | सहारनपुर |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सोमारू राम सरोज, श्री | जौनपुर |
| सोवरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| हरि ओम यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| हरि प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| हरिशंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री | वाराणसी |
| हीरा लाल गौतम, श्री | आजमगढ़ |
| हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| होशियार सिंह, श्री | बुलन्दशहर |

नोट :–मा० मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री,

श्री बनबारी सिंह यादव, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री तथा

श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2004

(मद सं०–1 ता० प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर । )

**सदन में कोरम के अभाव की सूचना**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कोरम पूरा है । अगर कोरम पूरा न होता तो घंटी बन्द नहीं होती । वैसे सदन में कोरम है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है । संसदीय कार्य मंत्री रोज खेद व्यक्त करते हैं ।

## प्रश्नोत्तर

### तारांकित प्रश्न

*1–सुरेश कुमार खन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

**पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० के कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान**

*2–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० को बन्द करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी है ? क्या निगम के कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निगम के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)–

पंचायती राज वित्त विकास निगम को बन्द करने का निर्णय शासन स्तर पर लिया जा चुका है ।

विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

शासन की विद्यमान नीति के तहत निगम के कर्मचारियों को समायोजित किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुण्डीर अनुपस्थित है । मैं अगली मद ले रहा हूं ।

## अतारांकित प्रश्न

### जनपद इलाहाबाद के ब्लाक तहसील बारा के ग्राम ओझा पट्टी तथा मानपुर के मध्य मार्ग को खड़ंजा स्तर तक निर्मित कराये जाने की मांग

1–श्री सोमारू राम सरोज तथा श्रीमती विमला राकेश–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम बुद्धवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–70 के उत्तर के सदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 2002 में किस योजना के अन्तर्गत मिट्टी तथा गिट्टी डलवाने का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि उक्त मिट्टी व गिट्टी के अपूर्ण कार्य कराये जाने के कारण जगह-जगह पर गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत मार्ग पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर जिला पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि से गिट्टी कुटाई स्तर का कार्य कराया गया है ।

जिला पंचायत, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृति स्तर पर गहरे गड्ढे नहीं है बल्कि बरसात में पानी भर जाने के कारण आवागमन में कठिनाई हो जाती है ।

उक्त मार्ग पर आगे कार्य कराने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

### असिस्टेण्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) व्यापार कर, मेरठ द्वारा सी०एस०डी० कैन्टीन मेरठ डिपो की जांच

2–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेण्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) व्यापार कर, मेरठ द्वारा सर्वश्री डाबर इण्डिया लिमिटेड साहिबाबाद (गाजियाबाद) की बिक्री की जांच के सम्बन्ध में सी०एस०डी० कैन्टीनस मेरठ डिपो के सर्वेक्षण दिनांक 13-8-01 के आधार पर प्रेषित रिपोर्ट तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० सरकार के अर्द्ध शा० पत्र सं०–784/पी०एस०टी०-आर-2002 दि० 9-5-02 द्वारा विभाग को फर्म की केन्द्रीय बिक्री मानकर कर लगाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के अनुपालन में फर्म के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)–

जी नहीं । असिस्टेण्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) व्यापार कर मेरठ द्वारा सी०एस०डी० कैंटीन मेरठ डिपो को दिनांक 13-8-2001 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2000-2001 एवं वर्ष 2001-002 में सर्वश्री डाबर इण्डिया लिमिटेट द्वारा सी०एस०डी० कैंटीन के प्रान्त बाहर डिपो को की गयी बिक्री को मेरठ स्थित सी०एस०डी० कैन्टीन को बिक्री प्रदर्शित करके प्रान्तीय बिक्री के रूप में कर मुक्त की गयी है जबकि इन संव्यवहारों पर केन्द्रीय बिक्री होने के कारण केन्द्रीय करदेयता थी । जांच रिपोर्ट एवं प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षा की गयी थी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम कर निर्धारण आदेशों में तद्अनुसार संव्यवहारों पर केन्द्रीय बिक्री कर कर आरोपण नहीं किया गया । बाद में प्रश्नगत संव्यवहारों पर केन्द्रीय कर निर्धारण हेतु

धारा–21 में नोटिस जारी की गयी जिस पर व्यापारी द्वारा दायर रिट याचिका में मा०उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गयी ।

**सर्वश्री महालक्ष्मी स्टील ट्यूब्स गाजियाबाद से व्यापार कर अधिनियम की गलत धारा के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश की जांच**

3–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यापार कर अधिकारी (सचल दल) के पत्र सं०–334 दि० 04-01-01 द्वारा सर्वश्री महालक्ष्मी स्टील ट्यूब्स गाजियाबाद से वसूल की गई जमानत रु० 3,92,602.00 सम्बन्धी प्रेषित रिपोर्ट के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)–1 गाजियाबाद द्वारा व्यापार कर अधिनियम की गलत धारा के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को हुई हानि के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चितरंजन स्वरूप–

जी हां ।

पुनः डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)–11, व्यापार कर गाजियाबाद द्वारा अधिनियम की सही धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । गलत धारा में अर्थदण्ड आरोपित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उपश्रमायुक्त वाराणसी द्वारा श्रीमती शोभा चक्रवर्ती तथा अन्य संस्थाओं के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण-पत्र पर कृत कार्यवाही**

4–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपश्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा श्रीमती शोभा चक्रवर्ती को देय धनराशि की वसूली हेतु काशी मेडिकल सेन्टर, 97 शिवाजीनगर, महमूरगंज, वाराणसी के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण-पत्र तथा अन्य 8 संस्थाओं के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित जिलाधिकारी, वाराणसी को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया पत्र 15-9-2001 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)–

जी हां ।

मा० श्री श्यामदेव राय चौधरी का पत्र दिनांक 15-09-2001 प्राप्त हुआ था । पत्र में इंगित उप श्रमायुक्त, वाराणसी के वसूली प्रमाण-पत्र सं०–282, 8959, 15488, 10874, 12101, 2347, 2779, 13074 व 4954 में वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत होने के पश्चात् वसूली की प्रभावी कार्यवाही की गई है । वसूली प्रमाण-पत्र सं०–15488 में सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली गई है ।

(2) वसूली प्रमाण-पत्र सं० 282 व 8959 में कुर्की की कार्यवाही कर ली गई है । अब चल सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) वसूली प्रमाण-पत्र सं० 12101, 2347 व 2779 तीनों एक ही सेवायोजक प्रतिष्ठान से वसूली किया जाना है जिसमें मा० उच्च न्यालयालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13-02-2001 के द्वारा वसूली की कार्यवाही स्थगित है ।

(4) वसूली प्रमाण-पत्र सं० 4954 में भी मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 08-01-2003 द्वारा वसूली की कार्यवाही स्थगित है ।

(5) वसूली प्रमाण-पत्र सं० 13074 से संबंधित नाम व पते का कोई प्रतिष्ठान अस्तित्व में नही है ।

(6) वसूली प्रमाण-पत्र सं० 10874 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06-07-2000 द्वारा वसूली की कार्यवाही स्थगित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**वाराणसी शहर में खुले मेनहोलों में अविलम्ब ढक्कन लगाये जाने की मांग**

5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि 7 अक्टूबर, 2003 को वाराणसी में शिवपुर थानान्तर्गत बड़ा लालपुर गांव में सड़क के किनारे बिना ढक्कन के खुले मैनहोल में गिरकर गोपाल जायसवाल के तीन वर्षीय बालक श्रीकान्त की अकाल मत्यु के लिए जिम्मेदार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मृतक के परिजन को सरकार आर्थिक मुआवजा देगी ? क्या सरकार वाराणसी शहर में सैकड़ों की संख्या में अन्य सभी खुले मैनहोल में अविलम्ब ढक्कन लगाये जाने के निर्देश भी देगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उल्लिखित स्थल पर नाला निर्माण सांसद निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगर निगम वाराणसी द्वारा कराया गया है । इस संबंध में दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है । उत्तरदायित्व निर्धारण के उपरान्त मुआवजा दिये जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

वाराणसी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत खुले मैनहोलों पर ढक्कन लगाने की कार्यवाही की गई है तथा वार्ड में तैनात समस्त अवर अभियन्ताओं को इस पर कड़ी निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है ।

**अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के विरुद्ध आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति किये जाने संबंधी अनियमितता की जांच**

6–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह –

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देवरिया के विरुद्ध बिना विज्ञापन कराये आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति किये जाने तथा रु० 44 लाख के टेण्डर नियमों के विपरीत करने संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र मण्डल आयुक्त गोरखपुर को दिनांक 06-9-2003, जिलाधिकारी देवरिया को 06-9-03, 12-9-03, 22-9-03, 21-10-03, 19-11-03, 06-12-2003 व मुख्य सचिव उ०प्र० को दिनांक 18-9-2003 व सचिव, पंचायती राज द्वारा जिलाधिकारी देवरिया को दिनांक 27-12-2003 को पत्र संख्या–93 एमएस/33-3-2003-81जी-2003 व माननीय मंत्री शाकिर अली, लघु सिंचाई व मुस्लिम वक्फ का पत्रांक संख्या–245 दिनांक 11-11-03 माननीय पंचायती राज मंत्री को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? क्या इस अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जिला पंचायत देवरिया में आशुलिपिक के सीधी भरती के रिक्त पद पर चयन समिति की बैठक की कार्यवाही दिनांक 13-6-2003 में जिला पंचायत सेवा नियमावली के विपरीत श्री राजेश तिवारी

लिपिक की पदोन्नति की गयी जिसे नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश दे दिये गए हैं । उक्त अनियमितता के लिये अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देवरिया दोषी पाये गए हैं । इस हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अध्यक्ष, जिला पंचायत की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जा रही है । जिला पंचायत देवरिया में रु० 51.13728 लाख रुपये की निविदा समाचार पत्र स्वतंत्र चेतना एवं अमर उजाला में प्रकाशित कराई गई है ।

प्रश्न नही उठता ।

**अध्यक्ष जिला पंचायत देवरिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच**

7–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि श्री एखलाक अहमद, होटल स्टार, देवरिया का शिकायती शपथ-पत्र पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, देवरिया द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कारये जाने से संबंधित जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा जांच आख्या पत्र संख्या-780/2003, दिनांक 06 अगस्त, 2003 व पत्र संख्या-775/आ०लि०–2003 दिनांक 04 अगस्त, 2003 मण्डल आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को पत्र संख्या-783/आ०लि०2003 दिनांक 07 अगस्त, 2003 सचिव, पंचायती राज को प्रेषित की है ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जांच आख्या के आधार पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, देवरिया से स्पष्टीकरण मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नही हुआ है । अध्यक्ष का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**अध्यक्ष जिला पंचायत देवरिया के विरुद्ध फर्जी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सदस्य जिला पंचायत के चुनाव का प्रत्याशी बनने के संबंध में शिकायती पत्र की जांच**

8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान अध्यक्ष, जिला पंचायत, देवरिया के विरुद्ध निर्वाचन के समय फर्जी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सदस्य, जिला पंचायत के चुनाव का प्रत्याशी बनने के संबंध में शिकायती-पत्र के आधार पर की गयी जांच उप जिलाधिकारी, बरहज द्वारा जांच आख्या प०स०3114/एसटी०/2000,दिनांक 24-5-2000 स्थानीय चुनाव कार्यालय पंचायती राज देवरिया को दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त जांच आख्या उपयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० को जिलाधिकारी देवरिया ने दिनांक 3 फरवरी, 2003 को अपने पत्रांक 819/पंचा०/चुना/शिकायत/2002-2003 द्वारा प्रेषित की है ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त जांच आख्या के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनांक 28 मार्च, 2003 से पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवरिया को दिये । जिला अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 30-1-04 से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराया है कि डा० श्रीमती कृष्णा जायसवाल का नाम मतदाता सूची से हटाये जाने हेतु विहित प्रारूप पर विहिप प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई आपत्ति नही दी गयी है । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहिप प्रारूप व विहिप प्रक्रिया का पालन कराने हेतु जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवरिया को निर्देशित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**दुग्ध संघ गोण्डा के दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमति किये जाने की मांग**

9–श्री संजीव दरियाबादी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को ज्ञात है कि संघ गोण्डा में कई संवर्गों में कतिपय कर्मचारी कई वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे उक्त कर्मियों में से कुछ कर्मियों को नियमित किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष कर्मियों को भी नियमति करने पर विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)–

जी हां ।

जी नही ।

प्रश्न ही नही उठता ।

**जनपद लखनऊ के मत्स्य विभाग में तैनात तकनीकी कर्मचारी व उनका स्थानान्तरण**

10–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मत्स्य विभाग में कितने तकनीकी कर्मचारी 20 वर्षों (बीस वर्षों)से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? तो क्या सरकार इनका स्थानान्तरण जनपद से बाहर करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शंख लाल मांझी)–

जनपद लखनऊ के मण्डलीय कार्यालय में मात्र चतुर्थ श्रेणी के 04 तथा जनपदीय कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के 04 तकनीकी कमर्चारी 20 वर्षों (बीस वर्षों) की अवधि से कार्यरत हैं । स्थानान्तरण नीति के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1-3-96–का-4-2003 दिनांक 12-5-2003 तथा उसके साथ पठित शासनादेश संख्या 1-3-96–का-4/2001 दिनांक 21-4-2001 के अनुसार उक्त कार्मिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नही आते हैं । आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष के स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नही उठता ।

**लखनऊ जनपद के मत्स्य विभाग में तैनात फील्ड कर्मचारियों से मासिक दैनिक डायरी जमा कराने की मांग**

11–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग में फील्ड कर्मचारियों से मासिक दैनिक डायरी जमा कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो लखनऊ जनपद में ऐसे कितने फील्ड कर्मचारी

हैं जो अपनी मासिक दैनिक डायरी माह में जमा नही करते हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शंख लाल माझी–

जी हां ।

लखनऊ जनपद में तैनात समस्त फील्ड कर्मचारी अपनी मासिक दैनिक डायरी जमा करते हैं । अतः कार्यवाही की प्रश्न नही उठता ।

**मत्स्य विभागीय तकनीकी कर्मचारी संघ का आडिट**

12–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभागीय तकनीकी कर्मचारी संघ का गत 10 वर्षों (दस वर्षों) में आडिट कराया गया ? यदि नहीं, तो इसके दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ?

श्री शंख लाल मांझी–

उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग तकनीकी कर्मचारी संघ, मान्यता प्राप्त संघ है, इस संघ के द्वारा विगत 10 वर्षों (दस वर्षों) का वार्षिक लेखा सम्परीक्षण नहीं कराया गया है । इस सम्बन्ध में तकनीकी कर्मचारी संघ को नोटिस देकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद जौनपुर जिला पंचायत में वर्ष 2002-2003 व 2003-2004 हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत धन एवं खाद्यान्न का आवंटन**

13–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर जिला पंचायत में वर्ष 2002-2003 व 2003-2004 हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन एवं खाद्यान्न आवंटित किया गया है ? क्या उसका उपयोग करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जिला पंचायत जौनपुर को वर्ष 2002-2003 में रु० 513.58 लाख तथा खाद्यान्न के रूप में 64713.28 कुं० चावल आवंटित किया गया था । वर्ष 2003-04 के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं मुख्य अधिकारी के संयुक्त खाते में रु० 290.68 लाख प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 2002-03 में प्राप्त धनराशि एवं खाद्यान्न के सापेक्ष 70% का उपयोग कर लिया गया है । वर्ष 2003-04 के लिये प्राप्त धनराशि जिला निधि में प्राप्त न होने के कारण अभी तक कोई व्यय नही किया गया है ।

वर्ष 2002-03 की योजनायें विलम्ब से स्वीकृत होने तथा वर्षा ऋतु एवं रबी की फसल के बोआई के कारण एवं मा० सदस्यों द्वारा की गई योजनाओं में से 25% योजना को विभिन्न न्यायालयों में स्थगनादेश प्राप्त होने के कारण शतप्रतिशत धनराशि एवं खाद्यान्न का उपयोग नहीं हो सका है । वर्ष 2003-04 की धनराशि जिला पंचायत में अध्यक्ष एवं मुख्य अधिकारी के संयुक्त खाते में प्राप्त हुई है, जो कि जिला निधि में प्राप्त होनी चाहिए थी । इसी कारण कोई व्यय नहीं किया गया है ।

**जनपद फैजाबाद ब्लाक मया, ग्राम सभा गौहनियां में विगत वर्ष 2001-02 एवं 2003 को आवंटित धन एवं व्यय**

14–श्री बाबूराम एम०काम०–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद ब्लाक मया, ग्राम सभा गौहनियां में विगत वर्ष 2001-02 एवं 2003 में कुल कितना धन, किन-किन मदों में खर्च हेतु स्वीकृत किया गया और स्वीकृत धन से कौन-कौन से कार्य कराये गये ?

श्री बलराम यादव–

जनपद–फैजाबाद ब्लाक मया, ग्राम सभा गौहनियां को वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 में विभिन्न 6 मद के अन्तर्गत रुपये 6,70,504.66 की धनराशि प्राप्त हुई थी । प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार रुपये 5,18,602.00 की धनराशि व्यय करके खड़ण्जा, हैण्डपम्प मरम्मत, तालाब सौन्दर्यीकरण, सम्पर्क मार्ग, खड़ण्जा मरम्मत, नाली बाहा सफाई, ग्राम सभा सफाई, वृक्षारोपण आदि कार्य कराया गया ।

**जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड मया के अन्तर्गत बन्दनपुर से बैरीसाल तक सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि**

15–श्री बाबूराम एम०काम०–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद ब्लाक मया के अन्तर्गत बन्दनपुर से बैरीसाल का पूरा ग्राम सभा गौहनियां में 2 कि०मी० एवं 3 कि०मी० सड़क निर्माण हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 में 23 लाख रुपये स्वीकृत कर, निर्गत किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद फैजाबाद के मया विकास खण्ड में डडवा सरैया से बन्दनपुर तक लगभग 2 कि०मी० लेपन स्तर तक कार्य एवं ग्राम सभा गौहनियां लिंक मार्ग परशुरामपुर से बेरीसाल के पूरा को जोड़ने वाली सड़क स्व० केदारनाथ दूबे के नलकूप से महादेव वर्मा के सहन से होते हुए दलित बस्ती (रामपुर भक्ता) तक 300 मीटर लेपन स्तर तक का कार्य कराने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग से वर्ष 2002-03 के लिए अंकन रुपया 28 लाख की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है ।

उक्त कार्यस्थल पर गिट्टी स्तर का कार्य कराया जा रहा है । गिट्टी स्तर के कार्य पूर्ण होने पर पेंटिंग स्तर के कार्य के लिए मौसम अनुकूल होने पर पेंटिंग का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्रीमती विमला राकेश–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

**प्रदेश में अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करने में सर्किल रेट का आधार**

17–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेगे कि प्रदेश में अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करने में सर्किल रेट का क्या आधार है ? क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि अचल सम्पत्ति को क्रय करने के उद्देश्य में परिवर्तन होने पर सर्किल रेट दो गुना हो जाता है ? क्या सरकार इस विषमता को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, मानेरंजन कर मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

प्रदेश में अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करने में सर्किल रेट का आधार वास्तविक बाजार मूल्य है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम–4 के अन्तर्गत जिले का कलेक्टर विभिन्न विभागों में स्थित भूमि का न्यूनतम मूल्य तथा गैर वाणिज्यिक भवनों का प्रति वर्ग मी० निर्माण का न्यूनतम मूल्य तथा वाणिज्यिक भवनों का प्रति वर्ग मी० मासिक किराया उक्त नियम में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करता है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**स्वर्गीय श्री बाबू राम यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी, जनपद हरदोई तथा श्री गया सिंह तोमर सेवा निवृत्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) हरदोई का सामूहिक बीमा अभिदान के भुगतान की जांच**

18–चौ० विजेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि श्री बाबू राम यादव ग्राम पंचायत अधिकारी, जनपद–हरदोई के माह 3-97 से 7/97 एवं 5/99 सं०-11/99 तक की अवधि एवं श्री गया सिंह तोमर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) जनपद-हरदोई के माह 11/96, 12/96 एवं 11/97 से 1/98 तक की अवधि में सामूहिक बीमा का योगदान जमा नही कराया गया जबकि भुगतान सत्यापित कर बीमा लाभ का भुगतान कराया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री बाबू राम यादव मृतक ग्राम पंचायत अधिकारी का सामूहिक बीमा अभिदान पूर्ण रूप से जमां नही किया गया था और श्री गया सिंह तोमर सेवानिवृत्ति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का सामूहिक बीमा अभिदान पूर्ण रूप से जमा किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी गयी। शिथिलता के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को कठोर चेतावनी दी गयी।

**नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें**

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 4 सूचनाएं स्वीकार की गई। प्राप्त सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की है।

(श्री ओम प्रकाश पाण्डेय के अनुपस्थित होने पर) दूसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की।

तीसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

## जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गर्रा नदी नीलम नदी तथा कुण्डा नाला पर स्वीकृत पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[ मान्यवर, हरदोई जनपद की गर्रा नदी पर रामपुर मझियारा गांव के पास गर्रा नदी पर पुल, अब्दुलपुर के पास नीलम नदी पर पुल तथा टकापुरा गांव के पास कुंडा नाला पर पुल स्वीकृत है इन तीनों नदियों पर पुल बनवाने के माननीय मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट आदेश व निर्देश भी जारी हो चुके हैं। परन्तु अभी तक लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम ने कार्य प्रारम्भ नही किया है। अतः 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की जनता में काफी निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब पुलों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग करता हूं। ]

## जनपद गाजियाबाद के दादरी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावानुसार पांच गांवों की विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर–

[ मान्यवर, जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र दादरी के विद्युतीकरण हेतु 5 गांवों के प्रस्ताव मेरे द्वारा दिए गए थे जो शासन द्वारा मांगें गए थे, किन्तु अभी तक मेरे द्वारा प्रस्तावित गांवों में विद्युतीकरण की कोई कार्यवाही नही हुई है जिससे संबंधित गांवों के निवासियों में भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मैं इस अति लोक महत्व के निश्चित मत के विषय में पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही करने की मांग करता हूं। ]

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुपस्थित होने पर)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना अस्वीकार की गई।

## प्रत्येक विधायक को सौ हैण्डपम्प लगवाने संबंधी मुख्य मंत्री की घोषणा का पालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13-2-2004 को नियम -300 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है।

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय अध्यक्ष महोदय इसी सदन में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 100-100 हैण्ड पम्प दिए जाएंगें। इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में एक संदेश चला गया। अखबारों के माध्यम से जब इसको लगाने के लिए हम लोगों ने सूचना दे दी तो ग्राम्य विकास विभाग इससे अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि इस बावत कोई भी धनराशि प्राप्त नही हुई है। इस पर औचित्य के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो शासनादेश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है इस संबंध में आप निर्देश दे दें कि समस्त विधायकों की जानकारी के लिए पिजन होल में इसकी कापी लगवा दें। मैं विगत तीन चार दिन से इस विषय को उठा रहा हूं कि इस सदन में 19 विधायक शहरी क्षेत्रों के हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया लेकिन नगरीय क्षेत्र के लिए नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाना है जब से समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को यह बात मालुम हुई है लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे यहां हैण्ड पम्प लगाइए हमने जल निगम को सूची दे दी लेकिन नगर विकास विभाग ने कोई आदेश जारी नही किया मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह शीघ्र शासनादेश जारी करें।

*श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं इसके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए कुछ आगे बोलना चाहता हूं। जबसे इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने 100-100 हैण्ड पम्प देने की घोषणा की है उस समय न तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा हैण्ड पम्प दिए जाएंगें या नगर विकास विभाग द्वारा सारे के सारे विधायक चाहे वह नगरीय क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्रों के हों, जनता हमसे उम्मीद कर रही थी कि उनके लिए हैण्ड पम्प लगेंगे लेकिन जब नही लगे तो उनको लग रहा है कि विधायक लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं यहां पर नगर विकास मंत्री बैठे हुए हैं वह दूसरे नम्बर के मंत्री हैं नम्बर दो के मंत्री तो मैं नही कहूंगा आप मुख्य मंत्री की घोषणा को पालन करवाने में सक्षम हैं। मुख्य मंत्री की कंटीजेंसी तो बढ़ा दी गई लेकिन जो उन्होंने घोषणा की है उस पर एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है। अगर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी ही हैण्डपम्प नहीं लगे तो जनता आगे आने वाले दिनों में प्यासी मर जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री जी के पास नगर विकास विभाग भी है यह दूसरे नम्बर के मंत्री हैं। यहां पर सारे के सारे विधायकों को विश्वास है कि आज वह यहां घोषणा करेंगे। आपकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार नही है। उनके कहने पर नही लगा है, आपके कहने पर लग जायेंगे।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं जो बात माननीय बाजपेयी जी और महाना जी ने कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इससे पहले यह कभी नही हुआ है कि सदन में जो हैण्ड पम्प स्वीकार किये गये हैं उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का भेद भाव हुआ हो।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

यह बात आप कह रहे हैं ! आप यहां बैठते थे और हम वहां बैठते थे ....

मान्यवर, पहले जो 50 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाते थे वह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विधायकों को मिलते थे। अब यह जो 100 हैण्ड पम्प देने की घोषणा हुई है यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विधायकों को मिलने चाहिए, इसमें भेदभाव नही होना चाहिए जिससे गलत मैसेज जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम-300 में नही आती लैकिन माननीय सदस्यों की एक चिन्ता है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय सदसयों की जिज्ञासा सही है लेकिन यह बात सत्य से परे है कि पहले शहर के विधायकों को हैण्ड पम्प मिले । मैं भी नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठता था, इस बात के लिए काफी हंगामा होता था । मैं खुद मांग करता था कि शहर वाले विधायकों के लिये भी होना चाहिए । यह बात सही है कि नेता जी जो कहते हैं वह करते हैं । यह बड़ी असमानता है कि शहरों में जितना पानी की व्यवस्था है, बड़े-बड़े वाटर टैंक हैं, मोटर पम्प हैं, हैण्ड पम्प हैं लेकिन जो असल आबादी गांव में रहती है वह गंदे नाले का पानी पीते हैं कुएं भी नही है । वहां पर पानी की बहुत कमी है, जबरदस्त कमी है अगर उनके यहां नल लग रहे हैं तो हमारे शहरी विधायकों और ऐसे राजनैतिक दलों को जो शहरों तक ही सीमित हैं, उन गांव वालों के लिये भी सोचना चाहिए जिनके पास पानी की कमी है । आपका कहना बहुत हद तक सही है । जो भी नेता जी की घोषणा है उसका आदर होगा, उस पर अमल होगा ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी एक कहावत है कि अगर किसी बड़ी रेखा को छोटी करना है तो उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच देनी चाहिए । ग्रामीण क्षेत्र के लिये 150 और शहरी क्षेत्र के लिए 100 कर दीजिये, यह भेद भाव दूर हो जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपसे तो नही जीत पायेंगे ।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर विषय है । इन्होंने तब यह नही कहा था कि नगरीय क्षेत्र में पानी है, वहां पर नहीं दिया जायेगा । किन-किन क्षेत्रों में पानी है, इस बात को पहले चिन्हित कर लेना चाहिए । आप माननीय मुख्य मंत्री जी की बात का विरोध कर रहे हैं इसलिये मैं आपकी बात से सहमत नही हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा शत प्रतिशत लागू होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कहां कि उन राजनीतिक दलों को जो शहर तक सीमित हैं । मान्यवर, इनको भ्रम है, सुदूर अंचल और ग्रामीण अंचलों तक हमारा दल है । मैं नगर विकास मंत्री जी की बात सही मान लूं उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी जिस दिन वे सरकार में आये थे । बिना किसी राजनीतिक दल के भेदभाव के समान दृष्टि से यह घोषणा की थी । उनकी शपथ और घोषणा का भी उल्लेख है । कृपया इस तरह की बात न करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी माननीय सतीश महाना, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नही आती परन्तु यह अपेक्षा अवश्य है कि सदन में जो घोषणा की गयी है उसका अनुपालन करेंगे ।

**प्रदेश के विश्वविद्यालयों व राजकीय एवं अन्य महाविद्यालयों में बढ़ती हुई फीस वापसी की घोषणा का कार्यान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो विश्वविद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं लाखों की संख्या.....

श्री अध्यक्ष–

नियम-300 में नही आती है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

बजट भाषण में कहा गया है। सदन में उसके सन्दर्भ में कहा गया है। जब मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों से 1995 के स्तर पर शुल्क लिया जायेगा और बढ़ी हुई फीस को माफ किया जायेगा। 17 सितम्बर, 2003 को उन्होंने बजट भाषण प्रस्तुत किया था, उसमें भी यह बात कहीं गयी है। 14 नवम्बर, 2003 को बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बात कही गई है मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट में घोषणा की गई है उसको हम देख रहे हैं वह कब तक पूरी होगी। प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनकी शिक्षा का सवाल है। मैं भी शिक्षक रहा हूं शिक्षा में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार किसी पार्टी की हो शिक्षा क्षेत्र में सोचना चाहिए। दोनों बजट पढ़े गए हैं शिक्षा शुल्क कम कर दिया जाए, इसको स्वीकार करते हैं। इण्टरमीडिएट तक का शुल्क माफ करने की जो घोषणा की गई है यह शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की कमी को पूरा करने के लिए फीस माफ करने के लिए बजट में कहीं कोई व्यवस्था नही की गई है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए कई सौ करोड़ की आवश्यकता होगी इसकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष–

सामान्य चर्चा बजट पर जब होगी तब कहिएगा। यह नियम-300 में नहीं आता है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, गौर साहब को धन्यवाद आपसे शिक्षा मिली आपका निर्देश हुआ है असमानता नहीं होनी चाहिए शिक्षा के मामले में एकसा बरताव होना चाहिए। इस सरकार पर शिक्षा शिक्षकों छात्रों की समस्याओं के संबंध में शुबहा है, आपका मन भारी है तो इसमें खुद की कम नसीबी समझी जा सकती है और क्या हो सकता है हम तो यह समझे शायद आप यह बात मुस्कुराकर कह देते अगर मुस्कराकर कह देते तो मन थोड़ा हल्का हो जाता। आपने सीख दी है। आपसे आपके पड़ोसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

## पूर्वांचल विकास निधि जिला अंश के अन्तर्गत विकास कार्य के प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के संबंध मे औचित्य का प्रश्न

*श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल निधि का जिलांश का हिस्सा पांच महीने के प्रस्ताव के बाद वहां के मुख्य विकास अधिकारी ने आयुक्त को भेजकर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति नहीं दिलवाई है जो प्रस्ताव पांच महीने पहले से पड़ा था उसके विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है । ग्राम्य विकास अधिकारी से कहा गया, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग से कहा गया, सचिव नियोजन को पत्र लिखा गया । प्रभारी मंत्री को कहा गया लेकिन जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति पांच महीने होने के बाद भी नहीं हुई है । एक विधायक पूर्वांचल निधि से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव देता है जनप्रतिनिधि का प्रस्ताव आये तो 45 दिन के अन्दर कार्यवाही करनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए लेकिन पांच-पांच महीने होने के बाद भी मुख्य विकास अधिकारी आयुक्त के पास भेजकर वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति नहीं करा रहे हैं । जिसके कारण क्षेत्रीय विकास रुक गया है और यह विधायक और विधायिका का अपमान है । जिला कमेटी में प्रभारी मंत्री के समक्ष भी इस मामले को उठाया था लेकिन पांच महीने हो रहे हैं कुछ दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, यह नहीं हो पाएगा । पूर्वांचल के जिलांश का हिस्सा विधायकों को दिया जाता है 45 दिन में निश्चित रूप से स्वीकृति होनी चाहिए पांच महीने से प्रस्ताव पड़ा हुआ है । इस पर मैं माननीय अध्यक्ष जी आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम-300 में तो नहीं आती लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस प्रकरण को दिखवा लीजिए और यदि कोई निर्देश भेजना है तो भिजवा दीजिए । डा० विनोद तिवारी और श्री श्यामदेव राय चौधरी की सूचना अग्राह्य की जाती है क्योंकि प्रथम दृष्टया यह नियम-300 में नहीं आती ।

मद संख्या–2, 3, 4 और 5 में कुछ नहीं है ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 फरवरी, 2004 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं । पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता खेती के काम में लगी रहती है और उसी से हमारे प्रदेश की समृद्धि भी जुड़ी हुई है । लेकिन खेद का विषय है कि इसके मूल में नैतिक पतन है कि विभिन्न स्तर पर लोग व्यक्तिगत फायदे के लिए धृष्टता करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं । चाहे नकली दवा बनाने का काम हो, नकली तेल बेचने का काम हो या नकली खाद बनाने और उसके बेचने का काम हो । इसी सन्दर्भ में मेरा यह नियम–56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है कि प्रदेश के अन्दर बहुत से व्यापारी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए और वृहद् जनहित की अनदेखी करते हुए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी क्रम में नकली खाद बनाने और बेचने का काम भी कर रहे हैं । इस दिशा में सरकार को सक्रिय होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जो लोग इस नकली खाद बनाने के काम में लगे हुए हैं उन्हें रोका जा सके । यह लोग किसानों को लूट रहे हैं और भोले-भाले किसानों को कुछ सस्ती दर पर यह खाद बेंच रहे हैं तथा किसान इसे सस्ती खाद समझ कर खरीद रहे हैं । वे उसका प्रयोग करते हैं जिससे उनके खेत, फसल और आर्थिक नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है ।

मान्यवर, इसी प्रकार की एक घटना प्रकाश में आयी है । 180 बोरी नकली खाद एक ट्रक में लाद कर असली खाद के रूप में बेचने के लिए भेजी जा रही थी, उसे पुलिस ने पकड़ा है, सराहनीय कार्य किया है । रामबाग फर्टिलाइजर एक संस्था है और अध्यक्ष महोदय नकली खाद होती तो भी चल जाता लेकिन एक अरोड़ा केमिकल्स गजरौला है, वहां की मिट्टी बाइप्रोडक्ट को खाद के रूप में पैक करके ट्रकों में भेजा जा रहा था । पुलिस को कामयाबी तब मिली जब उसे सूचना मिली कि परसाखेड़ा किसान फर्टिलाइजर सेण्टर पर यह काम हो रहा है और रामबाग फर्टिलाइजर के बोरों में पैक करके उसको बिक्री के लिए भेजा जा रहा है । पुलिस ने छापा मारा और उसे यह कामयाबी मिली । जो ट्रक पकड़ा गया है उसका नम्बर एचआर-38, बी 6949 है । मान्यवर, मेरा सूचना के माध्यम से इतना आशय है कि जो पुलिस और विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस और अधिक सक्रिय हो । मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसमें पुलिस और विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इस तरह के गलत काम में संलिप्त हैं उन पर रोक कठोरता से लगायी जाय । यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है कि हम लोग जनता से खाद से भी खिलवाड़ कर रहे हैं । इस परिस्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है । शासन और प्रशासन को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और इस तरह की जो नकली खाद बना रहा हो, नकली दवा बना रहा हो, नकली तेल और खाद्य सामग्री बेच रहा हो और जनजीवन से खिलवाड़ कर रहा हो उनको पकड़ें और उनको कानून के अन्तर्गत कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । मैं इस अन्तिम महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का सारा काम रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ताकि इस प्रकार के काम में लगे लोगों पर कानून के तहत रोक लगायी जा सके और उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जा सके ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रकरण उठाया है वह गंभीर ही नहीं बल्कि गंभीरतम है । यह सही है कि नैतिक पतन हो रहा है लेकिन इस बात पर खुश होना चाहिए कि एक गलत काम को जो पहले से हो रहा था और इसे पहले से रोका जाना चाहिए था । इतना बड़ा काम कोई 2-4 महीनों में नहीं हुआ होगा यह पहले से वर्षों से चल रहा होगा और उसमें उन्हें कहीं संरक्षण प्राप्त होगा और पुलिस को भी कहीं संरक्षण प्राप्त होगा । वरना बोरों में खाद की जगह मिट्टी भरी जाये पुलिस ने अब उसे पकड़ा है आपने भी इसकी सराहना की है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जो काम बहुत पहले से हो रहा हो उसे इस सरकार ने रोका है । सख्ती से इन कामों को रोका जाना चाहिए । जो पकड़े गये हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आगे ऐसा न हो इसके लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी और अगर कोई ऐसा करेगा तो कानून अपना काम करेगा जो कानून ने शायद पहले नहीं किया होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर श्री श्याम देव राय चौधरी और संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी, 2004 को कार्मिक विभाग-2 से एक शासनादेश जारी किया था उसमें उन्होंने सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों को यह सूचित किया कि शासन ने भर्ती पर लगी रोक का शासनादेश दिनांक 29 अगस्त, 2003 को वापस ले लिया है और उस शासनादेश में यह अपेक्षा की गयी थी कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दें । इसके बाद यह था कि जहां भर्ती पर रोक है और भर्ती की आवश्यकता है उन पर भर्तियां की जा सकती हैं यह आदेश था । इस तरह यह अपेक्षा की गयी थी कि शासन के प्रमुख सचिव और सचिव अपने विभागाध्याक्षों को मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को यह निर्देश दें कि विभाग में जनहित में यह-यह पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती जरूरी है और यदि आवश्यक हो तो शासन के निर्देशानुसार भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ कर दें लेकिन ऐसा नहीं हुआ । मैं उद्धरण देना चाहता हूं कि सभी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं । सफाई कर्मचारी सीधे जनसेवा से जुड़े होते हैं । शहरी क्षेत्रों का तो विकास हुआ है लेकिन भर्ती नहीं हुयी वह उतने ही हैं । जो क्षेत्र विकसित हो गये हैं उनमें मैनडेज एवं संविदा पर काम कराने का शासनादेश है । मैनडेज पर एवं संविदा पर काम कराने से जहां अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर है । मैं उदाहरण देना चाहूंगा मेरठ नगर निगम का । पिछले सत्र में जो वहां पर मैनडेज के नाम पर काम कराया गया उसका एक करोड़ चार लाख रुपया का भुगतान हुआ । इस भुगतान में 600 नियमित कर्मचारी रखे जा सकते थे और मेरठ नगर निगम में सात सौ स्वीकृत पद हैं । तो मैनडेज के नाम एक करोड़ चार लाख रुपया इसका दूसरा पक्ष यह है कि वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, का भुगतान हो, इसका नकद भुगतान किया जा सके । लेकिन हम जैसे लोगों ने कहा कि जिन्होंने काम किया उनका भुगतान चैक से किया जाना चाहिए ।

तद्नुसार मण्डलायुक्त ने चैक से भुगतान करा दिया । चार महीने से चैक रखे हैं और अभी ढाई लाख के ही चैक उठकर गये हैं और एक करोड़ डेढ़ लाख के चैक वहां पर पड़े हैं । इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई व्यक्ति आया नहीं । तो इस तरह से एक करोड़ डेढ़ लाख का वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है । तो मेरी यह मांग है कि 15 जनवरी, 04 को भर्ती संबंधी जो आदेश हुए हैं उसके आधार पर नगर विकास सचिव यह आदेश जारी करें इस प्रतिबंध के साथ कि इसका व्यय भार शासन वहन नहीं करेगा राज्य वित्त आयोग करेगा । जिस स्थानीय निकाय में जो स्वीकृत पद और रिक्त पद हैं उन पर नियमित भर्ती करायी जाये और उन्हें संविदा या मैनडेज पर काम नहीं कराया जाय । साथ ही जो प्रक्रिया है उसके आधार पर भर्ती की जाय । इससे नियमति सफाई कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे और उससे उनमें अनुशासन होगा, नियमों के अन्तर्गत वह काम करेंगे, नियमित सफाई होगी एवं उनकी जवाबदेही होगी और जो भ्रष्टाचार होता है वह नही हो पायेगा । इस एक करोड़ चार लाख में छः सौ नियमित कर्मचारी हो जायेंगे और शासन पर भी कोई व्यय भार नहीं होगा । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह पूरे प्रदेश के जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है इस पर सारे सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाय । राज्य वित्त आयोग इसका भुगतान करेगा यह आदेश जारी करा दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारे साथी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने बार-बार मेरे विभाग में भ्रष्टाचार की बात कही है। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह इशारा किसकी तरफ है, किससे उनकी शिकायत है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह साल भर पहले का मामला है। आपको तो अभी पांच छः महीने ही हुए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किसकी तरफ यह इशारा कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है मैं इसको दिखवा लूंगा। जहां की यह बात कर रहे हैं वहां पर कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच होनी है। अगर वहां पर चैक रखे हुए हैं और उनको कोई लेने वाला नहीं है तो यह पता लगाया जायेगा कि क्यों वह वहां पर पड़े हैं और क्यों नहीं दिये गये। यह भी हो सकता है कि लेने वाला मजबूरी वश न आया हो। लेकिन आपकी सुबहा से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। भर्तियों के संबंध में आपने फरमाया है तो उसमें जी०ओ० जारी हुआ है। लेकिन बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां चरणों में हुआ है। पहले चरण में यह है कि कितनी रिक्तियां हैं। मान्यवर, सफाई कर्मचारियों का मामला बड़ा गम्भीर है, बड़ा संवेदनशील और बड़े दुःख का विषय भी है। आपको यह जानकर बिल्कुल अचम्भे में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप तो विद्वान हैं, नियम-कानून जानते हैं अदालत की भी जानकारी है। बाराबंकी जो आपके लखनऊ के बहुत नजदीक है वहां पर 28-29 महीनों से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। मान्यवर, यह बहुत ही दुःखद विषय है वह सफाई कर्मचारी जो हमारी गन्दगी उठाते हैं, साफ-सफाई करते हैं उन्हें 28-29 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मान्यवर, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी अच्छी तरह से जानते हैं यह जो नगर निकाय हैं, यह सीमित संसाधनों वाला निकाय है, उसमें इन लोगों को इन सीमित संसाधनों के चलते पूरी तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। सरकार की तरफ से इन निकायों को जो अनुदान दिया जाता है, उसमें यह निकाय अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं। मान्यवर, आप तो जानते हैं कि जो वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है या जो अन्य टैक्स हैं उनकी कितनी आदायगी है। बड़े अधिकारियों की तो बात ही छोड़ें होमगार्ड तक तो टैक्स देना नहीं चाहता है, कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता है। मान्यवर, मेरी नीयत से लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं इसमें सुधार चाहता हूं और मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की नीयत पर मुझे जरा भी शक नहीं है सुई की नोक के बराबर भी शक नहीं है। मान्यवर, जब एक करोड़ चार लाख रुपये के भुगतान की क्षमता निकाय की है, जिसको अभी तक कोई लेने भी नहीं आया है। तो मान्यवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यदि वह विभाग उसका भार स्वयं निर्वहन करने की क्षमता रखता है, या जो भी स्थानीय निकाय इस व्यय भार को निर्वहन कर सके, तो वहां पर नियमित कर्मचारियों को रखने की अनुमति यह शासनादेश के तहत दे दें, तो अच्छा होगा। मान्यवर, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर विचार कर लेंगे तो अच्छा हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी बिल्कुल कर लेंगे। हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम इकबाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जो इस देश और प्रदेश का भविष्य है उन नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के बारे में कहना चाहता हूं जो करोड़ों नौजवान अन्धकार में डूबे हुए हैं, इन नौजवानों के साथ हर समय वोट बैंक की राजनीति की जाती रही है और यही वोट बैंक की राजनीति उन्हें नष्ट कर रही थी, मान्यवर, जब जे०पी० मूवमेंट चल रहा था तो हम लोग भी उसमें शामिल थे, बिहार में जब बेरोजगारी को लेकर आन्दोलन चल रहा था और सरकार ने इमरजेन्सी लागू कर दी थी तो लाखों नौजवान जेल गए, और 1989 में भी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नौजवानों को रोजगार का नारा दिया था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भी उनका कार्यक्रम हुआ था, जन मोर्चा के बैनर तले। तब यह कहा गया था कि भारत में 60 हजार करोड़ रुपये की जो ब्लैक मनी है अगर वह बाहर आ जायेगी तो उससे बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे।

मान्यवर, उस ब्लैक मनी का आज तक पता नहीं लगा। उस ब्लैक मनी पर किसी सरकार ने आज तक हाथ नहीं डाला है। आज हिन्दुस्तान का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में है, आज समाजवाद और कम्युनिज्म की चर्चा खत्म हो रही है। हमारे देश के नौजवानों के भविष्य की चाबी इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में है, इन्हीं उद्योगपतियों के पास सुरक्षित है। वह बिजली देंगे तो बिजली मिलेगी, पानी देंगे तो पानी मिलेगा, वह रोटी देंगे तो रोटी मिलेगी। मान्यवर, आज बेरोजगारी की जो स्थिति है वह हम सब को पता है, रिक्त पद तमाम पड़े हुए हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। एक लाख के आसपास शिक्षकों के पद खाली हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने 1200 करोड़ रु० उत्तर प्रदेश को दिये थे। इसके पीछे भावना यह थी कि कोई बच्चा निरक्षर नहीं रह जायेगा और 14 साल के नीचे के सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि 31 फरवरी, 2003 तक उत्तर प्रदेश में 46 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और 67 हजार शिक्षा मित्रों को रोजगार में लिया जायेगा लेकिन वह आज तक नहीं हुआ है। बजट में उनका जिक्र है। मान्यवर, जो बी०एड०, एल०टी० पास नौजवान हैं उनको जिस ढंग से समायोजित करने की बात है उसी आधार पर मेरा कहना है कि बी०पी०एड० और सी०पी०एड० नौजवान जो नौकरी पाने का इन्तजार कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि माननीय मुलायम सिंह जी की यह सरकार हमको नियुक्त करेगी। क्योंकि पिछली सरकारों ने इन नौजवानों को प्राथिमिक विद्यालयों में बी०पी०एड० और सी०पी०एड० की नौकरी देने की बात कही थी और कुछ को नौकरी दी थी।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, आज समाज में बहुओं को जलाया जाता है। महिलाओं को जलाने का काम किया जाता है। वह महिलाएं किसी की बेटी हैं या बहन हैं। हम चाहते हैं कि आज समाज में दहेज की मुक्ति के लिये क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपका जो प्रश्न है यह रोजगार और नौकरी देने से सम्बन्धित है।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं इसी सिलसिले में कह रहा हूं कि जो लड़कियां बी०पी०एड० और सी०पी०एड० किये हैं । उनको शिक्षा मित्र के रूप में नौकरी मिले और 67 हजार नियुक्ति होने वाले में शत-प्रतिशत उन लड़कियों को स्थान मिले ताकि उन्हें और उनके मां-बाप को दहेज से मुक्ति मिल सके ।

मान्यवर, इसी तरह से जो 46 हजार अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है उसमें 33 प्रतिशत उनको स्थान मिले । मान्यवर, आज बी०पी०एड० और सी०पी०एड० किये हुए लड़कियां प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक होना चाहती हैं वह धरना प्रदर्शन कर रही हैं । विधान सभा के सामने भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन बी०पी०एड० और सी०पी०एड० पास लड़कियों को इन नियुक्तियों में सम्मिलित कर लिया जाय और दहेज जैसे सामाजिक अपराध से मुक्ति दिलवायी जाये । मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है उसमें सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करा दी जाये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत सी समस्यायें यहां उठा दी हैं । समझ में नहीं आता कि कहां से छेड़ूं और कहां से फंसाना समाप्त करूं । आज उद्योगपतियों से नाराज हैं और दूसरे वर्गों से भी नाराज हैं । हमसे भी नाराज हैं । लेकिन हम तो आपसे खुश हैं । इसमें परीक्षण करा लिया जायेगा और न्यायोचित कार्यवाही होगी । यह नियम–56 में नहीं आता है इसलिये अनुरोध है कि कृपया इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम इकबाल सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इलाहाबाद एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का शहर है । यहां माघ मेला होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में, गंगा स्नान करने आते हैं । माननीय अध्यक्ष जी आप भी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं । आपको विदित है कि वहां पर लाखों लोग नहाते हैं और वहां जो प्लास्टिक की पालीथीन इस्तेमाल होती है मुख्य मेला क्षेत्र के अन्तर्गत तो वह पालीथीन और अन्य कचरा गंगा जी की तलहटी में गाड़ दिया जाता है और उसके कारण से इस बार जब माघ मेला के समय गंगा में कटान आई थी तो देखा गया कि बहुत मात्रा में कचरा गंगा जी की पवित्रता को नष्ट कर रहा है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है । हम जितने भी व्यक्ति यहां हैं सभी इस बात से सहमत होंगे कि आज प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, इसे कैसे रोका जाय ? गंगा जी का अपना महत्व है, उसकी पवित्रता है, उसमें सैकड़ों टन कचरा जो पोलीथीन या प्लास्टिक के रूप में होगा आज गंगा जी की तलहटी में समाया हुआ है । आज से 15-20-25 साल पहले से जो कचरा मिट्टी में गाड़ दिया जाता था वह मिट्टी में समा जाता था लेकिन पालीथीन नष्ट नहीं होती और इसकी कटान से जब यह गंगा जी में आता है तो उसकी पवित्रता नष्ट होती है । मैं कहना चाहता हूं कि जितना महत्वपूर्ण यह स्थल हैं एक दो जगह की बात नहीं है लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थल है । लाखों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं । प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं गंगा जी की पवित्रता बनी रहे इसके लिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर प्रदूषण से मुक्त करने की कार्यवाही करनी

चाहिए यह तात्कालिक है । अभी हाल ही में माघ मेला हुआ है इसलिए यह अविलम्बनीय है । मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माघ मेले की समस्या की तरफ आपने ध्यान आकृष्ट कराया है । आपको अन्दाजा होगा कि इस बार मैंने कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ करना चाहा था, उसका इन्तजाम देखा था । पहले भी गया, माघ मेले के समय में भी गया, स्पाट पर नहीं गया क्योंकि बी०आई०पी० के जाने से दिक्कत होती है । उस समय ज्यादा ठण्ड पड़ रही थी । अलाव लगवाया गया था, विभाग की तरफ से चाय काफी की सुविधा का भी इन्तजाम कराया था जो पहली बार हुआ था । लेकिन, जहां तक पोलीथीन बैग का मामला है यह कानून में है लेकिन यह एक सामाजिक बुराई है जब तक खुद समाज को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । यह पोलीथीन किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्हीं श्रद्धालुओं ने जो गंगा जी में स्नान करने आये थे, उन्होंने ही फेंका था, तो इसके लिए जागृति पैदा करने की जरूरत है । नियमानुसार जो भी है व्यवस्था की जायेगी । लेकिन इसके लिए कोई खास जगह तय हो और लोग वहीं इसको फेंकें इसका विशेष ख्याल रखा जाय । पालीथीन को एक खास जगह इकट्ठा कर डिस्ट्राय किया जाय ताकि गन्दगी न बढ़े । यह एक गंभीर मामला है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सफाई अभियान चला कर वहां सफाई की व्यवस्था करायेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कराता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

डा० नरेन्द्र कुमार सिह गौर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री ओ०पी० सिंह की है ।

* श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस समस्या को सदन में हम लोग कहीं न कहीं कुछ बातों को विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं और कहीं न कहीं जो लोकतांत्रिक ढांचा है इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने और मनवाने का एक तरीका है । इस देश में आन्दोलन चला गोलियां तक भी चली । आज औरैया में जिला बचाओ आन्दोलन में प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से 300 राउण्ड गोलियां चलाई गयी उससे विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी और इस आन्दोलन ने और उग्र रूप धारण कर लिया । जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए वहां जा रहे थे । जनता आक्रोशित थी और जो नेतृत्व कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक उसका आन्दोलन चला रहे हैं औरैया जनपद को बचाने के लिए और तमाम कार्यकर्ता और जिले की जनता थी । कल हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने की नीति बने, इसके लिये गोलियां न चलें । ए०के०-47 से गोली की बौछार न कर दी जाय । लोगों ने वहां काले झंडे दिखाये और जगह-जगह आक्रोश प्रदर्शन भी किया, इतना सब लोकतंत्र में होता है । इससे पहले भी आजादी के समय तमाम सत्याग्रह और आन्दोलन चले, लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार अपना संघर्ष किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जिले में कहीं कोई आन्दोलन चल रहा हो तो पुलिस को संयम बरतना चाहिये । पिछली बार का हम लोगों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

याद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया था, कुछ मसले पर नाराज हो गये, यह कहा गया कि इनके मंत्री जहां मिले घेर लो, यह सड़क पर चलने न पावे । अब सारे मंत्री दहशत में थे कि हम सड़क पर जायेंगे तो पता नही क्या हो जायेगा ? सत्ता पक्ष के ही कुछ लोग वहां अपनी मांग के लिये आन्दोलन कर रहे थे, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे लेकिन लोकतंत्र में आवाज को दबाने के लिये गोली, बन्दूकों से दबाने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से गांधी जी का सपना साकार नही हो सकता ।

इसलिये मैं बड़े अदब के साथ इस बात पर बल दे रहा हूं कि अगर यह स्थिति बनती गयी, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, धरना प्रदर्शन करने के लिये हर दल का कोई न कोई सिस्टम है । लोग तमाम तरह से प्रदर्शन करते हैं काले झंडे पीले झंडे दिखाये जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस संयम खो दे लोगों को गोली मार दे, 3-3 को मार दिया जाय, तुरन्त आंसू गैस और लाठी चार्ज करा दे तो ऐसा नही होना चाहिए । कहीं न कहीं पुलिस निरंकुश हो चुकी है । चाहे यह सरकार के निर्देश पर हो कि धरना-प्रदर्शन आन्दोलन को दबाने के लिये चाहे जितना बल प्रयोग करो । मान्यवर, पुलिस और जनता के बीच थोड़ा सा बैलेन्स की स्थिति होनी चाहिये इतना जल्दी संयम खोने की जरूरत नही थी, तमाम जगह ईंट-ढेले आदि चल जाते हैं । गोरखपुर में सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो 8 बसों को जला दिया था, जबकि एक बस 7-8 लाख की आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां गोलियां नही चली । इस तरह नहीं हुआ कि गोलियां चलाकर लोगों को मार डालो । औरैया में 300 राउण्ड गोलियां चलीं । ऐसा तो था नहीं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं । जिले के खत्म होने से वह लोग परेशान थे, वह लोग कह रहे थे कि इस जिले को रहने दिया जाय, जिला बचाओ आन्दोलन उनका कई महीने से चल रहा है, इसके लिये ही वह धरना प्रदर्शन किये । पुलिस और जनता के बीच इस तरह की स्थिति न बने, इस पर विचार होना चाहिये । आज इस विषय पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि रोज कही न कहीं ऐसा हो रहा है, रोज खबर आती है कि जनता की पुलिस से मुठभेड़, 50 राउण्ड गोली चली, कही इतने राउण्ड गोली चली । यह वातावरण जो बन रहा है, यह अच्छी बात नही है । मान्यवर, औरैया में पुलिस द्वारा मकानों में घुसकर लोगों को पीटा गया और सिविल जज के साथ भी झड़प हुयी । न्यायपालिका पर भी आक्रमण किया गया । जनता और पुलिस के बीच में जो इस तरह का माहौल बन रहा है, गोलियां चल रही हैं, यह ठीक नही है, और यही इस विषय की ग्राह्यता है, आप कभी-कभी इस तरह के विषयों पर चर्चा करा दिया करें, वरना सारी व्यवस्था कोलेप्स हो जायेगी । आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस गंभीर विषय पर अवश्य चर्चा करा दें ताकि सत्ता पक्ष के भी अच्छे विचार आवें और अन्त में यही कहना है कि धरना-प्रदर्शन में पुलिस जनता के साथ पूरा संयम बरते ।

* श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री सुखदेव राजभर जी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं । मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने.....

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नही है । यह लिखा नही जायेगा । माननीय संसदीय कार्य जी आप उत्तर दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही नही है । राजभर जी की सूचना सही नही है और उन्हें इस पर चिन्तित नही होना चाहिए कि अराजकता के हालात हैं, बिल्कुल कानून का राज स्थापित है । कल मैंने जो कहा था, वह शायद मैं कम अकली की बिना पर समझा नही पाया हूं । मेरा कहने का मतलब था कि अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसके लिए कानून है । मैंने यह नही कहा था कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाय । यह कानून की सरकार है अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसके लिए कानून है, कानून काम करेगा लेकिन अराजकता फैलाना किसी का अधिकार नहीं होगा । पथराव करके आपकी पीठ पर बैठने वाले अध्यक्ष जो जख्मी हैं, जिनको चोटें आयी हैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया । यह भी कहना चाहिए था कि पथरावकारियों ने पथराव करके एक ऐसे व्यक्ति को जो यहां की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हो, उनको जख्मी किया है । आपको उसकी निन्दा करनी चाहिए थी । इस मामले को अवश्य दिखवा लिया जायेगा लेकिन विरोध के नाम पर मांग के नाम पर किसी को अराजकता फैलाने की कोई इजाजत नहीं है और मान्यवर, यह नियम -56 में नही आता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस मामले की जो गम्भीरता है उसके विषय में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि औरैया जनपद में वहां के लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे । आक्रोश जाहिर करने का तरीका लोकतांत्रिक था, लोगों ने अपने घरों पर काले झण्डे लगा रखे थे और झण्डे लगाने की वजह से सरकार ने आन्दोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए गोलियां चलाने का काम किया है । अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे प्रदेश में गुण्डाराज फैलाना चाहती है और उनकी आवाज को दबाना चाहती है । अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां गोलियां चलायी गयी.....

(शोर/व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि .....

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, इनके शासन काल में लोकतंत्र पर हमला हुआ है, गोरखपुर में पड़रौना में हमला हुआ । मायावती के शासन काल में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया ।

(सदन में कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी स्थिति नही आनी चाहिए जिसमें हम किसी माननीय सदस्य को इंगित करें । वाद-विवाद करने का यह तरीका नहीं है कि माननीय सदस्य एक दूसरे से आपस में बात करें । जब भी कोई बात होती है तो माननीय अध्यक्ष को संबोधित करके किया जाता है । जब दो मिनट में बात समाप्त हो रही है तो यह उचित नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि नव-सृजित मण्डल और जनपदों के सामप्ति पर जो जनाक्रोश है उसका एक प्रतीक मात्र था कल औरैया में । जिस दिन से जिलों और मण्डलों के समाप्ति की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है तब से लेकरके लगातार, निरन्तर वहां के लोग आन्दोलन पर हैं । कल पहला दिन आन्दोलन का नही था, यह आन्दोलन निरन्तर चल रहा था ।...

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मौर्या जी को बोलने की बीमारी है, इनका इलाज करवा दें ।

(शोर/व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, प्रजातांत्रिक तरीके से चल रहे आन्दोलन की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से वहां पुलिस ने तीन सौ राउण्ड गोलियां चलायी है जिससे कई लोग घायल हुये हैं । लोग अपनी छतों पर थे उनको भी गोलियां लगी हैं ।.....

(सत्तापक्ष से श्री जियाउद्दीन रिजवी के बोलते रहने व सदन में शोर/व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12:15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

12 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

(12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट मेरी बात सुन लें । देखिये सुखदेव राजभर जी ने विस्तारपूर्वक बात कह दी है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया । एक मिनट में आप अपनी बात कहना चाहें तो बड़े संयमित शब्दों में, बिना उत्तेजित हुए ठीक है कह लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदेश में, लोकतंत्र में सभी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का संवैधानिक मौलिक अधिकार है । औरैया में वहां के लोग जिलों की समाप्ति के बाद से लेकर आज तक निरन्तर आन्दोलन कर रहे थे, औरैया जिले की बहाली की मांग को लेकर । समर्थन की गम्भीरता इसी से नजर आती है कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी स्वयं आन्दोलनकारियों के साथ में जिले की बहाली की मांग कर रहे थे । मान्यवर, औरैया के लोगों ने गलती क्या कर रखी थी, कि उन लोगों ने अपने घरों पर काले झंडे लगा रखे थे । वे काले झंडे लगाकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे क्योंकि कल माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम था वहां पर । अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध करना और उस विरोध को दबाने के लिए 300 राउण्ड

गोलियां चलाई गई । मान्यवर, वहां पर पाल समाज का लड़का घायल हुआ । अप्रजातांत्रिक तरीके से कोई आन्दोलन करता है तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए हम इसको स्वीकार करते हैं । कोई घर पर काले झण्डे लगाए और तीन सौ राउन्ड गोली चलाई जा रही हों तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है । ए०डी०जे० के सामने सुरक्षा कर्मी चपेट में आए जिस कारण वहां पर अफरा-तफरी मच गई औरैया में जिले की मांग को लेकर धरना आन्दोलन पर लोग उतर आए हैं इसको देखते हुए मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री अध्यक्ष–

सुखदेव राजभर जी और स्वामी प्रसाद मौर्या जी जो सुनने के बाद .....

* मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)––

मान्यवर, मैं कुछ बोलना चाहता हूं । अच्छा होता यह खुद मौके पर गए होते । संवैधानिक अधिकार है कि काले-झण्डे दिखायें । हम जाते हैं काले झण्डे दिखाये जाते हैं तो हम खुश होते हैं कि हमारी इतनी हैसियत हो गई कि वह काले-झण्डे दिखाने लगे, हमें उन नेताओं के अलावा कोई नजर नहीं आया जिन्हें काले-झण्डे दिखाए गए हों, हमें देश के प्रधानमंत्री अटलजी को काले झण्डे दिखाए तो अच्छा लगा कोई ऐसा देश में है जिसको काले-झण्डे दिखाए जा रहे हैं । इससे पहले नेहरू जी को काले झण्डे दिखाए गए, इन्दिरा जी को काले झण्डे दिखाए हवाई अड्डे पर पिटाई भी हुई, तो खुशी होती है काले झण्डे दिखाने पर । अध्यक्ष जी, आप कानून विद हैं क्या किसी को सभा रोकने का संवैधानिक अधिकार है ? अगर है, तो यह है कि उसके बराबर उससे बड़ी सभा करें सभा असफल होने की योजना बनी । सुबह नौ बजे तक सूर्य दिखाई नहीं दिया लेकिन हजारों की तादाद में लोग वहां थे । औरैया जितनी बड़ी सभा कहीं नहीं हुई (मेजें थपथपाई गयीं) लोगों पर ईंटा पत्थर चले, छतों पर से ईंटा पत्थर चले । जो मकान थे, झोपड़ियां थी, घरों की छतों से पत्थर फेंके गए, जितनी फायरिंग कर सकते थे, की गई धनीराम वर्मा जी आपके आसन पर बैठते थे हम उनकी ईमानदारी पर उनकी सच्चाई पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं । वह खून से लथपथ थे, उनको पत्थर मारा गया, उनकी पसली पर चोट आ गई जब कार्यकर्ताओं को मैंने खून से रंगा हुआ देखा तो मुझे पता चला कि कुछ हो गया है । यह स्थिति थी वहां पर । आप मिठाइयां बांटने की बात करते हैं, औरैया के आस-पास के जिलों में कहीं मिठाइयां नहीं बटी हैं । मैं कहना चाहता हूं, कुछ पत्रकार लोग है, हम पत्रकारों का बहुत आदर करते हैं लेकिन कुछ पत्रकार हैं, उनके लिखने से यह सदन नहीं चलेगा । मैंने लोक सभा में भी कहा था कि अखबार से लोकसभा और विधान सभा नहीं चलेगी, आप मौके पर जाइये, कितनी पुलिस घायल है, फिर भी पुलिस ने संयम बरता क्योंकि हमारे निर्देश थे । कहीं पर गोली नहीं चली, पुलिस की तरफ से एक फायर नहीं हुई । जिले का जहां तक सवाल है, पता है जिले की क्या हालत है, हम अपने कार्यकर्ताओं को संयम से रहने की अपील करके आये हैं । मैं फिर कहना चाहता हूं वहां एक पत्रकार हैं, तमाम जमीन ले रखी है, जमीन लेकर प्लाटिंग कर रहे हैं, उनका प्लाटिंग का नुकसान हो जायेगा इसलिए वह लिख रहे हैं । जो लिखने वाले हैं, उनकी जमीन कितनी है, पता कर लीजिए प्लाटिंग का नुकसान हो रहा है । नुकसान तो हमारी पार्टी का हुआ है, वहां पर हमारे विधायक हैं ।

हरित प्रदेश का जब आन्दोलन चला तो मैंने इजाजत दी थी कि आप वहां जायें और अपना आन्दोलन चलाये । इसमें आपको क्या परेशानी है, अगर हमारा विधायक परेशान है तो हम परेशान होंगे और हमारी पार्टी होगी । अध्यक्ष जी, हमें अफसोस होता है, भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष, धनीराम वर्मा जी इस गरिमापूर्ण आसन पर बैठ चुके हैं, वह घायल हैं, पुलिस के लोग भी घायल हैं, फिर भी पुलिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने कोई कार्यवाही नहीं की । रिपोर्ट तो लिखी जायेगी, इससे आप चिन्हित क्यों हैं ? किसी सभा को करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं हैं, आप सभा रोकने वालों के पक्ष में बोल रहे हैं । सभा करने का मौलिक अधिकार संविधान में प्राप्त है, रोकने का अधिकार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा काले झण्डे लगा दीजिए, इससे सरकार को नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगे इसके लिए बच्चे को काला धागा पहनाया जाता है, यहां भी कितने ही लोगों ने काले धागे पहन रखे हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

आजम खां साहब भी काली शेरवानी पहने हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष जी, सभा को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, न ऐसी कोई गम्भीर घटना है, हम लोग भी बैठे हैं, आप हवा न दीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे । अध्यक्ष जी कितने अधिकारी घायल हुए हैं, हम आपको दिखा देंगे । गाड़ियां जली है, सम्पत्ति का नुकसान हुआ है । हम चाहते हैं कि आप मौके पर गये होते । 6 गाड़ियां तोड़ी गयी हैं । माननीय धनीराम वर्मा जी की गाड़ी को जलाने के लिए निकल पड़े थे । जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे उसकी छवि क्या है यह तो पता लगाइये । कैसे-कैसे केस हैं और कितने-कितने केस हैं । इसलिए जब आप बोलिये पूछताछ करके बोलना चाहिए । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे प्रार्थना है कि आप इसको नियंत्रित करिये । यह आपसे प्रार्थना है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री हुकुम सिंह अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हमने आपसे पूछा कि आपत्ति क्यों हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपत्ति नहीं है । ऐसे सदन नहीं चलता है आपको समझना चाहिए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुखदेव राजभर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री ओ०पी० सिंह जी को इसके पक्ष में तथा मा० संसदीय कार्य मंत्री तथा मा० मुख्य मंत्री जी को इसके विरोध में सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(असन्तुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष–

इसका पहले से आभास था । बहिर्गमन हो गया । कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक समय पर उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को जिले में जाकर के आन्दोलन में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस आन्दोलन में भी अपनी पार्टी के विधायक को हिस्सा लेने की अनुमति दी है ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसे निर्देश कौन देता हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने अपने लोगों को कभी इस तरीके से पत्थर चलाने की अनुमति नहीं दी । बल्कि हमारे लोगों ने अपने हाथ पीछे से बंधवाकर आन्दोलनों में भाग लिया है । मुझे खुशी है कि बीजेपी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें हम शासन का ध्यान आकृष्ट करा देंगे । श्री घनश्याम शुक्ला ।

* श्री घनश्याम शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं उसमें गोण्डा जनपद भी अछूता नहीं है । गोण्डा में जो वकीलों पर अत्याचार हुआ और जिस तरीके से न्यायालय के अन्दर पुलिस अधीक्षक ने वकीलों को बर्बरतापूर्वक पिटायी की हो । हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष को दिनांक 2-10-03 को गोली मार दी गयी थी और 5 तारीख को मेडिकल कालेज में उनकी मृत्यु हो गयी । लेकिन आज 5 महीने के बाद भी कोई भी अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है और न ही वहां की पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है । लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं । अभी नवाबगंज के अन्दर एक व्यापारी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी ।

श्री अध्यक्ष–

आप अन्य घटनाओं का जिक्र नही कर सकते । मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं जो हमारे कोषाध्यक्ष थे, वह सीधे सादे सरल स्वभाव के थे । हमारी आपसे गुजारिश है कि अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय । ऐसे पुलिस अधीक्षक और ऐसे क्षेत्राधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । अब आप बैठ जायें । मैंने अब आपको अनुमति नही दी है ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा की जाय । ऐसे पुलिस अधीक्षक को तत्काल गिरफ्तार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप फिर मेरे निर्देश के बाद बोलेंगे तो भविष्य में मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । कृपया बैठ जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि लखनऊ में अम्बेडकर पार्क जो बना है उसे संविधान सभा पार्क के रूप में विकसित किया जाय। मान्यवर, जो संविधान सभा में माननीय सदस्य थे उनका इतिहास चित्र वीथिका, उनका जीवन परिचय उपलब्ध कराया जाय, तथा उसे संविधान अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के 47 लोग सदस्य थे, जिसमें से 8 मुस्लिम थे बाकी अन्य समुदाय के थे। जिन्होने संविधान निर्माण करने में मदद की थी उनका परिचय उपलब्ध कराया जाय, उनकी चित्र वीथिका आदि लगायी जाय ताकि भविष्य में संविधान पर अनुसंधान करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके और यह पर्यटन के साथ-साथ अनुसंधान का केन्द्र भी बने।

* श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी समता के पक्षधर हैं और न्याय प्रिय हैं और शिक्षक भी हैं। चूंकि मैं भी एक शिक्षक हूं इसलिए हमारी भी एक समस्या है। अब तक जितने भी शिक्षक शिक्षा मंत्री रहे वह डिग्री कालेज के शिक्षक रहे, जैसे नैपाल सिंह जी, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी, तो उन्हें सुविधाएं मिलती रहीं। सौभाग्य से मैं भी राज्य मंत्री रही, लेकिन मैं इन्टर कालेज की शिक्षिका हूं, और मैं महिला कल्याण मंत्री बनी। तो जो सुविधाएं डिग्री कालेज के शिक्षकों को मिलती थी वह हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि माध्यमिक शिक्षकों को यह सुविधाएं अनुमन्य नही है। तो मेरी प्रार्थना है कि माध्यमिक शिक्षकों को भी वहीं सुविधाएं मिलें। मैं महिला कल्याण मंत्री रही तो इस बीच मेरा एक हजार रुपया वेतन कम मिल रहा है, चूंकि आप शिक्षक हैं और आप शिक्षकों की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब बैठ जायें, आप की बात को शासन के संज्ञान में ला देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मामला थोड़ा टेक्निकल है, चूंकि डिग्री कालेजों का संबंध यू०जी०सी० से होता है, और बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का अलग बोर्ड है। उसमें राज्य सरकार का ज्यादा लेना-देना नहीं होता है और उसमें केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप होता है। फिर भी अगर कही अलग से कोई गुन्जाइश निकलती है तो हम देखेंगे।

(व्यवधान)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जो शिक्षक डिग्री का होता है अगर वह मंत्री बन जाता है तो उस पीरियड को कार्यकाल का उसको लाभ मिलता है उसी के आधार पर अगर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक मंत्री बनते हैं उनको भी वह सुविधा मिल जाती तो अच्छा होता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो जब आप शिक्षा मंत्री थे, उसी समय इसे करवा लेते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

## वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

* नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे बजट भाषण पर उपस्थित हैं और उन्होंने जैसा कहा था, उस परम्परा का पालन किया है । मैं चाहता हूं कि आलोचना से किसी को डरना नही चाहिए लेकिन आलोचना जो है वह संयमित भाषा में होनी चाहिए । मान्यवर, इस बजट में मुझे एक ऐसी गाय दिखाई देती है जो है तो बड़ी सुन्दर सी लेकिन न तो वह दूध देगी न तो बछड़ा देगी ।

(व्यवधान)

मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

न दूध देती है न बछड़ा देती है, लेकिन वह चरती तो है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह बजट बांझ गाय की तरह है जो किसी काम की नहीं है । आंकड़े सही हों न हों लेकिन यह बजट है इसलिए इसको पास कराना है । लेकिन मैं उन बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं कि अगर आप मन से प्रदेश का विकास करना चाहते हैं इस सदन की मर्यादा को बनाकर रखना चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाना चाहते हैं तो इन बातों को सहने की शक्ति आप अपने अन्दर अर्जित करें और सुनें । शायद आप प्रसन्न होंगे कि आपके एक मित्र अभिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी राज्य सभा में सदस्य थे और उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत हुयी थी, आप को अपने दल में रहना है तो आप अपने दल के खिलाफ एक बात भी नही बोल सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नही था, जवाहर लाल नेहरू जी ने ही उन्हें राज्य सभा का सदस्य बनाया था, उन्होंने ही योजना प्रस्तुत की थी लेकिन उन्होंने ही उसकी आलोचना करते समय एक कविता प्रस्तुत की, मैं पूरी कविता तो नही सुनाऊंगा सिर्फ उसकी दो लाइन कहे देता हूं– ताकड़ धिन्ना, नागड़ धिन्ना.....।

(व्यवधान)

"तीन टांग की बछिया ब्याई, और ताऊ गाडे नागर बेल ।"

मान्यवर, तागड़ धिन्ना की कोई लय नही होती है । और उस संगीत में उसके अलावा और कुछ नहीं होता है और जो नागर बेल होती है उसमें न तो फूल होता है, न फल होता है और न पत्ती होती है वह तो दूसरे वृक्षों से अपना भोजन ले लेता है, देने वाला कुछ नही है । तो इसमें बार-बार लुभावनी बातें छपी हुई हैं । लोग इतने खुश हो रहे हैं वह समझ नहीं रहे है । तीन टांग की बछिया के लिए 62 खूंटे गाड़े जा रहे हैं । तो इस योजना से क्या-क्या मिलेगा । इसमें शब्दों की बहुतायत है । आपको इतने कलात्मक ढंग से आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं । जिसमें कुछ भी न हो और फिर भी बहुत सी बातें आयी हैं । अभी प्रमोद जी यहां नही है नही तो खड़े होकर कहने लगते कि फील गुड है । लेकिन यह सही है कि इससे सरकार को कुछ चीजें जरूर सामने आती हैं कि वे क्या और कोशिश कर रहे हैं । मान्यवर, इस भाषण में शुरूआत में ही डा० लेहिया जी के कोटेशन को उद्धत किया गया है जो बहुत सुन्दर है कि सरकार कामों से चलती है । वास्तव में यह सरकार कामों से चल रही है । (सत्तापक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

मान्यवर, जब यहां चारों तरफ अपराध होने की ही घटनाएं सुनाई पड़ती हैं तो सरकार का काम चलता हुआ दिखाई पड़ता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो यह सरकार का काम चलता हुआ दिखाई पड़ता है । जब यह अनावश्यक कामों को करके प्रदेश में अशान्ति बढ़ाने के लिए एक सुबिचारित योजना के तहत जिलों को तोड़ देती है और उससे आज तमाम उपद्रव हो रहे हैं और जिसमें प्रदेश के सम्पत्ति की हानि हो रही है तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि वह बातें किसी प्रदेश के लिए शुभ लक्षण नही है । तो यह काम से चलती है सरकार । मान्यवर, संसाधनों की दृष्टि से आपकी ज्यादातर विकास की आशाएं निजी क्षेत्रों पर टिकी हैं । मैं एक बार नही कई बार कहता हूं और आज भी कहता हूं कि आपका यह प्रयास सफल हो क्योंकि आज निजी पूंजी के निवेश के बिना कोई प्रदेश का विकास नही कर सकता । यह आज की आवश्यकता है कि विकास के लिए निजी पूंजी का निवेश होना जरूरी है लेकिन निजी पूंजी का निवेश कैसे हो और वह किस सीमा तक हो यह विचार का बिन्दु है । एक तो जो आपके घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको किसी के साथ पार्टनरशिप में देने की नीति हो सकती है जैसे केन्द्र सरकार कर रही है कि किसी की उसके 51 प्रतिशत शेयर दे दिये या फिर किसी को कोई उपक्रम पूरा चलाने के लिए दे रहे हैं । लेकिन एक जो योजनाएं हमारे पास है जिनको हम अन्य स्त्रोतों से संसाधनों से कर सकते हैं जिसमें हमें तुरन्त विकास के लिए कुछ धन खर्च नहीं करना पड़ेगा उनको मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में पुर्नविचार कर लें । मान्यवर, 3500 मेगावाट का गैस का पावर हाउस लग रहा है उसका स्वागत है । मेरी शुभकामनाएं हैं कि वह सफल हो । लेकिन वही पर मान्यवर, आपका आनपारा सी० प्राजेक्ट है जो जापान से करार होने के बाद किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो वहां पर संदेह खड़ा हो जाता है कि वह वास्तव में जनहित में है ? मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूं कि वह उचित काम हो रहा है । आनपारा सी के बारे में जानता हूं उसके अन्दर का लगभग आज की कीमत में 2000 करोड़ रुपये के आसपास बी और सी का कोयला और पानी का हैडिंग प्लान्ट है वह बन चुका था । जब आनपारा बी बना था तब मैं पावर मिनिस्टर था आनपारा सी शुरू कराते ही वह शुरू हो जाय इसलिए शुरू करा दिया । पहले बिल्डिंग बनाने के बाद मशीन वही से आती है उनको यहां फिट करना होता है और ट्रांसमीशन सिस्टम बन चुका है ।

आज आप देखें, जापान सरकार ने यह कहा था कि 1.5 परसेन्ट जो हैं वह अंश सरकार दे । एक बार उसको हुण्डई को देने का प्रयोग किया गया उसमें इतने दिन लग गये । मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसकी अधिकारियों ने इतनी पैरवी की जितना कोई वकील भी अपने मुवक्किल की नही करेगा फीस लेकर नही करेगा लेकिन मैंने कहा कि यह नही होगा और मैंने मना कर दिया फिर जापान के लोगों से बात हुई तो 1.5 प्रतिशत की बात आ गयी और राज्य सरकार ने कहा कि हम नहीं दे पायेंगे, उसके बाद हंड्रेड परसेन्ट फंडिंग की बात हुई वह उन्होंने मान ली उसके बाद स्थितियां बदली और जापान से एक समस्या ऐसी आई कि जो वित्तीय सहायता थी वह सारे देशों ने भारत को वह सहायता देनी बन्द कर दी उसमें यह भी फंस गया फिर शुरू हुई भारत सरकार से दूसरे राज्यों ने दबाव डालकर अपने अपने राज्य की योजनाएं भिजवा दी । उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य था कि जिसके पास पावर था । उन्होंने इस बात की चिन्ता नही की अपने प्रदेश के लिए मैंने आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी से यह सीखा कि वह कही भी रहें पक्ष में रहे, विपक्ष में रहें, केन्द्र में रहें कहीं भी रहें उत्तर प्रदेश के विकास की बात कही आई हो तो उन्होंने किसी सत्ताधारी दल के सदस्य से ज्यादा इन्टरेस्ट लिया है । चूंकि प्रदेश हमारा है, रहना हमें हैं इस प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है इसलिए इसमें राजनीति आड़े नही आनी चाहिए । मैंने भारत सरकार से कहा कि एक बार इसको होना चाहिए वह आये और लोन अपना लेकर और काम शुरू कराने के लिए सारी बात होगी । मुझे पता नही किसने यह सलाह दे दी मुख्य मंत्री जी को कि वह कह रहे हैं कि 3 साल बाद शुरू करेंगे जबकि वह कहते हैं कि 3 साल में बनाकर दे

देंगे । आपके पास इन्फारमेंशन है मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा हूं जो आनपारा बी और सी दोनों में उसका सम्पर्क रहा है ।

उसने मुझसे फोन करके कहा था कि यही रहा तो जापान सरकार और योजनाओं में अपना हाथ खींच लेगी यह उचित नहीं है उस समय भी यही कहा गया कि रुपया राज्य सरकार को लगाना होगा मेरी इंफारमेंशन यह है कि आज भी वह हंड्रेड परसेन्ट फन्डिंग पर काम करना चाहते हैं । जो 14 सौ मेगावाट लगा रहे हैं उसके बाद एक हजार मेगावाट और लगाने की क्या आवश्यकता है ? दूसरी बात यह है कि दोनों में अन्तर समझ लें अभी तक जो निजी क्षेत्र के पावर हाउस लग रहे हैं वह सफल नहीं हो रहे हैं केवल विदेशी कम्पनियों ने लगाने की कोशिश की है उसके बाद कारण यह है आज जितनी बिजली की कमी है वह एनटीपीसी से आप पूरी कर सकते हैं आप का शेयर है, शेयर से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं यहां समस्या बस पैसा नहीं है कीमत कां भी एक फार्मूला है जो भी लगेगा उसका भी एक फार्मूला है फार्मूले के अनुसार ही उसका मूल्य निर्धारित होता है और डिप्रीशियेशन होता चला जाता है, जितनी उसकी वैल्यू कम होती है उतना डिप्रीशियेशन होता है । ट्रांसमिशन के लिये जो भी लेगा, उसको निजी लाभ कितना होगा, यह अलग बात है । सारा ट्रांसमिशन सिस्टम बी के साथ सी का भी बन चुका है, कई करोड़ का काम हो चुका है, एक हजार डेढ़ हजार करोड़ का हिस्सा बना पड़ा है । आज जो भी उसे लेगा, उसे एक भी पैसा इस पर खर्च नही करना पड़ेगा । उन्हें क्लियरेंस लेने में जितना समय लगेगा उतने में यह बनकर तैयार हो जायेगा । किसी नई कम्पनी को प्रोजेक्ट पास करके उसे विभाग से क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो उसमें 3 साल का समय बच जायेगा और इधर 3 साल में बनकर तैयार होने की स्थिति आ जायेगी ।

ऐसे मामलों पर विचार होना चाहिये, दिमाग खोलकर विचार करना चाहिये । मेरा सुझाव है मैं कोई आलोचना नही कर रहा हूं, आरोप नही लगा रहा हूं । किसी से अनुचित लाभ लेने की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं सारी बातों को जानते हुये भी अगर खामोश रहता हूं तो मैं अपने धर्म का निर्वाह नही करता हूं । इसलिये फिर आपसे आग्रह करता हूं कि दूसरों को दीजिये जितने चाहे बनाये । आज दो बड़े पावर हाउस, जिनमें कैपेसिटी बढ़ा दी जाय तो 30 प्रतिशत कास्ट कम हो जायेगी और वह नये के बराबर आ जायेंगे । इन्हें आप बुलाइये, लोग पूंजी लगायें आर लगाकर उनका मार्डनाइजेशन कर दें तो हमारा उत्पादन कई गुना बढ़ जायेगा और वह उत्पादन सस्ता होगा । यह है आनपारा, ओवरा, बरदुआगंज, पारीछा, पनकी । कभी कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया था, आज वह दम तोड़ रहा है, वहां दिन में भी बिजली नही आती । आप भले ही 18 घन्टे की घोषणा कर दें, लेकिन कानपुर में दिन में भी बिजली नही आती । कई बार कहा गया, प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, केस्को का नही हो पा रहा है, यदि हो जाय तो अच्छा है लेकिन अगर पनकी की कैपेसिटी बढ़ा दी जाय तो जितनी जरूरत वहां आसपास के क्षेत्र में बिजली की है, वह वहीं से पूरी हो जायेगी । आप किसी को दें, वह पनकी को चलाये, वह केस्को को चलाये । बहुत से लोग आ रहे हैं टूटकर, पावर हाउस लगाने के लिये, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को सब्सिडी पर बिजली देनी होती है और कोई सरकार यह कह नही पाती कि हम इसको बियर करेंगे और किसानों को बिजली देंगे । यह कोई कह नहीं सकता, सब्सिडी का भार उठाने के लिये कोई तैयार नहीं है । जो लाइनलासेस के नाम पर आप उसे चोरी कहते हैं वह चोरी रोकी नही जा सकती, जब सरकारी मशीनरी रोक नही पा रही है तो वह क्या रोकेंगे ? ऐसी बस्तियां हैं कि अगर आदमी वहां चला जाय, चोरी पकड़ने तो उसे मार ही दिया जाय । वहां पर अगर कोई जा सकता है तो बहुत अच्छा है ।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय नेता विरोधी दल, मैं बड़े सम्मान के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आप बम्बई कई बार गये होंगे, वहां भी तमाम गली,-कूचे हैं और यहां से ज्यादा गली-कूचे हैं, वहां पर टाटा की सप्लाई

है, आज दुनिया के किसी भी देश से उसका मुकाबला कर लीजिये वहां एक सेकेन्ड के लिये भी बिजली नही जाती । इसी तरह कलकत्ता में कई-कई घन्टे पावर कट होता था, जब गोयनका जी ने टेक ओवर कर लिया तो कलकत्ता में जो लालटेन जलाई जाती थी, अब वह लालटेन नही जलाई जाती, वहां सारी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है । मान्यवर, जब आप कह रहे हैं, चूंकि आप विद्वान सदस्य हैं, बहुत पुराने हैं नेता विरोधी दल भी हैं, तो इन बातों पर भी विचार कर लीजिए । आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई जाना नही चाहता । अभी दिल्ली में टाटा और रिलायन्स को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया है और वह बखूबी निभा रहे हैं, पहले से बेहतर सवा साल में कर दिया है । पब्लिक सेक्टर में दिक्कत यह हो रही है कि 50 परसेंट चोरी हो रही है । कहीं न कहीं आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि प्रदेश में बिजली भी पैदा हो और पैसा भी बचे । इसका कोई सुझाव है आपके पास ?

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, मैंने इसका विरोध नहीं किया । पावर जेनरेशन के क्षेत्र में लोगों की रुचि ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन में कम है । मैं कहां रोक रहा हूं आपको, आप टाटा को इनवाइट कीजिए कि लखनऊ को ले लें, रिलायन्स को इनवाइट कीजिए कि कानपुर ले लें । लेकिन आप उन छोटे शहरों को भी कहिये कि उन्हें भी लें । बड़े शहर के साथ-साथ दो तीन छोटे शहर भी जुड़ने चाहिए । आपका विज्ञापन देखकर मुझे खुशी हुई लेकिन मैं नही समझ सका कि ऐसा कौन सा जादू होने वाला है कि दो रुपये पर यूनिट बिजली मिलेगी । जिस दिन आप ऐसा कर देंगे हम आपको बधाई देंगे । अगर ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में है तो कृपया बता दें, हम भी अवगत हो जायेंगे । ऐसा लगता है कि हम मेनोपोलिंग दिये दे रहे हैं । ऊर्जा जैसे मामले को एक या दो हाथों में मनोप्लाइज करने से प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा धोखाबाजी और अन्याय होगा । आप भी चलायें, मिलजुल कर चलायें, लोग नये भी बनायें । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पावर के बारे में सबसे पहला प्रयोग हमने किया था, प्राइवेंटाइजेशन का, जिसमें जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों दे दिये थे और सारी बातों की परवाह किये बिना दे दिया था । मैं देख रहा हूं आज 14 साल हो गये हैं एन०टी०पी०सी० से और हमसे ही खरीद कर बेंच रहे हैं और हमें कुछ नही मिल रहा है । हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी उन्होंने ले लिया । दूसरा मैंने बताया था कि यह विष्णु प्रयाग योजना 1991 में शुरू हुई थी । उस समय शेयर बाजार बूम पर था, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया उन्होंने अपने शेयर उस समय खरीद कर रख लिये और दूसरों को खरीदवा दिये और लोगों ने खूब कमायी कर ली । मैं जानना चाहता हूं कि 14 साल के अन्दर वह विष्णु प्रयाग आज तक जमीन पर नहीं आया । एक योजना उनके पास ऐसी है, जिसकी जांच भी चल रही है आर काम भी चल रहा है । मनेरी भाली उसमें भी प्राईवेट सोर्सेस से काम कराया जा रहा है लेकिन अभी हमें एक यूनिट बिजली नहीं मिली । हम प्राइवेटाईजेशन के खिलाफ नहीं है लेकिन जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर अगर नहीं चलते हैं तो वह कहीं न कहीं धोखा खा जाते हें । उसी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं ।

अगर किसी को कोई एक काम हाथ में दे दिया गया और अगर उसने नहीं किया तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और आपको एक यूनिट बिजली भी नहीं मिलेगी तो इस पर विचार कर लिया जाए । दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 16 लाख मकानों की उत्तर प्रदेश में आवश्यकता होगी । उसके लिए आपने निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनायी है लेकिन क्या यह आँकड़े अभी तक अलग किये गये कि 16 लाख लोगों में कितना, किस वर्ग के लिए जरूरत है, क्या हमें उसकी चिन्ता है ? 6 लाख रुपये का एक कमरे का मकान लोग खरीद सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वह नहीं खरीद सकते, उनकी भी चिन्ता करनी होगी । आप डा० लोहिया की बात करते हैं तो आपको गरीब तबके के लोगों की तरफ भी ध्यान देना होगा । उनको सुविधा दी जानी चाहिए । जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, एक-दो को छोड़कर सभी मुनाफे में आ गये हैं । हाउसिंग बोर्ड को

इण्टरनेशनल आवार्ड मिला है और दूसरे देशों में काम मिलने के अवसर भी मिलने वाले थे । अब पता नहीं क्या स्थिति है ? हाउसिंग बोर्ड और डेवलपमेंट अथारिटी जब अपनी स्कीम बनाते है तो उनको पहले 10 प्रतिशत लेण्डएक्वीजीशन चार्ज और 10 प्रतिशत डेवलपमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है । सरकारी एजेन्सी कहीं बेहतर हैं और सस्ते भी हैं और जनहित में काम कर रहे हैं । बीस प्रतिशत पहले उनको जमीन में कर दिया लेकिन उसके बाद भी वह वीकर-सेक्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे । आपको पचास लाख रुपये का प्लाट मिल जायेगा, एक करोड़ रुपये का भी प्लाट मिल जायेगा ।

प्राइवेट में 6 लाख रुपये से नीचे तो कोई मकान है ही नहीं । कितने लोग अभी भी इस प्रदेश में हैं जो 6 लाख रुपये का एक कमरे का मकान ले करके नहीं रह सकते । विकास के साथ ही गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी सोचना है । जो लाभ आप निजी क्षेत्रों को देने जा रहे हैं वह लाभ आप इन सरकारी एजेन्सियों को दें तो इससे बड़ा लाभ होगा । कई तरह का लाभ एक को नहीं दिया जा सकता, उन्हें मन-माफिक दाम में बेचने की आजादी भी है । अगर वह समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी न करें तो भी उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता है । यह स्वच्छन्दता हो जायेगी और हमारी संस्थायें धीरे-धीरे कम्पटीशन में कहीं न कहीं दम तोड़ देंगी । जो २० प्रतिशत की छूट है यह बहुत है, अगर करना है और देना है तो इनको भी दिया जाय । सबके लिए एक जैसा नियम बना दें ।

चीनी मिलों का अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया या तो पैसा लगाकर उसका रिनोवेशन करायें अगर न हो और किसी को देना चाहते हैं तो उसको दें वह करे । जो आंकड़े दिये गये हैं, अगर उसको गलत कहता हूं तो यह मुख्यमंत्री जी का अविश्वास करना होगा । जो कुछ विभाग से सूचना आयी है वहीं मुख्यमंत्री जी ने दिया है लेकिन यह आंकड़े सही नहीं है । इतना गन्ना पेरा गया, मिल चली नहीं ? उनके मजदूर अभी अलग हैं, जो गन्ना क्षेत्र है वह अलग परेशान और बन्द पड़े हैं । जो निर्णय हो वह समय पर हो तुरन्त हो । जहां पर लायबिल्टी है वहां पर निर्णय बाद में होते हैं लेकिन जो प्रायरिटीज नहीं हैं उन पर निर्णय तुरन्त हो जाता है । खाली नारा लगाने से कुछ नहीं होता है । प्राइवेट शुगर मिल मालिक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए आपने कोई तरीका नहीं बताया । पिछली सरकार में जितनी सुविधाएं उनको दी गयीं थीं उतनी पहले कभी नहीं दी गयीं थीं । हम इतने कमजोर नहीं है कि काम नहीं कर सकें आप एक बार इच्छा शक्ति दिखायें जो मिल मालिकों को सुविधाएं दी गयीं हैं उसे वापस लें और आर०सी० जारी करें । बड़े-बड़े लोग किसी न किसी थाने में बैठे दिखायी देंगे और कल ही नोट उगलने लगेंगे और यह कदम किसानों के हित में होगा । हनुमान जी को जैसे जामवन्त ने याद दिलाई थी वैसे ही मैं आपको याद दिला रहा हूं । गन्ना किसानों की समस्या हल करने के बारे में आपने कहा कि हम और आप मिल बैठकर के बजट के बाद कोई रास्ता निकालेंगे । बजट के बाद, स्थितियां और भी बदलेंगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारी और आपकी नहीं बदलेंगी ।

श्री हुकुम सिंह–

बदल सकती है ।

श्री लालजी टण्डन–

दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है । हम आपकी सरकार गिराना चाहते हैं और न आपकी सरकार गिरने वाली है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कहीं न कहीं आप सोच रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

जब सोचेंगे तब बना भी लेंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

इसलिये कह रहा हूं कि इसमें जल्दी करें इससे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी । गन्ना किसानों को जो सुविधाएं दी गयी हैं उसको देखते हुए मिल मालिकों को गन्ना किसानों की मदद करनी चाहिए । अगर नहीं करते हैं तो वह सुविधाएं वापस लें । इण्ट्री टैक्स का फायदा मिल मालिक उठा रहे हैं यह व्यापारियों पर लगा था । इण्ट्री टैक्स का पैसा मिल मालिक नहीं दे रहे हैं । शीरे को पहले डी-कन्ट्रोल किया गया फिर यह हुआ कि उसको एक्सपोज करने की इजाजत दे दी गयी । इसका भी फायदा मिल मालिकों को हुआ । आज बहुत सी मिलें बगास से बिजली बना रही हैं और हमें उनसे बिजली खरीदनी पड़ रही है । हम कल कह दें कि उनकी बिजली नहीं खरीदेंगे तो वह मिल मालिक किसानों के फायदे के लिए काम करेंगे । यह कोई तरीका नहीं है कि मिल मालिकों की गरदन बचाने के लिए किसानों की गरदन दबायें । कोई सरकार से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है । मान्यवर, बहुत से विषय हैं, सबके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन कुछ खास बातें ही कह रहा हूं ।

एक सदस्य–

चूकिये नहीं टण्डन जी कह दीजिए ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं वही बात कहता हूं जो मुख्य मंत्री जी को अच्छी लगती है । वरना यह मौर्या जी की तरह मुझे भी धमकाने लगेंगे ।

श्री मुलायम सिंह–

मैंने धमकाया नहीं ।

श्री हुकुम सिंह–

इसीलिए वह सदन छोड़कर चले गये ।

श्री लालजी टण्डन–

आपने आलू किसानों का जिक्र किया । आलू किसानों के सामने दो समस्याएं हैं एक तो बिक्री की दूसरे यह कि जब तक आलू न बिके उसके भण्डारण की । इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि भण्डारण क्षमता बढ़ाने के कोई उपाय किए गए हैं । अगर भण्डारण क्षमता नहीं बड़ेगी तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा । सड़क के ऊपर पड़ा हुआ आलू विदेशों में नहीं भेजा जा सकता है । विदेशों में वही आलू भेजा जा सकता है जो मानक के अनुसार हो जो सजा संवरा हो । इसके लिए भण्डारण क्षमता बढ़ानी होगी । इसकी योजना को सम्मिलित करना होगा । जब बी०जे०पी० की सरकार थी तो उसने 20 लाख टन की क्षमता बढ़ाई थी । विधायक विकास निधि को बढ़ा दिया है । मैं इसके लिए बधाई देता हूं । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए कठोर नियमावली जरूर बने । मैं चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करें लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि इसके नाम पर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए या कोई कालिख लगे । बल्कि ऐसा रास्ता बन्द हो जाना चाहिए । सड़क से पैसा मिट्टी में चला जाता है ।

बहुत ही जनहित का काम है । छोटे छोटे काम जो नहीं होते थे इस निधि के माध्यम से करा सकते हैं । लेकिन इसमें पिछले दिनों में कुछ साख अच्छी नहीं रही है बदनामी बदनामी होती है इससे लाभ क्या है ? इसलिए इसके लिए नियमावली बनाने पर फिर से विचार करें । 3500 मेगावाट का 10

हजार करोड़ रुपए का प्लान्ट बन रहा है । यह काम कहां हो रहा है । इसकी कोई योजना की जानकारी इसमें नहीं है । केवल एक कल्पना है इसको अधिक स्पष्ट करना होगा । इससे जो बिजली बनेगी वह इकोनामिक भी होगी या नहीं इसको भी बताना होगा । गैस में चलने वाला पावर हाउस सबसे मंहगा होता है । इसको आप देख लीजिए सबसे सस्ती बिजली पानी से बनती है उसके बाद थर्मल का नम्बर है । दो रुपए प्रति यूनिट किस तरह से होगी यह बताना होगा । इसके लिए गैस का कहां से प्रबन्ध होगा सब बातें साफ करनी होगी । आपने जो योजनाएं बताई हैं उसमें 70 फीसदी वह योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं लेकिन इसका श्रेय आपने लिया आपको यह कहना पड़ेगा कि यह योजना भारत सरकार से वित्त पोषित हैं । जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल निधि योजना, गरीबी उन्मूलन योजना है, जैसे किसानों के लिये मूल्य आधारित बीमा योजना चालू हुई, असंगठित लेबरों के लिये बीमा योजना चालू हुई । आपने एक विकलांग किसान के लिये कह दिया है कि बीमा योजना लागू की है लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि उसका प्रीमियम कौन देगा ? आप अपने उत्तर में इन सब बातों को बतायें कि कौन प्रीमियम देगा ? मार्जिनल किसान के लिये भारत सरकार ने बीमा योजना बनाई है उसमें है कि 75 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 25 प्रतिशत उनको स्वयं वहन करना पड़ेगा । अब उसमें भी कुछ बदल दिया गया है । पहले किसान बीमा कराता था उसको मिल नही पाता था । मूल्य आधारित बीमा योजना किसानों के लिये हितकारी है । सड़कों के निर्माण के बारे में भी विचार करिये । इससे ज्यादा तो कभी भारत सरकार का सहयोग मिला नही है क्योंकि सड़क निधि से स्टेट वेज और हाई वेज के लिये पैसा मिलता है । जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं उसके लिये पैसा मिल रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

दो साल से नही मिल रहा है ।

श्री लालजी टण्डन–

कुंवर साहब आप न बोलें तो अच्छा है । ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से सड़क बन रही हैं प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत, जाहिर है कि जिस राज्य में काम होता है उससे राज्य की सरकार को श्रेय मिलता है । आज जनता के बीच में कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है कि यह स्टेट का है, यह केन्द्र का है । हम तो यह चाहते हैं कि जो योजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन होना चाहिए । जो काम आपको कराना है उसे आप करायें । पैसा कहीं से भी आये, देश और विदेश से आये । खर्च तो प्रदेश को करना है । प्रदेश को तो अपने आप उसका श्रेय मिल जायेगा । इसी तरह से मैं बी०ओ०टी० के बारे में भी कहना चाहता हूं कि यह कहा जा रहा है कि बाहर से संस्थाएं आयें और यहां पर निर्माण कार्य करके हमको देकर उसकी जो कीमत है वह लेकर चली जायं । लेकिन कोई इस पर काम करने के लिये तैयार नही, उसके पीछे एक भय है कि उत्तर प्रदेश में जाकर पूंजी लगाने के बाद क्या हम सुरक्षित हैं ।

(श्री हुकुम सिंह के कुछ कहने पर)

श्री लालजी टण्डन–

मैं हुकुम सिंह जी की बात मानूंगा जरूर क्योंकि मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि उनकी निष्ठा उनके प्रति है । उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण के बारे में कहना चाहता हूं कि इस प्राधिकरण के द्वारा 1100 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और अनुरक्षण किया जाना है । इसमें यह नही बताया गया है कि यह पैसा कहां से आ रहा है ? केन्द्र सरकार दे रही है तो कितना ? आपने कितना पैसा लगाया है, किन स्त्रोतों से लगाया है ? इसकी कैपिटल क्या है ? इस कारपोरेशन के पास अपनी सम्पति कितनी है ? नही तो दूसरे लोगों को भी इसमें निवेश करने के लिये देखिये । शिक्षा के बारे मे आपने बहुत घोषणा की है लेकिन अगर आप केन्द्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान है, उसको एक बार देखें, उसमें शिक्षा के बारे

में इतने बृहत्त कार्यक्रम हैं । आप जो योजना कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, उसका विरोध नही कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह–

शिक्षा माफ की जो बारहवें तक की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है उसकी भी तो बधाई दे दें ।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन–

जो जो किया होगा उन्हें सबको एडवांस में धन्यवाद जो अच्छे काम होंगे उसका एडवांस में धन्यवाद ।

(मेजे थपथपाई गई)

मान्यवर, समाजवादी विचारक स्व० मधुलिमये के विचारों पर शोध की बात कही है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । समाजवाद कहने से समाजवाद नही आता है डा० लोहिया जी के समकक्ष अनुयायी लोहिया जी के विचारों में और हमारे दल के विचारों में बहुत साम्यता है आपका समाजवाद दूसरी तरह का है ।

(हँसी)

17 कक्षों वाले अस्पतालों की बात कही है स्वागत है । 50 हजार करोड़ रुपया जन स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पास है, मैं आलोचना के लिए नही कह रहा हूं लेकिन उत्तर प्रदेश की संस्कृति है मुख्य मंत्री जी के साथ विपक्ष के नेता भी जाते हैं और भारत सरकार पर दबाव डालते हैं कि हमारा सबसे बड़ा राज्य है ज्यादा शेयर मिलना चाहिए अगर इसमें सफलता मिल जाए तो बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं । कुछ अनावश्यक चीजें हैं जैसे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने भगवान बुद्ध विश्वविद्यालय घोषित कर दिया बुद्ध के विचारों पर शोध होने के लिए आपने डेन्टल यूनिवर्सिटी और खड़ी कर दी, आपने मेडिकल यूनीवर्सिटी बनी है उसमें इसको जोड़ दिया इसकी एक फैकल्टी है इसके लिए अलग से करते । दो छोटी-छोटी यूनिवसिटी होने के बजाय एक चिकित्सालय होता । के०जी०एम०सी० यूनिवर्सिटी की दुनिया में साख है अगर अलग-अलग एक ही नाम से यूनिवर्सिटी होना उचित नही है । मैं इसका पक्षधर नहीं हूं । अब पेशाबघर, अस्पताल, सुलभ शौचालय एक ही नाम बना दिए जाएं । सबका एक नाम करने से कोई लाभ नही है । मुझे खुशी है आपने डा० लोहिया जी के नाम से सड़क योजना शुरू की है मुझे आपत्ति नहीं है जब सत्ता में आप नहीं थे तो कहते थे कि लोहिया जी के नाम से प्रदेश में कोई योजना नहीं चलाई है । तो जो योजना चलाई है । उसके लिए बधाई देना चाहता हूं । नागरिक सुविधाओं के बारे में कहा नदी प्रदूषण के बारे में काफी बात कही गयी है ।

मान्यवर, अभी आप समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि लगातार वर्षों के संघर्ष के बाद गोमती एक्शन प्लान मंजूर कराकर लाए । 280 करोड़ की योजना है पहली किश्त दी गई जल निगम को यह काम करना था आज तक इसमें एक पैसे का काम नहीं हुआ है और हमें अफसोस है, कही पैसा डूब न जाय पैसा दिलाकर मैं गया था, जब उधर से इधर आया था । पैसा आ गया था, यह पैसा वित्त विभाग में पड़ा हुआ है यदि चला गया होगा तो जल निगम के पास होगा । जल निगम जो इतना बड़ा कारपोरेशन है, आज वहां 3-3 महीने तक तनख्वाह नही मिल रही है चूंकि बहुत सी चीजे ऐसी हैं जहां एक दूसरे से हमारी प्राण रक्षा होती है, एक ही जैसे काम विभिन्न एजेन्सियों को बंटते जायेंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा और जब काम नही मिलेगा तो वह तनख्वाह कैसे देंगे और वे दूसरी योजाओं का पैसा तनख्वाह

में ही बांट देंगे । आज यही स्थिति आ रही है । जितनी योजनाएं जल निगम से चल रही है, वह सभी खटाई में पड़ गयी हैं । यमुना प्रदूषण की बात है, आपके पड़ोस में है, आप भी मथुरा में जायें, वहां मैंने बांध बनवा कर तैयार करा दिया, पम्पिंग स्टेशन बना दिया, फिल्टर प्लांट बना दिया । माथुर साहब वहां के विधायक हैं कल ही कह रहे थे कि पैसे की जरूरत है, लेकिन नही मिल रहा है । सबसे बड़ी जरूरत है, दिल्ली में जब मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई थी मैं भी वहां गया था, वहां पर मैंने दिल्ली की मुख्य मंत्री से अनुरोध किया था कि दिल्ली का पानी हमें देना बन्द कर दीजिए क्योंकि सारा दिल्ली का कचरा यमुना में आता है । 5 रुपये गैलन जनरेशन कास्ट मथुरा में पड़ रही है फिर भी उतना उच्चकोटि का पानी नही है चाहे जितना केमिकल डालें, साफ करें । इसके लिए दिल्ली सरकार पर भी दबाव बनाना पड़ेगा कि हमें कीचड़ भेजना बन्द करें, इसके ऊपर आप उनसे बात करें ।

निजी पूंजी निवेश की जो बात है, आपने इन्टीग्रेटेड डाउनशिप विकसित करने की बात कही है, क्या कभी किसी योजना का अध्ययन कराया गया है कि वहां का सीवर कहां जायेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर कौन बनायेगा, आप कालोनी तो बना रहे हैं लेकिन उसके सीवर आदि का निकास कहां होगा । निजी क्षेत्र में जमीनें बेंच देते हैं वहां कालोनी बन जाती है लेकिन वहां गली नही बनती नाली नही बन पाती और इस प्रकार यह स्लम, मलिन बस्तियों के रूप में बनती जा रही हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सीवर लाइन बनाना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाना होगा, यह कैसे होगा ? सरकार तो बोल रही है किधर जाना है, पता नही ।

आपने शिक्षकों की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी उसका मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन सरकारी विद्यालय जो हैं, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को यह सुविधा नही मिलेगी यह कोई जनहित का काम नहीं है बल्कि यह तो राजकोषीय घाटे को बराबर करने की एक तकनीक है । आज नही तो कल दो साल बाद देना होगा । मान्यवर, इसलिए उनको न कोई लाभ होने वाला है बल्कि उल्टे बेरोजगारों के अवसर कम हो रहे हैं । जो निगम हैं उनके कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिल रहा है लेकिन आयु सीमा उनकी 58 साल ही है और यहां 62 साल हो गयी है । यह विषमता है । आप इसको ऐसे लागू करें कि यह सबके लिए कर दें । कुछ लोग त्रासदी में रहें कुछ लोग लाभ उठायें यह सही नही है । सबको साथ लेकर चलें । यह मैं आपसे कहना चाहता हूं । आपने जिलों में उद्यमियों और व्यापारियों की समस्या हल करने के लिए एक कमेटी बनायी लेकिन एक भी समस्या हल नहीं हुयी है । यानी जो सरकार आयी है उन्होंने यहां के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लाइसेंस का वायदा किया था लेकिन हर जगह लाइन लगी हुयी है वह उनको नही दे रहे हैं, अपराधी लेते चले जा रहे हैं लेकिन व्यापारियों को नही मिल रहा है वहीं जिलाधिकारी बैठकर अध्यक्षता करते थे वही यहां भी हो रहा है । तो क्या इसमें नया कारनामा दे दिया । जिला स्तर के ऊपर पुलिस और प्रशासन का कोई सहयोग नही है ।

कहीं पर ऐसा हो जाये कि पुलिस की जरूरत होती है तो एसएसपी कहता है कि हमारे पास इस समय फोर्स नही है । अगर आप इसकी व्यवस्था करें तो कुछ लाभ अवश्य मिलेगा । आपने इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं दी कि कोई गजब हो गया और न देते तो गजब हो जाता । लेकिन आपने अरबी फारसी और मदरसा बोर्ड बना दिया और फारसी के लिए यूनिवर्सिटी । पुरानी मिसाल है कि 'पढ़े फारसी बेचे तेल देख कुदरत का खेल' । जहां पर फारसी बोलने वाले एक प्रतिशत भी नही हैं वहां फारसी का क्या करेंगे । सभी यूनिवर्सिटीज में यह ओरिएंटल भाषायें संस्कृत, अरबी, फारसी के लिए अलग-अलग फेकल्टीज बनी हुयी हैं । जहां पर उनको शिक्षा पाने की कोई कमी नही है । यह जो आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उनको तनख्वाह आप कहां से देंगे । आपका संबंध तो गऊ और दूध के वंशजो से है, इसके बजाय आप यह करते कि गाय आर दूध के लिए दुग्ध विकास यूनिवर्सिटी खोलते । इसमें अभी भी गुंजाइश है इसमें हम अभी भी पहले नम्बर के देश हैं । इससे लोगों को भी गुंजाइश है इसमें हम अभी

भी पहले नम्बर के देश हैं । इससे लोगों को रोजगार भी मिलता और हमारी तो प्राथमिकता है कि जो कृषि आधारित उद्योग है उनको बढ़ावा मिलता लेकिन यहां कृषि नहीं वोटों की खेती की जरूरत है और यह वोटों की राजनीति कर रहे हैं । मान्यवर, यहां पर गो सेवा अयोग है । इस आयोग मेंअब तक बजटरी कोई प्राविधान नहीं है । प्रदेश में गौशालाएं हैं, इनके लिए कोई आर्थिक स्थिति का समुचित प्रबन्ध नहीं है । मण्डी परिषद् से पहले सहायता थी, एक परसेंट गोशाला को दिया जाता था । अब वह नही दिया जा रहा है । एक तरफ तो आप कानून इसी सदन में पास करते हैं और दूसरी तरफ कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है ।

गो रक्षा के मामले में आप कम गो भक्त नहीं है । इसका प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी भी आपकी है उसके लिए विचार करें और गौ शालाओं के लिए कहीं कोई भूमि मिल सकती है, आर्थिक सहायता मिल सकती है तो वह मिल जाय । जो लाखों का आपका पशुधन जा रहा है वह रुक नहीं रहा है और कम हो गया होगा । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन कामों में ज्यादा ध्यान दें । कुछ लोगों को खुशी होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सबके लिए काम होता दिखायी देता है तो सब खुश होते हैं । लेकिन जब एक या दो के लिए काम होता है तो लोग खुश नहीं होते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्र की राय पर बहुत ज्यादा ध्यान न दें । हालांकि वह बहुत खुश हैं यह मैं जानता हूं । वही पास में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहां अरबी, फारसी, उर्दू सब है, इसमें कहीं यह बू आती है, लोग कहते हैं कि संस्कृत के लिए विद्यालय है, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कहीं केवल हिन्दी के लिए विद्यालय है प्रदेश में । यहां पर बहुत देशी विदेशी की बात करते हैं । तो देशी या विदेशी व्यक्ति संस्कारों से होता है । क्योंकि जो हमारे यहां विदेशी गायें आयी हैं वह समस्या बन रही हैं ।

एक सदस्य–

आप भी तो पाले हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं भी पाले हूं इसलिए अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । एक आपने यह कहा कि मदरसा मिनी आई०टी०आई० स्कीम के अन्तर्गत 140 मदरसों में व्यवसायिक शिक्षा दी जायेगी । मैं इसका स्वागत करता हूं । जो वहां पर पेशे इमाम बनकर निकल रहे हैं, वह टेक्निकल हैंड निकल रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले । देखने में यह लगा है कि इतने मदरसे बन गये और उसमें हाफीजी के अलावा कोई आगे नहीं निकल पा रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अब इसमें और कुछ नहीं है ।

श्री लालजी टण्डन–

विदेशी गायों के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी लिख रहे हैं, अभी तो उसका भी जवाब हमें देना है, इसलिए मैं कह रहा हूं । एक बात पर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बार-बार यह नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता का आश्वासन न दें, लाली पाप उनको न दें । कोई सरकार यह देने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी आकांक्षाएं बढ़ जायेंगीं तो जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी उनका समाधान आप नहीं कर पायेंगे, जिस तरह से समाज का अपराधीकरण बढ़ेगा उससे निजात नहीं पा सकेंगे क्योंकि जब उन्हें बगैर काम किये हुए पैसा मिलेगा, और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तो इसके सिवा और वह क्या करेंगे । इसलिए आप जितना दे सकें काम करने के लिए दें जो बेकार हैं उसको आप कहीं किसी रोजी से जोड़े, लेकिन अगर ऐसे दे सकते हैं तो दें, हमें कोई आपत्ति

नहीं है, कई कन्ट्रीज देती हैं, लेकिन क्या हमारी स्थिति ऐसी है ? जितने भी नौजवान हैं उनको हम यह भत्ता दे कहते हैं ?

जिसका कोई मतलब नहीं है, उसकी घोषणा करने से कोई लाभ नहीं है । स्वास्थ्य के बारे में आपने दिया था । 250 करोड़ रुपये का कुल प्राविधान किया, पुलिस को आधुनिक करने के लिए कितना पैसा केन्द्र से आ चुका है एक बार में आप कर डालें टुकडों-टुकडों में करने से कोई फायदा नहीं, बलों के पास एक पुलिस जिप्सी तक नहीं है । उनके पास है भी तो ऐसी जीपे हैं कि पता चला एक जगह डाकू डाका डाल रहे हैं, पुलिस को खबर मिली और वह जीप से जा रही है और पता चला रास्ते में ही जीप बन्द हो गयी, तब तक वहां सब काम हो गया । तो कम से कम ऐसा काम करें जिससे उनका मारल बने । आज शहर में ट्राफिक जाम की समस्या इतनी बढ़ रही है कि उससे निपटने के लिए, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो लगभग 800 करोड़ रुपये यहां के लिए भारत सरकार से मैं लड़-भिड़ कर लाया था कि जैसे कम्प्यूटराइज ट्राफिक "सिग्नल दिल्ली में हैं लगे हुए हैं वैसे ही यहां पर भी सिग्नल लग जायें लेकिन वह पैसा अपट्रान में वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक दिन वह भी मुझे लगता है कि अपट्रान के कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में चला जायेगा, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है । इतना बड़ा भाषण उसे पढ़ना है और मुझे उसका जवाब भी देना है और माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव भी देना है, इतने कम समय में वह भी ।

(व्यवधान)

बस एक और नमूना मैं और दे रहा हूं आपको पूरे प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को औषधि के रूप में 130 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । तो मान्यवर, 17 करोड़ जनसंख्या और 130 करोड़ रु० और आप हर आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान करना चाहते हैं और अस्पतालों में आपने शुल्क भी कम कर दिया है तो जो बजट प्राविधान है आपका उसमें 7 रु० प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आयेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी 7 रु० में तो एक कैपसूल भी नहीं मिलती, पट्टी भी नहीं मिलती । आप इस कल्याण कारी समाज में जो गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं वह कैसे दे पायेंगें ।

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल कहा था कि रेवेन्यू की प्राप्ति इसलिए कम हो रही है कि हमने किसानों पर वसूलयाबी बन्द कर दी है, दबाव डालना बन्द कर दिया है । मान्यवर, आप दिखवा लें प्रदेश में आज कितने ट्रेक्टर ट्राली तहसीलों में बन्द हैं और हर दिन बन्द हो रहे हैं, आप आंकड़े मंगाकर देख लें, पूरी स्थिति सामने आ जायेगी ।

मान्यवर, सब जगह प्रस्तावित है और यहां भी प्रस्तावित है कि जो हमारा संजय गांधी इन्स्टीट्यूट है पी०जी०आई० उसको एमस् के बराबर दर्जा दिलाने की बात है उसके लिए धन भी आवंटित है केवल आपका एक पत्र यहां से केन्द्र सरकार को जाना है । उसके अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक इन्स्टीट्यूट और एक यूनानी इंस्टीट्यूट की शाखायें होगी । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना इस प्रदेश में करने की घोषणा की जा चुकी है और उसको आज के समय में स्थापित भी करना चाहिए क्योंकि आज सारे विश्व में लोग आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने की ओर अग्रसर हो रहे हैं हर्बल दवाओं की मांग निरन्तर बढ़ रही है । यह आयुर्वेदिक की प्रगति किसानों के लिए लाभप्रद हो सकती है क्योंकि वह हर्बल पौधों का विकास कर अधिक धन उनसे शीघ्र कमा सकते हैं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ "सागड़ धिन्ना, नागर बेल" के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में मुझे धमकायेंगे नहीं ।

* श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपने मुझे बजट के भाषण की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के बजट के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर प्रकाश डाला है । और सरकार की नियत तथा उसकी नीतियों पर चर्चा की है मैं अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष के विचारों के साथ सम्बद्ध करते हुए अपनी ओर से कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा विगत पिछले चार-पांच महीनों से जिस प्रकार के वक्तव्य दिये जा रहे हैं उससे प्रदेश के अन्दर चर्चा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बदले हुए हैं पहले के मुकाबले और उनकी बातों से लोगों में कुछ विकास की उम्मीदें जगी हैं।

मान्यवर, परसों राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कही थी, मुख्यमंत्री जी जिस समय विश्वास का मत यहां पर प्राप्त किये थे तो बहुत सारी कठोर घोषणायें की थीं जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अपराध या अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और दो-चार उदाहरण बताये थे जिससे लोगों में एक विश्वास जगा था कि अपराध और अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया, लिखा हुआ है भाषण में पेज 57 पर परम श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी की उस बात का उद्धरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ सरकारें बोलती हैं और कुछ सरकारों का काम बोलता है। मान्यवर, जो आपकी नीति है, जो नीयत है उसमें किसी पर शंका नहीं की जा सकती लेकिन उसका सन्देश नीचे किस प्रकार जा सके यह देखने की जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरह अपराधी और अपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो एक वातावरण जो सदन में पहले बना था। पांच महीने पहले एक आत्मविश्वास सदस्यों के जेहन में था आज वह आत्मविश्वास कदाचित नहीं रह सका। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। क्योंकि कई अवसरों पर नियम 56 में और नियमों में विस्तार से चर्चा हुई है। मैं कुछ थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस बजट भाषण के अन्तर्गत लिखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सहयोग के लिए लिख दिया गया कि बेरोजगारी भत्ता दे दें। मान्यवर, जिस समय घोषणा की थी [illegible] समय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके घोषणा की थी या अपनी मर्जी से की थी बिना उसका प्रा[illegible] किये घोषणा करने की जरूरत क्या थी ? एक नौजवान व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भर देने के बाद उसका पालन नहीं करेंगे। आप गरीब के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप एक आइना दिखाना चाहते हैं। आपके इस भाषण के अन्तर्गत पेज नम्बर 57 पर फील गुड की चर्चा की गयी वही मान्यवर, मीडिया के बारे में जिनका प्रचार है फील गुड जनता के माध्यम से प्रचार है फील गुड, अपने केन्द्र सरकार की जिस तरह से कार्ययोजना है उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर, जिस पर ग्रामवासी उक्त सड़क पर आ सकता है वह फील गुड करता है कि हमारी सड़क बन रही है। वह फील गुड करता है। मैं शहर क्षेत्र का विधायक हूं मेरा कोई कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वह शादी में अपने वहां बुलाता था तो हम पूछते थे कि कितनी दूर है। तो कहता था कि कानपुर से उन्नाव चले जाइयेगा 30 कि०मी० होगा तो कह दिया कि ठीक कह रहे हो। फिर कहता था कि बाईं ओर मुड़ जाना 8 कि०मी० और होगा उसके बाद कह दिया कि 8 कि०मी० के बाद 2 कि०मी० कच्चा जाना पड़ेगा, बस वही बात गलत हो गयी। पहले पता होता कि 2 कि०मी० कच्चा होगा तो आधे आदमी वैसे ही कम हो जाते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क बनायी गयी है, अब यह फील गुड हुआ है, फील गुड इसको कहते हैं। केन्द्र सरकार इस बात की नकेल करे कि पूरे-पूरे सदस्यों का 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रि-परिषद् की संख्या नहीं होगी और जनता को इससे लगने लगा कि उसका वह पैसा सही काम में जायेगा हमारे सामने जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य बैठे हैं, उनके अन्दर फील इंस्क्योर का भाव होगा, असुरक्षा का भाव होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र निवेदन है कि इनको फील गुड करा दीजिये या फील बैड करा दीजिये, फील इनसिक्योर न कराइये। यह होने वाला है, आज नहीं तो कल होने वाला है। उसके लिए आप परेशान

मत होइये, वह जरूर होगा । कुछ आपके मंत्री इस बात से काफी परेशान हैं । मान्यवर, आज हम जिस समय विकास की बात कर रहे हैं, किस प्रकार का विकास चारों ओर हो रहा है, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो नगर विकास मंत्री भी हैं, इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, वह भी कह रहे थे, काम बोलेगा, काम जो चल रहे थे, नगर क्षेत्र के अन्तर्गत वह सारे के सारे ठप्प पड़े हैं, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है । काम बोलेगा क्या ? हमारे कानपुर में गंगा बैराज का 300 करोड़ का काम पूरा होने के अन्तर्गत केवल राजनीतिक स्वार्थों के कारण पूरा नहीं किया जा रहा है, क्या काम बोलेगा ? इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सूची मंगाकर देखें । इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड और रिवाल्विंग फण्ड से जो पैंसा जा रहा था, वह इस वित्तीय वर्ष में कितना गया और पहले कितना गया, इसकी तुलना कर लीजिये । सूडा के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में जो काम हो रहे थे, वह सब काम भी बन्द कर दिये गये, हो सकता है, मलिन बस्तियां, अनुसूचित जाति के लोग जहां रहते हों, वह आपकी प्राथमिकता पर न हों ।

सत्तापक्ष की ओर से टोकाटोकी करने पर (व्यवधान)

मैं इसी सदन में चैलन्ज करता हूं और पिछले एक साल की बात करता हूं, सदन में रिकार्ड के ऊपर आ रहा है कि पिछले साल जितना काम हुआ, उसका अगर 25 प्रतिशत भी करवा दिया होगा तो मैं खेद व्यक्त करूंगा, आप नगर विकास के राज्य मंत्री हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें जानकारी में हैं, आप बोलेंगे नहीं, आपमें हिम्मत नहीं है । मान्यवर, मैं केवल 3 महीने की बात नहीं कह रहा हूं । आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी इतने मजबूत हैं कि वह 100 दिन में परिवर्तन दिखा सकते थे, लेकिन अब तो 6 महीने हो गये । विकास परिषद् की बात की गयी, आप 20-21 तारीख को कानपुर आने वाले हैं, मुझे प्रसन्नता है, आपका स्वागत करके मुझे अच्छा लगेगा । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर और पूरे देश के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किये गये थे, जिन्हें इकोनामिक जोन के रूप में स्थापित किया जाना था । उद्यमियों के बीच में आप कानपुर आयेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि स्पेशल इकानामिक जोन के मामले में क्या प्रगति हुई है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे । कानपुर इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण टाउन है, आपकी जो मंशा है, उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश और उद्योग प्रदेश बनाने की, इसमें उसमें सहयोग मिलेगा । अब इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता । बहुत सारे काम आगे बढ़ गये थे, 2600 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात थी, आधी हो चुकी थी, आधी के आगे काम ठप्प हो गया, मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी ध्यान देंगे । गंगा बैराज के बारे में मैंने निवेदन किया है, राज्य मंत्री जी भी आकर इसको देख लें, नगर विकास मंत्री जी तो होकर आये हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । मैं सार्वजनिक रूप से आपका अभिनन्दन करूंगा, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा और मैंने समाचार-पत्रों में भी इस बात को कहा है । दो दिन पहले इस सदन के अन्दर एक बहुत बड़ी घटना हो गयी, पूरे सदन ने उसे बहुत हल्के से लिया । यहां के दो माननीय सदस्य इस्तीफा दे करके चले गये और उधर के लोगों ने तालियां भी बजायीं । उनका कहना था कि विगत दो वर्षों के कार्यकाल में उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ । जब उनकी सरकार थी उस समय माना जाता था कि उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ लेकिन 6 महीने की सरकार के प्रति भी अविश्वास प्रकट करते हुए वह इस्तीफा दे करके चले गये । अगर उन्हें विश्वास होता तो वह इस्तीफा दे करके नहीं जाते । यदि अत्याचार हो रहा था तो यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उस अत्याचार को दूर करे । पूरा का पूरा सदन उसको देखता रहा और वह सदन छोड़कर चले गये । यहां पर 403 सदस्य आते हैं, हम अपनी बात करते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं । सत्तापक्ष और विपक्ष का लोकतन्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है, कोई छोड़कर चला जाय कि वह केवल उनसे प्रसन्न नहीं था । मैं जब कोई बात

करता हूं तो आप कहते हैं कि आपने क्या किया । अगर हम गुनाह कर रहे थे तो क्या आप भी करेंगे ? आप वहां पर पहुंचे हैं तो कुछ अच्छा कीजिये । अगर आप आइना भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्वथ्य लोकतन्त्र का निर्वहन नहीं कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप राजनीतिक दल के जो सोर्स हैं उनके माध्यम से अपने नगरीय क्षेत्र के विधायकों की राय जान लीजिये और जो राय वह दें, मुझे भी उसी राय में सम्मिलित कर लीजियेगा, यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लालजी टण्डन–

माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सज्जन कनाडा में रहते हैं, उनका पत्र मेरे पास आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली आगरा रोड पर उनकी कोई सम्पत्ति है, जिसमें उनके भाई रहते थे, उनकी पैतृक सम्पत्ति थी, उस पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं । उन्होंने यह पत्र शायद इसी आशय से भेजा होगा कि मैं इसे सदन में उठाऊंगा, वरना मैं क्या कर सकता हूं ? इसमें आपके ही एक विधायक का नाम उन्होंने लिखा है ।

(माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया)

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जनप्रिय बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं एक गरीब घर का बेटा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश विधान सभा में तीसरी बार चुन करके आया हूं । लेकिन सच यह है कि इतना बढ़िया बजट जो जनहित में है, किसानों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, इतना बढ़िया बजट पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । और माननीय नेता विरोधी दल को सुन रहा था । सच तो यह है कि इस बजट में कहीं उंगली रखने की जगह नहीं है । लेकिन उनकी मजबूरी थी कि कुछ तारीफ करते और कुछ के विरोध में बोलते । मैं नेता विपक्ष के भाषण को सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा । अगर यह कहा जाय कि पूरे बजट की उन्होंने प्रशंसा की है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । इस सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, विद्युत, सड़क, सिंचाई व स्वास्थ्य आदि के लिए जबरदस्त प्राथमिकता दी है इससे उत्तर प्रदेश की तरककी का मार्ग प्रशस्त हुआ है । विपक्ष की तरफ से आलोचना करना तो उनका धर्म है लेकिन आलोचना के साथ ही सुझाव भी देना चाहिए । माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने इतनी तारीफ कर डाली है कि इतनी किसी नेता विपक्ष ने आज तक बजट भाषण की प्रशंसा नहीं की होगी ।

मैं गांव का रहने वाला हूं । मैं जिस गांव में रह रहा हूं और जो मेरा जन्मस्थल है वहां आज भी मुझे 5 कि०मी० पैदल जाना पड़ता है । बरसात में मैं वहां नहीं जा पाता हूं । जहां मैं रह रहा हूं वहां से 90 कि०मी० दूर से मैं चुना जाता हूं । इसलिए मैं अपने गांव की सड़क आज तक नहीं बनवा पाया हूं क्योंकि मैं वहां से विधायक नहीं हूं । अभी मैं विद्यार्थी नेता व मा० लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि कम से कम मेरे ऊपर कृपा कर दीजिये । बजट का 70 फीसदी पैसा किसानों और गांवों के लिए है । इसके साथ ही साथ जो अन्य योजनायें हैं पूरे का 80 फीसदी गांवों के लिए है । इससे ज्यादा और गांवों के लिए क्या हो सकता है ? यह बजट प्रशंसनीय है । इस बजट में पहली बार दुर्घटना बीमा में ढ़ाई करोड़ रुपया कर दिया है । यह शायद संसदीय परम्परा में पहली बार हुआ है । जहां तक गन्ने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है उसे नेता विपक्ष से मिलकर तय करेंगे । गन्ना किसान का मुलायम सिंह यादव जी में पूरा यकीन है और मुलायम सिंह यादव ही उसका निराकरण कर सकते

हैं । बाजारों की जो स्थिति है उसमें पहली बार 900 किसान बाजार और 100 पशु बाजार की व्यवस्था इस बजट में की है । इसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है । पहली बार आदर्श जनपद योजना की बात की गयी है, इसमें 25 जनपदों को लिया जा रहा है । यह बहुत अच्छी बात है । मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बस्ती जनपद जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, उसे 25 जनपदों में जोड़ने पर विचार कर लिया जाय । मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी अपनी राय दे दे कि कौन से जनपद अति पिछड़े हैं, उनको भी लिया जाय ।

आज अगर 25 जनपदों का सन्तुलित विकास कर दिया जाय तो उत्तर प्रदेश की अच्छी-खासी तरक्की होगी । बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी नहीं हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों, मंत्रियों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है । मेरे शासनकाल में अम्बेडकर योजना चलायी गयी । अम्बेडकर के नाम पर राम करन आर्य ने लाठी गोली डण्डे खाये और जेल गये । बहुजन समाज पार्टी के लोग वोट के सवाल पर केवल दलितों का मांस किलो के हिसाब से बेचते हैं । मेरी सरकार ने 6000 गांवों के विद्युतीकरण की योजना बनायी है । इसे किसी महापुरुष के नाम पर नहीं किया है । महापुरुष के नाम पर जनता का शोषण हो मैं इसे अच्छा नहीं मानता । लेकिन पिछले शासन में प्रदेश का पूरा धन अम्बेडकर के नाम पर दुरुपयोग की गयी

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जब मैंने आंख खोली तो डाक्टर अम्बेडकर का नाम सुना । जिस समाज से मैं आया हूं आज भी उनको भगवान के रूप में माना जाता है । मान्यवर, मैं डी०आर०डी०ए० की बैठक में गया था । वहां मैंने पूछा कि क्या अम्बेदकर गांवों में केवल दलित रहते हैं और जातियों के लोग नहीं रहते । अगर मैंने अम्बेडकर गांवों के बारे में सवाल नहीं उठाया होता तो अन्य गांवों को सुविधा न मिलती । लेकिन हमारी सरकार ने 6 हजार गांवों का चयन किया है समग्र विकास योजना के लिए । इन गांवों में चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे गरीब हों या किसी जाति के लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके आवासों का निर्माण किया जाएगा । इसके साथ ही साथ गांवों में ऊर्जा, सड़कें, विद्युत आदि का मानकों के अनुसार विकास किया जाएगा । यह मान्यवर, पहली बार किया जा रहा है ।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल विकास के लिए और बुन्देलखण्ड विकास के लिए निधियों की व्यवस्था की है और उसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है इसके लिए उनको जितनी बधाई दी जाय कम है । मान्यवर, इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में व्यवस्था की गयी है । जिस प्रदेश में बिजली नहीं है वह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है । पंजाब हरियाणा आदि तमाम प्रदेश जहां पर बिजली है वह तरक्की कर रहे हैं । बिजली से कारखाने चलते हैं सिंचाई होती है, बिना बिजली के प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 हजार करोड़ की परियोजनायें इसके लिए दी हैं आगे आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बिजली के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश हो जायेगा और हम यहां से दूसरे प्रदेशों को बिजली देंगे । माननीय नेता विपक्ष ने भी इसकी तारीफ की है और इसकी आज सर्वत्र प्रशंसा हो रही है । मान्यवर, 1989 में जब मैं चुनाव जीतकर आया उसके बाद नलकूप बनना बन्द हो गये । गांवों में जो नलकूप हैं वह बन्द पड़े हैं । पहली बार चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना में 1 हजार नलकूप लगाने का लक्ष्य रखा गया है । इस साल 300 लगाये जायेंगे । मान्यवर, अगर धरती सूख जायगी तो उत्तर प्रदेश में आने वाली नस्लों के चेहरे भी नहीं खिलेंगे । मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास की बात कही गयी है । स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं माननीय मुलायम सिंह जी ने जैसे ही शपथ ली उन्होंने यह कहा कि हम सबसे पहले विद्यार्थियों को सुविधा देंगे और शिक्षा को ठीक करेंगे ।

मान्यवर, इसी के अन्तर्गत 67 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी । इसी तरह से 46189 बी० एड० और एल०टी० उत्तीर्ण किये लोगों को नौकरियों पर रखा जायेगा । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इण्टर तक लोगों को शिक्षा मुफ्त देने की घोषणा की है जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है । विपक्ष के लोग भी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं । कुछ लोग यह शंका प्रकट कर रहे हैं कि यह कैसे होगा लेकिन जो घर का मुखिया होता है वह देखता है कि घर कैसे चलाया जाये ।

मुख्यमंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं को सुविधा देने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने व्यवस्था की है । डा० लोहिया जी कहते थे कि गांव में सड़कों पर हमारी मातायें बहनें बैठती हैं और जब कोई गाड़ी आ जाती है तो उनको उठकर खड़ा होना पड़ता है । गांव में शौचालय बनाने की आज आवश्यकता है । हमारी सरकार ने 6 लाख शौचालय बनाने की व्यवस्था की है । विधायक निधि को हमारी सरकार ने बढ़ा दिया । प्रत्येक विधायक को 100 हैण्ड पम्प दिये गये इसके पहले इस मांग को लेकर हम कितनी बार वेल में गये और धरने पर बैठे लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आयी । यह हैण्ड पम्प गरीबों, दलितों की बस्तियों में लगेंगे । लेकिन दलितों की सरकार कहलाने वाली की बी० एस० पी० की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया । श्री मुलायम सिंह जी ने बिना भेदभाव किये पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को 100-100 हैण्ड पम्प दिये । विधायक निधि को बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया । पहली बार विपक्ष के नेताओं ने बजट भाषण की प्रशंसा की है । बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना में 12,500 आवासों की व्यवस्था की गयी है । उर्दू फारसी के नाम पर रामपुर में विश्वविद्यालय हो गया । इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों की इतनी भारी तादाद है । विपक्ष की बातों से लगा जैसे इस विश्वविद्यालय में केवल मुसलमान पढ़ेंगे । इस प्रदेश में कम से कम उर्दू के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है । कल मैं डुबौलिया बस्ती के मुशायरे में गया था तो वहां पर जब मैंने लोगों को यह बताया तो लोगों के चेहरे खिल गये । यह सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को लेकर चलती है । इसीलिए श्री मुलायम सिंह जी ने उर्दू फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की । इसके साथ ही साथ 10,000 कि०मी० सड़क के निर्माण की बात बजट में कही गयी है । 321 असेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालय खोलने का प्रविधान किया गया है । इसके साथ-साथ रिक्शा वालों को जो दलित जाति के हैं उनको चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था की है व मुस्लिम समाज के लोगों को 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था की है । इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है । श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 50 करोड़ रुपया केवल दलित छात्रों के लिए अलग से रखा है । यह स्कालर शिप के लिए रखा है । इससे ज्यादा दलितों की हमदर्दी और मदद का कार्य दूसरा क्या हो सकता है । सबसे ज्यादा समाज में जो गरीब होमगार्ड हैं उनको पहले 28 रुपया प्रतिदिन मिलता था उसको बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है । जो लोग यह कहते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है वह तो अन्धे हैं या फिर कुण्ठा ग्रसित हैं । यह बजट गरीबों के लिए है ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

यह जो जीप और ट्रैक्टर वाले लोग हैं..

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बीच में व्यवधान मत डालें ।

श्री राम करन आर्य–

आप लोगों ने हमारे हैण्ड पम्प खत्म कर दिये । लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं । एक दलित आदमी का हाथ तोड़ दिया गया वह दौड़ता रहा लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो मैंने गुस्से में कहा कि

मायावती के पास जाओ और वही रपट लिखायेंगी । 15 दिन तक वह दौड़ता रहा । मैंने भी फोन किया उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । एक एम०एल०ए० के कहने और फोन करने पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, उसका हाथ भी टूटा हुआ था । आज एक साधारण सी घटना की भी रिपोर्ट लिखी जाती है । आज बी०एस०पी० और बी०जे०पी० के लोग भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं । आप दिल से सोच लें कि इस समय की कानून व्यवस्था अच्छी थी या आज की । माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिलने के लिए सत्तापक्ष या विपक्ष का कोई भी विधायक मिलने जाता है तो वे उसमें कोई फर्क नहीं करते हैं, सबके काम करते हैं । मैंने पिछले दो पौने दो साल के शासन में कभी किसी कार्य के लिये नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी नहीं होना है अपमान के अलावा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप और कितना समय लेगें ? अब समाप्त करें ।

श्री राम करन आर्य–

मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह जनप्रिय बजट है । मेरी इच्छा है कि विपक्ष के सभी साथी, जिस तरीके से माननीय नेता विरोधी दल ने इसका समर्थन किया है, इसकी प्रशंसा की है, उसी तरह से इसका समर्थन करें ताकि प्रदेश का विकास हो सके और हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश सब प्रदेशों में आगे हो सके । जिस तरह से यह आबादी में सबसे बड़ा है उसी तरह से यह संसाधनों में भी सबसे आगे हो जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिये प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बजट जिस तरीके से पेश हुआ है, इस बजट में बहुत सारी विसंगतियां हैं । यह बजट जनप्रिय बजट नहीं है यह बजट सही मन और दिल से पेश किया हुआ बजट न होकर यह बजट जन कल्याण को दृष्टि में रखकर पेश न किया होकर, यह लोक सभा के चुनाव को देखकर पेश किया हुआ चुनावी बजट है । महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सरकार किसानों की रक्षा के लिये इतने लम्बे चौड़े दावे कर रही है जिस किसान को आज अपने गन्ना की कीमत पता नहीं है उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिला है । मान्यवर, मैं किसी दुकान में सामान लेने जाऊं और मेरे पाकेट में उसको उस सामान का मूल्य देने के लिये पैसा नहीं है तो दुकानदार सामान वापस ले लेगा, मुझे देगा नहीं । उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और इस प्रदेश का मुख्य उद्योग गन्ना है । आज किसान गन्ने को फूंक रहा है । प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं, वे फील गुड फैक्टर का मजाक उड़ा रहे थे । अभी सोनिया जी अपने दौरे पर गई थीं तो किसानो ने उनको अपने गन्ने के जले हुए खेत दिखाए ।

श्री वसीम अहमद–

आपके समय में तो 7-8 साल से सरकार ने किसानों को गन्ने का पैसा नहीं दिया है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

जब आपका समय आयेगा तब आप बोलियेगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों की हालत बहुत खराब है । शादी ब्याह का सीजन चल रहा है लेकिन किसान के पास पैसा नहीं है । वह

बहुत परेशान है । अपनी बेटी के लिये वह मंगलसूत्र नहीं खरीद पा रहा है, सिन्दूर नहीं खरीद पा रहा है । बजट में कहा गया है कि हम किसानों के लिये बीमा योजना लागू कर रहे हैं । असंगठित क्षेत्र के जो 37 करोड़ लोग हैं उनके लिये केन्द्र सरकार ने योजना लागू की है । प्रमोद जी फील गुड फैक्टर बता कर चले गये । उन गरीबों के लिये । यही फील गुड है । आज भारत सरकार ने एक लाख रुपये बीमे की व्यवस्था की है कोई मजदूर का काम करते हुए उनका निधन हो जाता है तो मैं उसकी विधवा के लिए 500 रुपये आजीवन पेंशन की व्यवस्था की गई है यह फील गुड फैक्टर है । इस बजट में किसानों के बारे में कहना चाहता हूं किसानों ने कौड़ी के भाव मिल मालिकों को धान बेच है । भा०ज०पा० की सरकार ने धान खरीदना शुरु किया इससे पहले धान की खरीदारी नहीं होती थी । बलिया में मेरे क्षेत्र में धान के सबसे ज्यादा केन्द्र होते थे सबसे ज्यादा धान बलिया में मेरे क्षेत्र में होता है नौ क्रय केन्द्र धान के यहां थे अब केवल एक क्रय केन्द्र रह गया है । अभी पांच छः दिन तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये कुन्तल धान मिल मालिकों को बेचा गया ।

एक मा० सदस्य–

कोरम पूरा नहीं है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

किसानों ने धान मिल मालिकों को बेच दिया यह बात प्रमाणित करती है कि यह सरकार उद्योगपतियों के प्रति चिन्तित है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उद्योगपतियों का सहयोग हो रहा है । लेकिन मान्यवर, भारत देश में 100 में 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं । विदेश में लोग 100 प्रतिशत में 3 प्रतिशत खेती करते हैं हमारे यहां 100 में से 80 लोग खेती करते हैं और आज हालत यह है कि किसानों का धान लेने वाला कोई नहीं है यह सरकार धनी लोगों को धनी बनाने का काम कर रही है । हाई टेक टाउनशिप की बात आप कर रहे हैं । 1500 एकड जमीन लेकर उद्योगपतियों के हवाले की जाएगी ।

(व्यवधान)

प्रदूषण दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है । मुलायम सिंह यादव जी ने छात्र जीवन से किसानों की लड़ाई लड़ी है । वह किसान के बेटे हैं । महामना लोहिया जी के अनुयायी हैं उनका उद्यमियों की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है । मान्यवर, हिन्दुस्तान का 43 फीसदी आलू उत्तर प्रदेश में होता है लेकन आलू रखने की जगह नहीं है लोग जमीन खोदकर आलू गाड़ रहे हैं यदि आलू समय से निर्यात किया जाता तो यह समस्या न आती । आज किसान भुखमरी के कगार पर है । बम्बई और दिल्ली में बैठक करने से आलू समस्या का हल नहीं होता है इसमें हमारे साथियों को सहयोग करना चाहिए । जब लोग रचनात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो नतीजे अच्छे निकलते हैं । किसानों के लिए जो बीमा की व्यवस्था मुख्य मंत्री जी ने की है यह सराहनीय बात है लेकिन बीमा कैसे देंगे यह नहीं बताया है । मान्यवर, एक व्यापारी का निधन अगर आकस्मिक होता है तो उसको चार लाख देने की व्यवस्था की गई है वहीं अगर गरीब किसान का निधन आकस्मिक होता है तो उसके लिए एक लाख की व्यवस्था की गई है । यह इन्सान की जान से इंसान की जान का फर्क है ।

श्री उपाध्यक्ष–

काफी हो गया है समाप्त करें ।

श्री राम इकबाल सिंह –

दो मिनट और दे दें ।

## सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

कोरम पूरा नहीं है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

इस प्रदेश में 46 लाख लोग हाईस्कूल पास बेरोजगार हैं ।

(श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सदन में कोरम की तरफ श्री उपाध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर श्री उपाध्यक्ष ने कोरम की घण्टी बजाने के आदेश दिये, कोरम की घंटी बजाई गई, 3 बजकर 2 मिनट पर कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई )

## वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री राम इकबाल सिंह–

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सदन को बता रहा था कि हाई स्कूल पास इस प्रदेश में 46 लाख बेरोजगार हैं, इण्टरमीडिएट पास 61 लाख बेरोजगार हैं और स्नातक पास 5 लाख बेरोजगार हैं । श्रीमन्, किसी भी देश के नौजवानों की इतनी बड़ी फौज को यदि अवसर दिया जाए तो वह हिमालय को हिला सकती है । सरकार इच्छा शक्ति पैदा करे और हमारे नौजवानों को काम देने की व्यवस्था करे तो यह बहुत बड़ा काम होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप एक जोड़ी गाय दे दें और उससे कहें कि इसे खिलाओ और उसका दूध बेंचो तो यह एक रचनात्मक काम हो सकता है । लेकिन अन्नपूर्णा योजना और आन्त्योदय योजना की तरह से बेरोजगारी भत्ता देकर तुष्टीकरण करना उचित नहीं होगा । आज जो कानून-व्यवस्था बिगड़ी है, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कानून-व्यवस्था को ठीक करना होगा । श्रीमन् हमारे जिले में 7 हत्यायें हुई हैं लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । डा० राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना है यह बजट में है, हम इसका स्वागत करते हैं । जय प्रकाश नारायण जी का जिक्र आया, हम कहना चाहते हैं जय प्रकाश नारायण शताब्दी वर्ष था । हमारे जनपद में जे०पी० पैकेज के अन्तर्गत सीवर लाइन के लिए 40 लाख रुपया दिया गया था, लालजी टण्डन जी उसका शिलान्यास भी कर आये थे, 6 करोड़ रुपया केन्द्र से आया था लेकिन काम शुरू नही हुआ हैं । श्रीमन् हमारे यहां जे०पी० पैकेज में ही गोठई और बैरई में मण्डियां बननी थीं, हुकुम सिंह जी ने उनका उद्घाटन किया था । इसी प्रकार जो टंकियां वहां बननी थीं उनका काम भी नही हुआ है ।

जो सरकार विकास का दावा कर रही है, आज जिला योजना का मात्र 24 फीसदी रुपया ही गया है, कैसे विकास होगा, डेढ़ महीने रह गया है । श्रीमन् हम सुझाव देना चाहते हैं नौजवानों को जो नौकरी देने के लिए भारत सरकार से 12 करोड़ रुपये मिले हैं; सरकार 46 हजार बी०एड० और एल०टी० प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है, हम चाहते हैं कि बी०पी०एड० और सी०पी०एड० के लड़कों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए । मान्यवर, यह सच है कि उत्तर प्रदेश में दहेज की समस्या है । आप 67 हजार शिक्षा मित्रों की भर्ती करने जा रहे हैं । मान्यवर, दहेज के बिना लड़कियों की शादी न हो पाने के कारण वह आत्महत्या को मजबूर हैं । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो 67 हजार शिक्षा मित्रों की भर्ती होनी है वह लड़कियों से भर ली जाये इससे उन लड़कियों के परिवार को दहेज से मुक्ति मिल जायेगी । यह प्रदेश और देश के लिए बहुत अच्छा होगा । आप जब सिंचाई मंत्री थे तो नहर की सफाई होनी चाहिए थी । आप 31 जनवरी तक नहर की सफाई करवा रहे थे लेकिन ऐसा नही हुआ इससे आपकी मंशा का साफ पता चलता है । मान्यवर, आज सब्जियों के रख-रखाव की

व्यवस्था नहीं है । चीन से हमें प्रधान मंत्री जी ने उपलब्ध करायी है । हमारे यहां बलिया में परवल सबसे ज्यादा होता है अगर आप प्रत्येक ब्लाक में एक कोल्ड स्टोरेज बनवा दें तो हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे, सब्जी के मामले में और सब्जी के मामले में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर जायेंगे । आपने मुझे निकम्मे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद और इस निकम्मे बजट का मै विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० अजय कुमार–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद । एक लोकप्रिय सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में प्रस्तुत बेघर के पक्ष में खड़ा हुआ है । मान्यवर, विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, सिंचाई जैसी योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है । यह बहुत सराहनीय कदम है । इसके अतिरिक्त महिलाओं, अल्पसंख्यकों के हित में समाज के दुर्बल वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रमुखता से ध्यान रखा जा रहा है । यह काफी सराहनीय कदम है । वैसे तो नेता प्रतिपक्ष चले गये हैं उन्हें भी कुछ कमी ढूंढे नहीं मिला उन्होंने भी सराहना ही की । हमारा देश और प्रदेश गांवों में बसता है । किसानों के लिए यह आवश्यक है कि उनके खेत में उत्पादन बढ़े और उत्पाद का सही दाम मिले तब ही गांवों का विकास हो सकता है । परन्तु पिछली सरकार ने जो गन्ने का मूल्य पचान्नवे रुपये प्रति कुन्तल घोषित किया था वह निजी चीनी मिलों द्वारा नहीं दिया जा रहा है । एक ही क्षेत्र में सरकारी मिल घोषित मूल्य दे रही है और उसी क्षेत्र में स्थित निजी चीनी मिल है उन दोनों के दामों में भारी अन्तर है । इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा और बसपा सरकार व केन्द्र सरकार जिम्मेदार है, दोषी है । अगर इन सरकारों ने कड़ाई की होती तो गन्ना समस्या की आज यह नौबत नहीं आती । आज माननीय मुलायम सिंह जी किसानों को राहत महसूस करा रहे हैं । गांव में एक कहावत है एक व्यापारी था उसकी छाती के ऊपर साँप उतरकर चला गया । किसी साथी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि सांप आया था और वह सीने पर से उतरकर चला गया । तो मित्र ने कहा कि इसमें क्या परेशानी है । तो उसने बताया कि उसने सूर्य ने रास्ता देख लिया है वह कल फिर सीने पर से उतर सकता है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि निजी चीनी मिल मालिक सांप ने रास्ता देख लिया है । अगर यह सरकार पिछली बार ही गन्ना के विषय में चेत जाती तो यह आज समस्या न होती । इनकी सरकार, जो कि केन्द्र में राजग के नाम से जानी जाती है वह फील गुड का नारा दे रही है । लेकिन आप गन्ना किसानों की तरफ देखें । गन्ना कृषक बहुत ही परेशान है ।

(व्यवधान)

केन्द्र सरकार ही रिकवरी तय करने वाले फारमूले लाती है । आपने केन्द्र में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा, आप गन्ना मूल्य तय नहीं कर पायें । आपने पैकेज दिया ऋण के रूप में लिया दिया लेकिन केन्द्र पैकेज के अनुदान के रूप में क्यों नहीं देना चाहते हैं । मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूं । यह पिछली तीन चार वर्षों के हैं । सिंचाई के लिए बिजली और उर्वरक और डीजल के दाम में कितनी वृद्धि हुई । 99-2000 में इन तीनों चीजों में 14.8 प्रतिशत 2000-2001 में 15 प्रतिशत, 2001-2002 में 49 प्रतिशत तथा 2002-2003 में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जब खेती में प्रयोग होने वाले चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों के उत्पाद के दाम क्यों नहीं बढ़ाया यह एक विचारणीय गम्भीर प्रश्न है । इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । आज गन्ना किसानों की हालत खराब है कि गन्ना उनकी एक कैश क्रप है और पूरे साल की आमदनी का जरिया यही रहता है । आज उन किसानों की

हालत और भी ज्यादा खराब है । जिसके पास बीस बीघे खेत है तो 18 बीघे में वह गन्ना बोता है और आज केन्द्र सरकार फील गुड कर रहे हैं आज चन्द शहरों व सम्पन्न घरानों में फील गुड हो रहा होगा लेकिन देहातों और कस्बों में आप जाकर देखें कहीं भी फील गुड नहीं हो रहा है । बी०जे०पी० का कोई हक नहीं है कि वह अधपेट भूख पेट वालों की खिल्ली उड़ायें और गरीब बेरोजगार युवकों के जख्मों पर फील गुड का नमक छिड़कें । आपके समय में गन्ने पर स्टे कराया और फिर एस०एम०पी० 73 रुपये प्रति कु० निर्धारित की । इसी विधान सभा में माननीय हुकुम सिंह जी परसों कह रहे थे कि गन्ने का एस०एम०पी० 73 रुपये से 69 रुपये कोर्ट में स्टे हो गयी । उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आदेश तो केन्द्र सरकार का था । केन्द्र ने क्या कार्यवाही की यह मेरा सवाल है । इसमें पक्ष और विपक्ष में न पड़कर मेरी आप सबसे विनती है अपील है कि इसमें सभी पक्षों को प्रयास करने होंगे नहीं तो गन्ना किसानों को बड़ी बरबादी होगी । यह बहुत अच्छी बात है कि विद्युत के लिए उ०प्र० सरकार द्वारा कई परियोजनाएं शुरु की जा रही हैं यह एक अच्छा प्रयास है ।

माननीय मुलायम सिंह जी की इच्छा शक्ति है और वह गैस आधारित दुनिया का विशालतम पावर प्रोजेक्ट उ०प्र० में लगाना चाहते हैं । चौदह घण्टे बिजली से सब जगह गांव-गांव में सराहना हो रही है । ग्रामीण यह कह रहे हैं कि चौदह घण्टे बिजली मिलने से खेती में तरक्की होगी । मैं यह चाहूंगा कि चौदह घण्टे बिजली दी जाय लेकिन शाम के 6 बजे से रात दस बजे तक भी विद्युत आपूर्ति कराने की आवश्यकता है हमारी उ०प्र० सरकार गांधी जी, जय प्रकाश जी, लोहिया जी चौधरी चरण सिंह की सादगी को विकास के सिद्धान्तों का आदर्श मानती है । सरकार ने बहुत ही सराहनीय अनेक कार्य किए हैं जैसे त्वरित विकास परियोजना के अन्तर्गत सड़क सिंचाई संबंधी जो कार्य किए गए हैं वह बहुत ही अच्छे हैं जिनमें छः लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का जो निर्माण किया जा रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है । लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पर कई बार चिन्ता और दुःख प्रकट किया करते थे कि सड़कों के किनारे बैठकर ग्रामीण महिलायें शौच करती हैं और जब कोई गाड़ी आर वाहन वहां से गुजरता है तो वे बेचारी बीच में खड़ी हो जाती हैं । मान्यवर, यह जो कार्य किया गया है गांवों में शौचालय के निर्माण का इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है । विधायक निधि में पैसा बढ़ाया जाय इसकी मांग की जाती थी, जो पहले 75 लाख रुपये था उसको हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया और उसको इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये कर दिया ।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस विधायक निधि का नाम अगर क्षेत्रीय विकास निधि कर दिया जाये तो बहुत ही अच्छा होगा मान्यवर, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, मैं ऐसे दर्जनों विधायकों को जानता हूं एवं क्षेत्रजन भी जानते हैं कि कहीं कमीशन नहीं लेते हैं और जो अपने क्षेत्र की उन्नति ईमानदारी एवं लगन से करना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाये जाने का कुप्रयास होता रहा है, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है भ्रष्टाचार का एक मामला मैं आपको बता रहा हूं मेरे क्षेत्र में बड़ौत से लेकर छपरौली होते हुए टाण्डा मार्ग, 22 कि०मी० की सड़क यू०पी० डास्क द्वारा सड़क बनी है, एक महीना भी नहीं हुआ है वह सड़क टूट रही है । हम सब हमेशा अधिकारियों पर अच्छी सड़क बनाने पर जोर देते रहे लेकिन बार-बार आश्वासन यही मिलता रहा कि अच्छा काम होगा, गुणवत्ता के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य होगा । तो मैं ऐसे अधिकारियों ऐसे लोगों को जो ऐसे घटिया निर्माण भ्रष्ट व लापरवाही में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध मैं कठोर कार्यवाही करने की मांग करूंगा क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे की ओर बहती है । जिसे रोकना होगा । घटिया निर्माण के लिये ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही बहुत ही जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया अब आप समाप्त करें ।

डा० अजय कुमार–

मान्यवर, मैं इस सरकार के लिए एक सुझाव और देना चाहूंगा कि गांवों में किसानों ने अपने निजी ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन का आवेदन किया है सामान्य योजना में लेकिन दो वर्ष हो गए हैं, पिछली नकारा सरकार की वजह से आज तक छपरौली विधान सभा क्षेत्र में किसानों ने निजी नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए पैसा जमा किया है लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निजी नलकूपों को शीघ्र ऊर्जीकृत कराये जाने का प्रयास किया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सराहनीय बजट का पुनः समर्थन करते हुए इसकी प्रशंसा करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के विरोध में बोलने का अवसर दिया । माननीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने की बात बहुत जोर-शोर से कही गयी है और यहां पर जो विधायक प्रतिपक्ष के विधायक जब शान्ति व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है तो उनको इशारों-इशारों में सत्ता पक्ष की ओर से धमकी दी जाती है, उनका मुंह बन्द कर दिया जाता है और हमारे यहां के पड़ोसी लोग तो सदन छोड़ करके ही भाग गए । मान्यवर, हम तो आपके सामने जो हो रहा है प्रदेश के अन्दर जो अव्यवस्था फैल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं उसकी शिकायत लेकर के आते हैं । आप जुबान बन्द करने की धमकी देते हैं । हमने सोचा था कि "चले हाकिम से करेंगे फरियाद लेकिन वह भी कम्बख्त तेरा चाहने वाला निकला" आप अपराधियों के संरक्षक हैं इसलिए आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है । मान्यवर, मैं कुछ घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं । इसी 12तारीख को चारबाग स्टेशन पर एक लड़का बैठा हुआ था और प्रतीक्षा कर रहा था ट्रेन की उसको लोगों ने जबरदस्ती कुर्सी पर से उठा दिया और उसे पागल कह कर अपमान करने लगे । उसने अपने बचाव में खड़े होकर लोगों पर प्रहार किया तो उसको दौड़ाया गया और जब वह कैरिज एण्ड वैगेन वर्क शाप आलमबाग तक पहुंच गया तो पुलिस ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई । तो यह जंगल राज नहीं तो और क्या है ? मान्यवर, हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक वरिष्ठ नेता कल्लू जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में रहते थे उनकी कनपटी पर बन्दूक लगा कर हत्या कर दी गई । उनके परिवार की सुरक्षा की जाये, उनके परिवार को मुआवजा देने की बात ये सरकार कहे ।

छात्र नेता श्रवण जायसवाल की अभी-अभी हत्या की गई । इसी तरह से अनिल रस्तोगी जो टैम्पो स्टैण्ड के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई । श्री नन्द लाल यादव जो यू०पी० एग्रो के कर्मचारी नेता थे उनका अपहरण दो-तीन माह पूर्व हो गया अभी तक वह जिन्दा या मुर्दा नहीं मिले हैं और न ही उनके बारे में कोई समुचित सूचना सरकार के द्वारा बतायी जा रही है । न तो उसमें कोई अपराधी पकड़े गये और न कहीं से नन्द लाल बरामद किये गये हैं । मान्यवर, आज अपहरण की घटनायें एक नहीं हजारों हो रही, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं । फिर भी यह सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है कि सब कुछ ठीक है और सब जगह चैन की बंसी बज रही है और सारी कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है ।

मान्यवर, मैं आपके सामने शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षकों के प्रति यह सरकार अपने को संवेदनशील कहती है। जब मुख्यमंत्री जी अपने को शिक्षक कहते हैं और शिक्षकों का नुमाइंदा कहते हैं। मान्यवर, मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं शिक्षक परिवार का बेटा हूं। किन्तु जहां तक शिक्षकों के अवकाश प्राप्ति करने का प्रश्न है, उनकी आयु सीमा बढ़ाने की बात है आपने डिग्री कालेजों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। किन्तु वहां के जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके बारे में कही न भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों के बारे में आप चिन्ता करें और उनकी ऐज को भी बढ़ाया जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय डिग्री कालेज मेरे पिछले कार्यकाल में बना था उसमें बी०ए० की शिक्षा प्रारम्भ हुई थी, वहां मैंने प्रयास करके बी०काम० की भी कक्षाएं प्रारम्भ करवा दी थीं किन्तु इस बार मैंने जब वर्तमान सरकार से उसमें बी०एस-सी० की कक्षाएं खुलवाने की बात की तो मेरे प्रश्न के उत्तर में इस सदन में बताया गया कि वहां पर बी०एस-सी० की कक्षाएं प्रारम्भ नही हो सकती हैं। मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र में बी०एस-सी० की कक्षाएं प्रारम्भ करना पं० दीन दयाल उपाध्याय डिग्री कालेज में अति आवश्यक है। मैं चिकित्सा के क्षेत्र की बात कह रहा हूं। यह सरकार बड़ा ढ़िंढोरा बजट में पीटी है कि 8 रुपये के पर्चे का मूल्य घटाकर एक रुपया कर दिया है लेकिन एनेस्थिसिया शुल्क पहले नहीं लिया जाता था इस सरकार ने थोप दिया। अब आपरेशन के पहले एनेस्थिया शुल्क देना पड़ेगा। इस सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नही की कि वहां पर मरीज को दवा की व्यवस्था हो। इस सरकार ने यदि कोई पहला काम किया तो वह यह कि अस्पतालों को गुलाबी रंग से पोतवाने का काम किया। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि बहुत से अस्पताल खाली पड़े हैं वहां पर पीएमएस डाक्टरों की नियुक्ति की जाय सरकार ने कहा कि यह मेरा काम नही है आयोग में मामला पड़ा हुआ है। मान्यवर, सरकार का दायित्व है कि प्री पीएमएस डाक्टरों की नियुक्ति करें। अब मैं केजीएमयू के बारे में कहना चाहता हूं कि यहां के जो डाक्टर हैं वह एसजीपीजीआई के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं इस संबंध में डाक्टर नित्यानन्द की रिपोर्ट सम्मिट हो गयी है और उन्होंने उसमें कहा है कि इन्हें एसजीपीजीआई के बराबर वेतन दिया जाय।

मान्यवर, धनवन्तरि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा पहले की गयी थी लेकिन उसे कूड़े के ढेर में डाल दिया गया और वह बन नहीं पाया लेकिन उसके बाद एक डेन्टल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी गयी। मैं आग्रह कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आर विख्यात राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हमारे विधान सभा क्षेत्र में है उसको उच्चीकृत करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नगर विकास मंत्रालय की ओर से एक जी०ओ० जारी किया गया है कि सभासदों को अब कोई धन विकास के लिए आवंटित नहीं किया जायेगा यह फैसला अब अधिकारी करेंगे कि किस क्षेत्र में विकास कराया जाय और किसमें न कराया जाय। उनको प्रोवाइड किये गये मोबाइल फोन छीन लिये गये उप नगर अधिकारी को जो मोटर दी गयी थी वह वापस ले ली गयी इससे विकास काम ठप हो गया है इसलिए जो जी०ओ० जारी किया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाय। मान्यवर, मैं अपने इन शब्दों के साथ मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उसकी प्रशंसा की जाय केवल अपने हाथ से पीठ थपथपाई गयी है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

* श्री अजीम भाई–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब यह सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश के 57 सैकड़ा लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की थी। यह संख्या उस समय भी उतनी नहीं थी जब 1977 में जनता सरकार बनी थी, उससे ज्यादा लोग इस सरकार के बनने पर खुश हुए थे। इसलिए खुश हुए थे कि वह पिछली सरकार से बहुत दुखी थे। सिर्फ 4 माह के समय में सबसे ज्यादा बिकने वाली हिन्दी मैगजीन में उस प्रदेश के मुख्य मंत्री के बारे में लोगों से पूछा गया था ? बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लोगों में यह सर्वे किया गया था कि हिन्दुस्तान में ऐसा कौन सा लोकप्रिय मुख्य मंत्री है जो अपनी जनता के लिये अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ 4 महीने के समय में माननीय मुलायम सिह यादव को इस मामले में दूसरा नं० मिला है। थोड़े दिन और ठहरिये नं० एक पर आयेंगे अच्छे काम में। अब 8 साल की बरबादी को 4 महीने में सब कुछ सुधारने की उम्मीद करोगे तो यह बहुत गलत बात है। आपको यह भी मालूम है कि जब यह सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर थी, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, उखड़ी हुयी मिली थी। इसी महान सदन में विधायक लोग अपनी निधि बढ़ाने के लिये कहा करते थे तो कहा जाता था कि पैसा नहीं है पैसा बढ़ नही सकता इसी तरह विद्युतीकरण के लिये गांवों की मांग की गयी तो कह दिया कि पैसा नही है, हम गांव का विद्युतीकरण नही करा सकते।

लेकिन यही सरकार जिसने 75 लाख से विधायक निधि बढ़ाकर । करोड़ कर दिया और विद्युतीकरण के लिये भी आपको 5 गांव मिल गये। कहां से आ गया यह पैसा सब जानते हैं अच्छी तरह से। अभी हमारे बहुत सीनियर नेता बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के। हमें यह सिखाया गया है कि अपने सीनियर की इज्जत कीजिये हां करते हैं। उनके पास बजट की बुराई करने के लिये शब्द नही थे, यहां बलात्कार की बात कर देंगे, हत्या की बात कर देंगे, इनके जमाने में 8 साल में एक भी बलात्कार नही हुआ, एक भी हत्या नहीं हुयी, एक भी डकैती नही हुयी, कही चोरी नही हुयी, सब राम राज्य था। अभी अखबारों की कटिंग दिखा रहे थे, तो इसका मतलब गहन अध्ययन करते हैं चाहे आर्थिक स्थिति के जानने वाले रहे हों, चहे शिक्षा विभाग के लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, अखबार भरे हुये हैं बजट की प्रशंसा में। हर आदमी इस बजट की तारीफ कर रहा है। हर आदमी माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा पेश किये गये इस बजट की प्रशंसा कर रहा है, इनके पास शब्द नहीं हैं, बुराई करने के लिये। तो लखनऊ की समस्यायें गिना रहे हैं। कौन सा ऐसा विभाग है जिसके विकास के लिए, उद्धार के लिए नहीं कहा गया। सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सबके बारे में, किसान के बारे में भी कहा गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, हम नये सदस्य हैं। जब हम विपक्ष में बैठते थे तो हमने इसी माननीय सदन में इन्हीं लोगों के मुंह से सुना है कि एक वक्त उर्दू में बैनामे हुआ करते थे, उर्दू में लिखा-पढ़ी होती थी, कई बार लोग कहते थे कि उर्दू हिन्दी की छोटी बहन है। लेकिन क्या किया आपने ? हमने यहीं खड़े होकर मांग की थी कि उर्दू के लिए कुछ किया जाय। वर्ष 93-94 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मे उर्दू के लिए किया, उसके बाद इनकी सरकार खत्म हो गयी और यह प्रस्ताव प्रस्तावित रहा, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। सन् 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 तक उर्दू के अध्यापक नहीं रखे गये। इसको कहते हैं सरकार और इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पहले ही बजट में ऐलान हो गया कि 3 हजार उर्दू के अध्यापक रखे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

जायेंगे और उर्दू को रोजी-रोटी से जोडा जायेगा । कहां की भाषा है यह ? क्या इसको भी विदेश से सप्लाई किया गया है, आप उर्दू का इतिहास जानिये, उर्दू हमारे देश की भाषा है, उर्दू को जब तक रोजी-रोटी से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक उर्दू की उन्नति नहीं हो सकती । माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने भी उर्दू पढ़ी होगी, आज उर्दू खत्म होने के कगार पर है । हम लोगों ने जैसे-तैसे पढ़ ली आने वाली नस्ल उर्दू नहीं पढ़ रही है, क्योंकि वह रोजी-रोटी से नहीं जुड़ी है । यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ा गया है और उर्दू के अध्यापकों को रखने का एलान किया गया है । बहुत से विकास के काम किये गये हैं, जो अल्पसंख्यकों को ऋण दिया जाता है उसके ब्याज को भी कम किया गया है । हम जिनके अनुयायी हैं, हम जिनको मानते हैं, हमारे नेता जिनको मानते हैं, उन्होंने नारा दिया था 'रोटी-कपड़ा सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्त होगी' उसको साकार करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने । आठ रुपये के पर्चे को एक रुपये का कर दिया, आपको तो मेजें थपथपा कर उनका स्वागत करना चाहिए जिसने इण्टर तक शिक्षा मुफ्त कर दिया । उर्दू में किसी एक वर्ग के लोग पढ़ने नहीं जायेंगे और न ही किसी एक जाति के लोग पढ़ने जायेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश का हर जाति, हर धर्म को मानने वाला बच्चा इण्टर तक की शिक्षा मुफ्त प्राप्त करेगा । आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं । इस बजट पर बहुत कुछ बोला जा सकता है । मैं चाहता हूं कि जब तक आप टोकें मैं उसके पहले ही बैठ जाऊं । प्रशंसा में बहुत कुछ बोला जा सकता है ।

(विपक्ष द्वारा टोका-टाकी करने पर)

आप लोगों के पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसकी कमी निकाल नहीं सकते हैं । इतने वरिष्ठ सदस्य माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम जिन्हें अखबारों में पढ़ते थे, यहां आने से पहले टेलीविजन और अखबारों में उनका बड़ा नाम सुना था, उन्होंने भी धन्यवाद दिया तो आप कौन सी कमी निकाल सकते हैं । अभी दो-चार भाजपा के भाई मिले थे, उन्होंने कहा कि बहुत-बहुत धन्यवाद एक-एक करोड़ रुपया दिया है, पांच गांव दे दिये हैं । मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश है, उसमें 74 परसेंट खर्च होगा, इसकी घोषणा के लिए मैं माननीय नेता जी को धन्यवाद देता हूं । एक अफवाह बहुत जोर से लोग चला देते हैं, मेरा बहुत तजुर्बा है एक बार पूरे हिन्दुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग दूध लिए घूम रहे थे गणेश जी को पिलाने के लिए । गणेश जी को दूध पिला दिया इन लोगों ने ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें ।

श्री अजीम भाई–

अब यह हवा फैला रहे हैं कि यह सरकार लोक सभा और विधान सभा के चुनाव साथ-साथ करा रही है । मैं कह रहा हूं कि यह सरकार पूरे तीन साल चलेगी और दसियों साल आप वहीं पर बैठेंगे । मान्यवर, इस बजट में उस इन्सान के लिए कहा गया है जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा । उस आखिरी व्यक्ति के लिए इस बजट में कहा गया है जो आपके सपने में भी नहीं आता होगा । माननीय उपाध्यक्ष जी, डा० लोहिया रिक्शे पर कभी सवारी नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि एक इन्सान को बिठाकर एक इन्सान रिक्शे को खींचता है । इस बजट में उस आखिरी इन्सान के बारे में, जो रिक्शा चलाता है, कहा गया है । इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बेलने का अवसर दिया इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद । मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से बजट के विपक्ष में केवल अपनी बात ही नहीं रखी, बल्कि तर्कपूर्ण सुझाव भी दिये हैं, जिन सुझावों को नेता सदन ने और सारे लोगों ने नोट किया है । यह उनकी सहृदयता थी कि विषय को रखते हुए केवल आलोचना ही नहीं किया बल्कि सुझाव भी दिये । जब डकैती, लूट आदि के बारे में भी बताया लेकिन तब सत्तापक्ष द्वारा भी मेजें थपथपाई जाती रहीं । हमारे सामने हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं । माननीय प्रमोद जी की भावनाओं को समझते हुए और जिस प्रकार से अभी फील गुड के बारे में सिंह साहब कह रहे थे । फील गुड का अनुभव वास्तव में तिवारी जी को नहीं हो पाया । उसका कारण यह है कि जिस समय [xxx] "रोड-शो" में निकली हुई थी, उस "रोड-शो" में वहां की जनता [xxx] की छटा को निहार रही थी किन्तु पाल साहब के कारण ही तिवारी जी गुड फील का अनुभव नहीं कर पा रहे थे ।

डा० सुशील चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो इस हाउस का सदस्य नहीं है उस पर कैसे चर्चा की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम न लें ।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, जहां तक फील गुड का प्रश्न है मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका में इण्डिया के वैज्ञानिक रह रहे हैं, जब पोखरण का विस्फोट हुआ तो वैज्ञानिकों के बीच में यह चर्चा हुई और इण्डिया के वैज्ञानिकों से पूछा कि आप कैसा अनुभव कर रहे हो । तो उस समय इण्डिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि गुड फील कर रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी गुड फील का अनुभव करते हुये इस बजट में दो दो बार इस शब्द का समावेश किया है । बजट भाषण के पृष्ठ–5। में खाद्य एवं रसद से संबंधित जितना भी उल्लेख किया गया है । उस सारे उल्लेख में एक भी चीज उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ी हुई नहीं है किन्तु उत्तर प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने खाद्य एवं रसद वाले चैप्टर में यह बताया है कि कितने किलोग्राम चावल गेहूं व अन्य खाद्यान्न कितने रुपये प्रति किलोग्राम में दिया जायेगा । इस सबका भरसक समावेश करके उत्तर प्रदेश की जनता को सुखानुभूति दी है । यह देन उनकी नहीं है । लेकिन गुड फील दिया गया है । सड़क का उल्लेख करते समय उन्होंने यह जरूर कह दिया कि "प्रधानमंत्री सड़क" परन्तु यह नही बताया कि "कितना प्रधान मंत्री" और "कितना हमारी" सड़क है । यह अन्दरखाने में समा गये परन्तु सुख की अनुभूति की है । मान्यवर, जहां तक इस बजट पर चर्चा करने का सवाल है । इस बजट में चर्चा कोई अनुभूति नहीं है और इस बजट के बारे मे पक्ष और विपक्ष कोई सुखानुभूति अनुभव नही कर पा रहा है । इस बजट से कुछ होने वाला नहीं है । इसलिए बार-बार कोरम की घंटी बजानी पड़ रही है यह हमारे बजट के प्रति चिन्तन की अनुकृति है । कल अखबार में मैंने पढ़ा था इस बजट के बारे में उसमें लिखा था कि मुख्य मंत्री ने सबको बताशा बांटा ।

---

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लेकिन इस बजट से बेरोजगार नवजवान जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसको नौकरी देंगे उसको बताशा नही मिला उसको कुछ नही मिला वह वहीं का वहीं रह गया उसको कुछ नही पहुंचा ।

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र उर्दू के शिक्षकों के बारे मे कह रहे थे और ऐसा इंगित कर रहे थे कि जैसे उर्दू एक जमात की भाषा है और उसी समाज से उसको जोड़ना चाहते थे । लेकिन मैं ऐसा नही मानता हूं । यदि वह ऐसा मानते हैं तो यह उनकी मानसिकता है । और सोचे है समाज के बारे में । मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू शिक्षकों को राम प्रकाश जी ने 1977 में नियुक्त किया था । यह बात उनके मन में स्पष्ट होनी चाहिए । मान्यवर, संस्कृति के बारे में भी माननीय नेता सदन ने एक बार भी कुछ नहीं कहा और न एक नये पैसे की व्यवस्था की । उनका डर दर्द संस्कृति के बारे में कहीं दिखायी नहीं दिया । मान्यवर, यदि इस बजट में बहराइच का समावेश होता जहां से नदियों का जन्म हुआ है तो एक अच्छी बात होगी । मान्यवर, खुर्पया और सिंगइता नदी से राप्ती बनती है इसी तरह से गेरूआ और कौड़िया नदी मिल कर घाघरा नदी आर कुएं से कुआनो नदी चली है । लेकिन बहराइच के बारे में इन नदियों का समावेश करते हुए कोई योजना बनाई गई होती और उनके जल का उपयोग करने के लिए कोई चिन्तन इस बजट में किया गया होता तो हमें लगता कि यह एक सम्यक् चिन्तन करने वालों का बजट है । आज परीक्षा का समय है बिजली 14 घन्टे नही मिलती है । लखनऊ में बिजली होगी लेकिन छोटे जिले बिजली के अभाव में तरस रहे हैं । इसके लिए बजट में समावेश नही है । यदि परीक्षा में बिजली का अभाव है तो छात्र कैसे अपना अध्ययन कर सकेंगे और कैसे परीक्षा दे सकेंगे । यहां पर एक बात बार-बार कही जाती है कि इन्हीं लोगों ने यह काम किया है । इन्ही लोगों ने वह काम किया है । मान्यवर, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा की शिकायत क्यों कर रहे हैं "इन्हीं लोगों ने " बार-बार कहना ठीक नहीं है । आपको यह कहना चाहिये कि यह काम हमारा है और हम इसे करेंगे । अगर इन्हीं लोगों ने काम किये होते तो हम आज उधर बैठे होते । जो यह आप का बजट आया है इसमें अहसास का भाव नहीं है । यह बजट अर्थहीन मान लिया गया है । इस बजट का विरोध करते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राम लाल अकेला–

मान्यवर, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुर्झाये हुये और निराश चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है । इस बजट में किसानों, खेती और गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति के लिये व्यवस्था की गयी है । मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे विपक्ष के साथियों ने इस बजट के संबंध में जो भी बातें कही हैं ।

## सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कोरम पूरा नहीं है ।

(श्री मुंशी लाल गौतम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम की घंटी बजाई जाए ।

(कोरम की घंटी बजाई गई )

(कोरम पूरा होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अकेला जी भाषण पूरा करिए ।

श्री अजीम भाई–

लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है । विपक्ष तो बहुत कमजोर है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन साहब ने व्यवस्था का सवाल उठाया था कह दें ।

श्री मुंशीलाल गौतम–

मैं बैठा हूं ।

श्री बीजू पटनायक–

इनका भी कोरम पूरा नही है ।

**वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)**

श्री राम लाल अकेला–

मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो चहुमुखी विकास किसानों के खेतों में हरियाली और मुर्झाये हुए चेहरों में मलहम लगाने वाला जो बजट प्रस्तुत किया है । मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं अपने योग्य साथी अजीम भाई, जो धन्यवाद यहां रख रहे थे, को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिनकी निगाह उन गरीब रिक्शा चालकों की तरफ गई जिनके उत्थान के बारे में आज तक किसी ने कभी नही सोचा था । मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने रिक्शा चालकों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए पहले उनको जो लाइसेंस बनवाने के लिये शुल्क देना पड़ता था, उस शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करने का प्राविधान इस बजट में किया है । मान्यवर, इस बजट को हमारे विपक्ष के साथियों ने और खास तौर से दबे कुचले हुए लोगों ने पढ़ने का काम नहीं किया । जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, ऐसे 10 हजार लोगों को सस्ते ब्याज पर रिक्शा उपलब्ध कराकर उन्हें रिक्शा मालिक बनाने का काम किया जायेगा । मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन बजट पर आलोचना के लिए इनके पास कुछ नहीं है ।

जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जिन गांवों में 2-2, 3-3 महीने लोग बिजली के बल्ब की रोशनी देखने के लिए तरसते थे इस सरकार के बनते ही गांव में 14 से 18 घण्टे विद्युत की आपूर्ति पा रहे हैं । मान्यवर, यही नहीं, यह सरकार किसानों की सरकार है और यह जो हमारे नेता जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार काम से बोलेगी । रेडियो और अखबार से नहीं बोलेगी । नेता जी ने जो एक नारा दिया था कि मुलायम सिंह का सन्देश, गांव बढ़े तो बढ़ेगा देश । अपने उस नारे का पूरी तरह से इस बजट भाषण में प्राविधान करने को चरितार्थ करने का काम किया है । सारे लोग, अधिकांश विपक्ष के साथी, किसान न हों लेकिन इधर बैठे हुए लोग ज्यादातर किसान के बेटे हैं और जिस तरीके से किसान नहरों से सिंचाई के लिए तरसता था ।

नहरें पूरी तरह से सिल्ट से पट गयी थीं। किसान के खेत को पानी नहीं मिल पा रहा था। आज समूचे उत्तर प्रदेश का किसान एक स्वर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने एक तरफ से उत्तर प्रदेश के सारे रजवाहों, माइनरों को ठीक कराकर नहरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं लेकिन किसी ने भी व्यापारी वर्ग के लिए एक नये पैसे का काम नहीं किया। पिछले समय में भी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो इन्होंने ही चुंगी को समाप्त करके व्यापरियों को राहत देने का काम किया था। उस किसान को राहत देने का काम किया था जो अपने खेत में सब्जी पैदा करता था और उस सब्जी को बेचने के लिए जब वह नगरीय बाजार में आता था तो चुंगी के नाम पर उस गरीब किसान को लूटने का काम किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चुंगी को समाप्त करके लाखों किसानों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। आज कानून व्यवस्था की बात की जाती है। हम लोगों को याद है अच्छी तरह से इस सदन में हम नये सदस्य थे और हम लोग सोच रहे थे कि अगर सदन के अन्दर जाकर कोई बात करेंगे, उस पर विचार करेंगे तो 4 महीने पहले का इतिहास मैं दोहराना नहीं चाहता। उस समय की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों की तरफ किसी सदस्य ने इशारा करने का काम किया तो वह घर बाद में पहुंचता था, उसके घर में पुलिस पहले पहुंच जाया करती थी। यही नहीं था मान्यवर, उन विधायकों के खिलाफ उन साथियों के खिलाफ गैंगस्टर, रासुका और पोटा जैसी संगीन धाराओं को लगाकर उन्हें जेल के सीखचों में डालने का काम किया गया था। कानून व्यवस्था की बात करते हैं जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं थे तो आम जनता का क्या हाल रहा होगा इनको अच्छी तरह से पता है। ब०स०पा० के लोग यहां पर नहीं हैं आज चाहे व्यापारी हों, चाहे छात्र हों, चाहे कर्मचारी हों उन्हें महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतन्त्र कायम है। उत्तर प्रदेश में सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन इससे पूर्व की जो सरकार थी, इससे पूर्व की जो मायावती जी की सरकार थी उससे तानाशाही की हिटलरशाही की बू आती थी। सारे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। आज सड़कों पर कर्मचारी नारे लगाते हैं, किसान नारे लगाते हैं इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है और मुलायम सिंह यादव ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने देने का काम किया है।

यह लोकतन्त्र की बात है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के अन्दर समाजवादी युवजन के नौजवान सड़क पर अपनी बात कहने के लिए उतर रहे थे, किसी को दफ्तर घेरने का अधिकार नहीं था, लेकिन हम लोग अपने कार्यालय में सभा कर रहे थे, उस समय इनकी सरकार ने हमारे दफ्तर को घेरने का ही काम नहीं किया उसने दफ्तर में हमारे नौजवानों पर गोलियां चलाने का काम किया, समूचे प्रदेश की जनता माननीय मुलायम सिंह यादव के धैर्य की प्रशंसा कर रही थी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के हाथों पर पट्टी बंधवाई और कहा तुम्हें हाथों पर पट्टी बांधकर ही सड़कों पर उतरना होगा यह थी कानून व्यवस्था। हम इस सदन के अन्दर नेता प्रतिपक्ष को सुनने का काम करते हैं उन्होंने जिस तरह से अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है हम उनकी प्रशंसा करते हैं। यह जो बजट पेश किया गया है सारे वर्गों को राहत देने वाला बजट है यह किसानों और छात्रों को राहत देने वाला बजट है। आपने जिस तरह से उच्च शिक्षा, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल की शिक्षा हो गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को उनसे वंचित करने का काम किया था और इनकी फीस दस गुना बढ़ा दी थी, यह फीस एक साजिश के तहत बढ़ाई गयी थी। किसान जो धरती को चीरकर अन्न पैदा करने का काम करता है, उस अन्न से जो दुनिया को जिन्दा रखने का काम करता है उनके पास इंजीनियरिंग

कालेज की लम्बी फीस जमा करने का पैसा नहीं होगा इसलिए उसके बेटे डाक्टर, इंजीनियर नहीं बन पायेंगे एक लम्बी साजिश के तहत यह किया गया था, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बढ़ी हुई फीस को पूरी तरह से समाप्त करके गरीब किसानों के बेटों के लिए इंजीनियरिंग कालेज को जाने का रास्ता खोल दिया । कक्षा 1 से 12 तक पूरी फीस माफ कर दी यह एक जाति के आधार पर नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया । मुलायम सिंह यादव जी ने 12वीं तक की फीस माफ करने की बात कही है, हम सबकी बात कहीं है । कन्या विद्या धन के लिए जो काम किया गया है जिस तरीके से लड़कियों को शिक्षित करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, मैं धन्यवाद देता हूं । समूचा उत्तर प्रदेश और समूचे उत्तर प्रदेश की माताएं जिनके घर में उनकी बेटी बैठी है, वह सारी माताएं मा० मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दे रही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारी बेटी के उज्जवल भविष्य की व्यवस्था कर दी है ।

आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था । बेटी इण्टर पास करने के बाद 20 हजार रुपये उसके खाते में जमा हो जायेंगे, उसका उपयोग उसके परिवार वाले चाहे बेटी की शिक्षा में करें या उसकी शादी करने में । हमारी सरकार ने 8 रुपये से 1 रुपये दवाई का पर्चा कर दिया है । आप बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, आप तो लम्बी फीस देकर इलाज करा लेते हैं लेकिन जिला अस्पतालों में तो गरीब का बेटा जाता है, गरीब जाता है, जिसके पास पर्चा और फीस का पैसा नहीं होता है । एक गरीब परिवार को याद करिये, यदि चार लोग उसके परिवार में बीमार हो जायें तो 32 रुपये तो उसको पर्चा बनवाने के लिए पड़ते थे इसलिए वह अपना इलाज नहीं करा पाता था । मा० मुलायम सिंह यादव जी ने दलितों के प्रति भाषण नहीं दिया, गरीबों के प्रति भाषण नहीं दिया, उन्होंने दवाई का पर्चा 8 रुपये से 1 रुपया करके गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति हमदर्दी जाहिर करने का काम किया है । यह एक ऐतिहासिक कदम है । मैं इन्ही शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, कहना चाहता हूं कि जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट जिनके हाथों में छाले और पैरों में बेवाई हैं, उनके चेहरों में मुस्कान लाने के लिए यह चतुर्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है, ऐसे ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने वाले नेता मा० मुलायम सिंह यादव को मैं धन्यवाद करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों को बोलना है, मैं अनुरोध करूंगा कि वह 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करें ।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । यह बजट बहुत ही निराशाजनक है और इसके सन्दर्भ में हमारे नेता ने भी प्रकाश डाला था । संक्षेप में, मैं अपनी बात रखूंगा । मान्यवर, यदि सरकार जनमानस की सुरक्षा न कर पाये तो सब कुछ बेकार है और सुरक्षा का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के भतीजे का अपहरण होता है, प्रधानमंत्री के भांजे को फेंक दिया जाता है । आज हर जगह अपहरण और लूट का ही बोलबाला है । चाहे जितना विकास के झूठ का पुलिन्दा रखा जाए यदि सुरक्षा नहीं है तो बेकार है । सुल्तानपुर में, मैं नगर क्षेत्र का विधायक हूं, नगर में ही सुबह कोई व्यापारी जाता है और उसको कट्टा दिखाकर रुपया छीन लिया जाता है, 2-3 बजे दिन में व्यापारी को लूट लिया जाता है । कल की ही घटना है, कुछ लोग एक दुकानदार के पास आते हैं और कहते हैं कि मकान खाली कर दो नहीं तो गोली मार देंगे । यह आज सुरक्षा की हालत है । औद्योगिक घरानों को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

के लिए लाया जा रहा है लेकिन हमें उनकी सुरक्षा के लिए भी सोचना पड़ेगा । विद्यालयों के लिए, कन्या विद्यालयों के लिए धन अवमुक्त किया गया है, उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और जो धन अवमुक्त होगा उसमें यह भी देखना होगा कि उसमें भेदभाव तो नहीं हो रहा है । मान्यवर, आज विकास हो रहा है तो वह इटावा, सैफई में हो रहा है । आप देख लें कि जहां से आपके एम०एल०ए०, मंत्री हैं वहां पर ही विकास हो रहा है । माननीय नेता सदन पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केवल एक क्षेत्र के नहीं हैं । मान्यवर, हमारे जनपद सुल्तानपुर में मात्र 4 करोड़ का गोमती नदी पर नौगवातीर कड़वर के बीच पर बनने वाला पुल 3-4 साल से पड़ा हुआ है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उसके लिए बजट से पैसा देने की कृपा करें । ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों का चयन किया गया है लेकिन उसमें किसी को भी पैसा नहीं दिया गया है । कहा जा रहा है यह विभागों के बजट के माध्यम से किया जाना है । होमगार्डों के बारे में भी कुछ पैसा बढ़ाया है लेकिन पी०आर०डी० के जवान जो ड्यूटी करते हैं उनके सन्दर्भ में कहीं कोई बात नहीं है । विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में 14 घण्टे की जाने की बात कही गयी है, आप छात्रों की बात करते हैं प्रायः शाम को छात्रों के पढ़ने के समय विद्युत आपूर्ति बाधित होती है । माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों की परीक्षा भी होने जा रही है । आप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें यह मैं आपसे मांग करता हूं । शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हो ठीक है लेकिन अन्य शिक्षकों जैसे संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी नियुक्ति की जानी चाहिए । जहां शिक्षक नहीं हैं वहां पर नियुक्ति की जाये तथा उसके लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए । आज ऐसे बहुत से कालेज हैं जैसे महाविद्यालय हैं, हाई स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बाद में दो दिन और चर्चा जारी रहेगी जल्दी अपनी बात समाप्त करें । माननीय सदस्यों को जाना भी है ।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

मान्यवर, मैं बहुत समय नही लूंगा । मेरे क्षेत्र में भी एक महाविद्यालय लम्बित है मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिये पैसा अवमुक्त करा दें । नौगवातीर कुड़वार का पुल गोमती नदी पर बनना है उस पर भी स्वीकृति प्रदान करें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब शपथ ली थी बेरोजगारों को भले की बात कही थी । जो उनको करना था उसको भी उन्होंने केन्द्र के ऊपर थोप दिया । बजट में ज्यादातर योजनाएं केन्द्र की योजनाओं से ही संबंधित है । उन्हीं को उसमें डालकर दर्शाया गया है । मैं इस बजट का घोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं । आज दिनांक 13 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश में नगर निगम के पार्षदों एवं उप नगर आयुक्तों को दी जाने वाली विकास निधि मोबाइल फोन और वाहनों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त

बाजपेयी की, प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों पर कर निबंधन विभाग द्वारा लगाई गयी रोक को हटाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृति की जाती है । तीसरी सूचना डा० अजय कुमार की जनपद बागपत के छपरौली अन्तर्गत बढ़ौत से टांडा तक निर्मित घटिया सड़क की जांच कराये जाने के सबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । चौथी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की प्रदेश के नगर पालिका परिषदों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से फर्जी नियुक्तियां किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । पांचवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की उत्तरांचल प्रदेश बनने के बाद स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को मनमाने ढंग से उत्तरांचल भेजने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । छठी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की जनपद झांसी के मउरानीपुर में चोरी से बिजली के तार काटने से विद्युत व्यवस्था खराब होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिह 'मोती सिंह' की जनपद प्रतापगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण से संबंधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । आठवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की, जनपद गाजीपुर के सादात अन्तर्गत गन्ना कृषि शोध केन्द्र का कार्य सही ढंग से न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की, जनपद आगरा में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । दसवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्ध नगर अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । ग्यारहवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की, जनपद गोण्डा के ग्राम बछईपुर में तहसीलदार द्वारा पारित जुर्माने की रकम जमा न कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । बारहवीं सूचना श्री श्याम सिंह अहेरिया की, जनपद मथुरा में विद्युत ट्रान्सफार्मरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । तेरहवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के नगरा स्थित मण्डी निर्माण कराये जाने के संबंध मे है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । चौदहवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के हस्तिनापुर अन्तर्गत कारगिल शहीद श्री योगेन्द्र के घर तक पूर्व घोषित सड़क व स्मारक बनाये जाने के सबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की, जनपद आजमगढ़ में गोमाडीह से जाफरपुर तक अधूरी ड्रेन की खुदाई पूर्ण कराये जाने के संबंध मे है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । सोलहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, जनपद शाहजहांपुर नगर में सीवर लाइन पड़ने की योजना के अन्तर्गत सीवर ट्रीटमेंट प्लान बनाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुयीं श्री मदन चौहान, श्री धर्मराज निषाद, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री घूरा राम, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री अवधेश कुमार वर्मा ।

## प्रदेश के स्थानीय निकाय के कमेले (पशुवधशाला) का ठेका उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दिये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 11फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51....

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया )

। के अन्तर्गत दी गई सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि प्रदेश के किसी भी स्थानीय निकाय कमेले (पशुवधशाला) का ठेका देने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 422 के अनुसार नियम सम्मत हैं । मेरठ में कमेले का ठेका दिनांक 31-12-03 को समाप्त हो रहा था, उसके लिये सामान्य नियम या प्रक्रिया के अनुसार समय से कार्यवाही नहीं की गई एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठेका नही दिया गया है । शासन के पत्र दिनांक 31-12-03 के अनापत्ति के बाद नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ ने अधिनियम की धारा 422 के अनुसार कार्यवाही की गई या नही के संबंध में जांच की मांग की गई है । उक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार विभाग के शासनादेश के प्राविधान के अनुसार पत्रावली के निरीक्षण हेतु दिये आवेदन पत्र दिनांक 30-1-04 का अनुपालन न करके पत्रावली उन्हें अवलोकित नही करायी गई । साथ ही प्रश्नगत ठेके हेतु नगर निगम की कार्यकारिणी की हुई बैठकों के संबंध मे भी विवरण चाहा गया है ।

उक्त सूचना के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 422 (क) के अन्तर्गत निगम द्वारा मुख्य नगर अधिकारी को प्राधिकृत किये जाने पर ही पशुवधशाला का विस्तार या सुधार किये जाने का प्राविधान है । अभी इस पशुवधशाला के विस्तार/सुधार अर्थात् आधुनिकीकरण हेतु अनुबन्ध नही किया गया है वरन् धारा 422(छ) व (ज) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये पशु वधशाला के अध्यासन एवं उपयोग के विशेष अधिकार कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से दिया गया है । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पिछली बार सार्वजनिक नीलामी में ठेके को लेकर अत्यधिक तनाव हो गया था । इस बार मेरठ महानगर के संवेदनशील माहौल को दृष्टिगत रखते हुए ही धारा 422 (ज) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के स्थान पर कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से यह ठेका एक वर्ष के लिये दिया गया है । इस संबंध में दो मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनाई गई । क्योंकि सार्वजनिक नीलामी में पिछली बार की तरह खून खराबे की आशंका थी । इस प्रकार नगर निगम मेरठ द्वारा पशु वधशाला का ठेका अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही दिया गया है । फिर भी प्रश्नगत प्रकरण में डा० प्रेम सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मेरठ के पत्र दिनांक 8-1-04 एवं श्री हफीजुद्दीन ठेकेदार ए०एम०सी०औ० मोट वाई प्रोडक्ट ट्रेडर्स के पत्र दिनांक 3-1-04 जिसमें नगर निगम मेरठ की सीमान्तर्गत हापुड़ रोड पर स्थित आधुनिक पशुवधशाला का ठेका अनियमित रूप से दिये जाने की शिकायत के संबंध में आयुक्त मेरठ, मंडल मेरठ को जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 5-2-04 द्वारा लिखा जा चुका है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

जहां तक कमेले का वर्ष 2004 के ठेका विषयक पत्रावली को मा० सदस्य को अवलोकित कराये जाने का बिन्दु है । इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पत्रावली मा० महापौर को प्रस्तुत है जिसके वापस प्राप्त होने पर निरीक्षण हेतु नगर आयुक्त नगर मेरठ को मा० सदस्य को सूचित करने हेतु निर्देशित कर दिया जायगा । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत ठेके हेतु नगर निगम की कार्यकारिणी की हुई बैठकों के संबंध में नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ को विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है । ]

## ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने वाली जमीन का प्रतिकर नोएडा क्षेत्र के बराबर किये जाने के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा गठित समिति की ....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

। बैठक तत्कालीन मण्डलायुक्त श्री एन०एस०रवि की अध्यक्षता में दिनांक 07-08-2003 को होनी थी, जो विधिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण स्थगित हो गई थी । अगली बैठक मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 30-01-2004 को आहूत की गयी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गयी । पुनः दिनांक 07-02-2004 को आयुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हुई जिसमें अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिये ग्रेटर नोएडा से कतिपय सूचनाएं प्राप्त करने तथा अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, नोएडा से प्रतिनिधि बैनामों की स्थिति स्पस्ट कराये जाने का निर्णय लिया गया । सूचना एकत्र कर शीघ्र बैठक की जायगी ।

अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में तत्परता से कार्यवाही की जा रही है । ।

## जनपद झांसी की मऊरानीपुर तहसील परिसर में अवैध निर्माणाधीन दुकानों को हटवाने के संबंध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा 11 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

नगर पालिका परिषद् मऊ रानी पुर जनपद–झांसी द्वारा गरौठा...

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

। चौराहे से तहसील परिसर तक अवैध निर्माणीधीन 90 दुकानों को हटवाने के सबंध में श्री प्रागी लाल अहिरवार सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है । उक्त सूचना में दुकानों का निर्माण नियम विरुद्ध बताया गया है क्योंकि तहसील मऊरानीपुर के अभिलेखों में भूमि इन्तखाब व खतौनो में नान जेड०ए० में अंतिम नम्बर क्रमांक–700/701/702/703/704/705 का कुल रकबा 1 हे० 615 एयर है । नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर के अध्यक्ष श्री हरीशचद्र आर्य एवं श्री राजेन्द्र गुप्ता, अधिशासी अधिकारी ने लेखपाल सदर श्री राना एवं एस०डी०एम० श्री उदईराम एवं जिलाधिकारी झांसी श्री जगन्नाथ सिंह से सांठ-गांठ कर अवैधानिक तरीके से लगभग 90 दुकानों का निर्माण कार्य रात दिन कराया जा रहा था जिसे श्री जगन्नाथ सिंह जिलाधिकारी के हटने के बाद जिलाधिकारी श्री भाटिया द्वारा रुकवाया गया था एवं जो अभिलेखों में हेरा-फेरी की गयी थी उसे भी सही करवाया एवं लेखपाल श्री राना की सेवा समाप्त की गई । अवैध निर्माण से सरकारी रोड पर अतिक्रमण हो गया है अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध जनहित में किया गया है ।

2–उक्त के संबंध में जिलाधिकारी झांसी से आख्या प्राप्त की गयी । प्राप्त आख्यानुसार दी गयी सूचना में अंकित भूमि संख्या-700/701/702/703/704/705 कुल छः किता रकबा 1 हे० 615 एयर नगर पालिका परिषद्, मऊरानीपुर के सम्पत्ति रजिस्टर/अभिलेखों में शासनादेश संख्या-5517सी/9-311सी/63, दिनांक 14-01-1954 के अनुपालन में जिला परिषद् झांसी के प्रस्ताव संख्या-14, दिनांक 22-04-1954 के द्वारा नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर को हस्तान्तरित की गई तथा सम्पत्ति रजिस्टर में प्रश्नगत भूमि जिला पंचायत के नजूल रजिस्टर में सड़क के रूप में दर्ज है व जिला पंचायत के प्रबन्धन में उल्लिखित है । तहसील मऊरानीपुर में भू-अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि मुहाल शाम लात जेरे इन्तजाम जिला परिषद् श्रेणी-15 गैर मुमकिन सड़क पुख्ता डाक बंगला सड़क झांसी से नया गांव दर्ज है । इस

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रकार प्रश्नगत भूमि नजूल सम्पत्ति है परन्तु प्रबन्धन को लेकर नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर एवं जिला पंचायत, झांसी के बीच विवाद है । नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर द्वारा अपने बोर्ड प्रस्ताव संख्या-87 दिनांक 23-10-02 के आधार पर 90 दुकानों जिनमें 45 दुकानें लगभग पूर्ण तथा 45 दुकाने अपूर्ण का निर्माण कराया गया है ।

क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम मऊ भू-अभिलेख खतौनी नान जेड०ए० में जेरे इन्तजाम जिला परिषद् के स्थान पर जेरे इन्तजाम नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से लिख दिये जाने पर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में उसे दण्डित किया गया और अभिलेख दुरुस्त कराये गये । तत्कालीन जिलाधिकारी झांसी द्वारा अपने दिनांक 30-07-03 से उक्त निर्माणाधीन दुकानों पर रोक लगा दी गयी थी । तत्पश्चात् आवंटियों द्वारा सिविल जज, सीनियर डिवीजन, झांसी न्यायालय में योजित वाद संख्या-236/03 में पारित आदेश दिनांक 19-08-03 जिसमें विवादित सम्पत्ति से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बेदखल न करने के आदेश पारित किये गये हैं, प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । वाद की प्रभावी पैरवी कर स्थगनादेश दिनांक 19-8-03 को निरस्त कराने हेतु जिलाधिकारी, झांसी को निर्देश दिये गये हैं जहां तक पूर्व जिलाधिकारी, परगनाधिकारी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी की सांठ-गांठ का प्रश्न है । इस संबंध में जिलाधिकारी झांसी को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं । ।

## जनपद बिजनौर तहसील अन्तर्गत गंगा नदी की दिशा परिवर्तन के कारण अनेक गांवों पर आयी दैवी आपदा के संबंध में कुँवर भरतेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री तेज पाल सिंह)–

माननीय सदस्या द्वारा माननीय विधान सभा को यह सूचना दी गयी है....

(वक्तव्य सिंचाई राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

। कि जनपद बिजनौर में गंगा जी के बहाव में अचानक परिवर्तन होने के कारण ग्राम राजा रामपुर से रावली तक अति भीषण आपदा आने के फलस्वरूप 6 ग्राम पंचायत एवं 10 ग्राम नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं । यदि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल शासन द्वारा उपचार न किया गया तो गंगा का जल बढ़ते ही 20 हजार लोगों के घर, गांव, सम्पत्ति व जीवन इस समस्या के चपेट में आ जायेगा ।

उक्त के संबंध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बिजनौर में राजा रामपुर से रावली तक नदी की कटान को रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना की माडल स्टडी कराकर आगामी कार्यवाही की जाय । अतः इस योजना की सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की से माडल स्टडी कराने के उपरान्त क्रियान्वयन कराया जाना प्रस्तावित है । इस संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ।

---

नोटः– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद आजमगढ़ के थाना देवगांव में श्री राजेन्द्र गुप्त एवं उनकी पत्नी की हत्या के प्रकरण पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में श्री सुखदेव राजभर तथा श्री जयराम विमल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ श्री दीप चन्द्र (प्रधान) निवासी ग्राम रोहुआ मुस्तफाबाद, थाना गम्भीरपुर ने 8.40 बजे लिखित सूचना दी थी कि दिनांक 20 जनवरी, 2004 को सुबह जब वह अपने घर से रोहुआ मोड़ पर आया तो मालुम हुआ कि रोहुआ मोड़ के दक्षिण एक पुरुष की लाश सड़क के पश्चिमी पटरी खन्ती में पड़ी है । लाश को देखने पर यह जानकारी हुई कि प्लाट के उत्तर सड़क के पश्चिमी पटरी खन्ती में भी एक औरत की लाश पड़ी है । दोनों की लाश को देखने से गले पर चोट के निशान प्रतीत होते थे जिससे यह मालुम पड़ रहा था कि कहीं से मार कर यहां पर फेंक दिया गया है ।

श्री दीप चन्द्र की सूचना पर थाना गम्भीरपुर पर मु०अ०सं० 23/04 धारा 302/201 भा०दं०वि० पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष, गम्भीरपुर द्वारा प्रारम्भ की गई । अब तक की विवेचना से उक्त शवों की पहचान राजेन्द्र गुप्ता पुत्र मोहन लाल निवासी मोहल्ला चन्दापुर, कस्बा देवगांव व श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र के रूप में हुयी । विवेचना से यह भी प्रकाश में आया कि दोनों मृतक दिनांक 18 जनवरी, 2004 को भगेलूपुर जनपद वाराणसी में श्री संजय गुप्ता के यहां जन्मदिन पार्टी में गए थे आर वहां से खाना खा कर अपने रिश्तेदार राजू गुप्ता निवासी खोजवा, थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी के यहां रुके थे । दिनांक 19-1-2004 को श्री राजेन्द्र गुप्ता की पत्नी श्रीमती विमला देवी अपने पति के भांजे के साथ पाण्डेपुर, वाराणसी के यहां चली गयी थीं । श्री राजेन्द्र गुप्ता चाय के व्यवसायी थे । उन्होंने विश्वेश्वरगंज, वाराणसी के संजय चौधरी 'टी सेंटर' पर आकर रु० 51,000 जमा किए । इसके पश्चात् श्री गुप्ता पाण्डेपुर के लिए टैम्पो से रवाना हुए । श्री गुप्ता पाण्डेपुर से अपनी बहन मुन्नी देवी जहां पर उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी ठहरी थीं के घर आये । यहां से श्री गुप्ता व उनकी पत्नी शाम को लगभग 7.30 बजे सड़क पर आजमगढ़ की ओर आने के लिए वाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे । विवेचना से यह ज्ञात हुआ कि रात्रि 8.30 बजे पाण्डेपुर (वाराणसी) से श्री गुप्ता अपनी पत्नी के साथ एक सफेद टाटा सूमो/मार्शल (जीप) से देवगांव, जनपद आजमगढ़ अपने घर के लिए रवाना हुए ।

विवेचना से यह भी प्रकाश में आया कि मृतका श्रीमती विमला देवी काफी कीमती जेवर पहनकर जन्म दिन पार्टी में वाराणसी गयीं थीं । श्रीमती विमला देवी की लाश पर कोई जेवर नही थे इस कारण उक्त पंजीकृत अभियोग में धारा 394 भा०दं०वि० की बढ़ोत्तरी की गई । इस अभियोग की गहन विवेचना शीघ्रता से करते हुए अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी एवं लूटे गए जेवरों की बरामदगी हेतु सार्थक कार्यवाही राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में कराई जा रही है । ]

**जनपद लखीमपुर खीरी के रहमत नगर ग्राम में नहर के पानी से किसानों की फसलें बरबाद होने के संबंध में श्री राजेश कुमार द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री तेजपाल सिंह)–

माननीय सदस्य द्वारा जनपद–लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 53 पेइला .....

(वक्तव्य सिंचाई राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

। के ग्राम रहमत नगर व रमुआ पुर केलम में मध्य नहर में पानी आ जाने से नहर विभाग के कर्मचारियों द्वारा रखे गये कुलाबा बह जाने से ग्राम रहमत नगर, मूर्तिया, पचपेड़ल, उवानपुर, किशनवापुर, फूलवेहण, परसेहरा, ढकवा आदि ग्रामों से हजारों एकड़ किसानों की फसलें (गेहूं, मसूर, लाही आदि) नष्ट होने तथा मत्स्य पालन करने वालों की मछलियां बहने एवं रोड पुलिया आदि क्षतिग्रस्त होने तथा इसके साथ-साथ गांव में पानी बहने से लोगों के मकान ढहने व फसलें नष्ट होने से किसानों के भुखमरी के कगार पर पहुंचने की सूचना दी गयी है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

खीरी शाखा के कि०मी० 93.34 दाहिनी पटरी पर सिंचाई विभाग के द्वारा एक कुलाबा लगाया गया था भूमि संरक्षण अधिकारी शारदा नहर प्रणाली लखीमपुर खीरी के द्वारा इस स्थान पर पूर्व में निर्मित गूल के समरेखन में परिवर्तित कर इस कुलाबे से 10 मीटर नीचे गूल का निर्माण कराया गया तथा गूल का निर्माण 10 मीटर नीचे किये जाने के कारण काश्तकारों द्वारा पुराने कुलाबे को उखाड़ कर इस गूल के स्थान पर कुलाबा लगा दिया गया परन्तु दोनों जगह लूज मिट्टी भर दी गयी। नहर बन्दी के पश्चात् जब नहर चलायी गयी एवं पानी इस स्थान पर पहुंचा तब दिनांक 21-12-03 की रात्रि में पानी नहर की पटरी के दोनों कटिंग स्थल से बाहर की ओर बह निकला जिस कारण से क्षेत्र में अस्थाई रूप से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी दिनांक 22-12-03 को प्रातः सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रश्नगत खांदी को बन्द कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं 23-12-03 को नहर की कटिंग बन्द की गयी।

विभाग द्वारा दिनांक 22-12-03 को एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गयी है जहां तक मकान ढहने, रोड़, पुलिया आदि के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न है ऐसी किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना नही है। नहर कटिंग होने के संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक फसल की क्षति के मुआवजा दिये जाने का प्रश्न है क्षति का आंकलन कर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

## शाहजहांपुर की विद्युत व्यवस्था खराब होने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

शाहजहांपुर नगर की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 44.00 करोड़ रुपये.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

। लागत की कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है जिसके अन्तर्गत मुख्य निम्न कार्य कराये जायेंगे :–

1–33/11 के०वी० के 2 नम्बर विद्युत उप संस्थान की क्षमता वृद्धि।

2–33 के०वी० लाइनों का सुदृढ़ीकरण।

3–33/11 के०वी० के 5 नये विद्युत उपग्रहों का निर्माण।

4–11 के०वी० लाइन व केबिल का बदलना।

5–नगर में 11/0.4 के०वी० के 93 वितरण ट्रांसफारमर का लगाना।

---

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6–एल०टी० लाइन के तारों का बदलना व टूटे पोलों का बदलना ।

7–नगर में 55000 इलेक्ट्रानिक मीटरों का लगाया जाना ।

उपरोक्त कार्यों एवं सामान की व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं । उपरोक्त योजना के उक्त कार्यों के सम्पन्न होने से शाहजहांपुर नगर की विद्युत आपूर्ति में सुधार हो जायेगा । ]

**जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि से अपूर्ण पुल एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में वर्णित कार्यों.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ के विवरण का संबंध में सूचना में वर्णित 8 सम्पर्क मार्गों का प्रश्न है 8 में से निम्न 5 सम्पर्क मार्ग पूर्ण कराये जा चुके हैं ।

| क्रमांक | परियोजना का नाम | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | लोनियापुर, तरदहा, बेलसंडी, असूढ़ी और गड़ारी सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| 2 | परदहा सुमेर सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| 3 | रूर से अतरौरा सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| 4 | ढिढोई से अन्देश्वरी सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| 5 | नरहरपुर औरंगाबाद सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |

जो 3 सम्पर्क मार्ग पूर्ण नही है उनका विवरण निम्नवत् हैः–

| क्रमांक | परियोजना का नाम | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | रूर से लालगंज सम्पर्क मार्ग | अपूर्ण |
| 2 | अरैला भाटपट्टी सम्पर्क मार्ग | अपूर्ण |
| 3 | तेलियानी लखनूडी सम्पर्क मार्ग | अपूर्ण |

इन सम्पर्क मार्गों के लिए पूर्व में अवमुक्त धनराशि का अभी तक उपयोग न हो पाने के कारण अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जा सकती है ।

असूढ़ी अशोकपुर के मध्य नाले पर बना पुल जिसे मा० सदस्य द्वारा अधूरा बताया गया है वह कार्य नाबार्ड-4 से वित्त पोषित तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है । इस पुल का निर्माण

---

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पूरा हो गया है किन्तु पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सेतु निगम द्वारा पुनरीक्षित आगणन रु० 40.91 लाख लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया गया है ।

ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नही आया है कि दिनांक 3-12-03 अथवा उसके पश्चात् पुल के अभाव में कोई दुर्घटना हुई हो और न ही अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के घेराव की कार्यवाही प्रकाश में आई है । ]

**जनपद गोण्डा में भारत सरकार की योजनान्तर्गत सरकारी खाद्यान्न माफियाओं द्वारा बेच दिये जाने के संबंध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन**

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-17 को हम स्थगित रखते हैं । अब हम उठते हैं । दिनांक 16 फरवरी, 2004 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 18 मिनट पर सोमवार 16 फरवरी, 2004 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊः

दिनांक 13 फरवरी, 2004 ।

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 40 विधान सभा (80)–25-6-04–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।